खण्ड-158, अंक-3
बुधवार, 6 आश्विन, शक संवत् 1877
(28 सितम्बर, 1955 ई0)

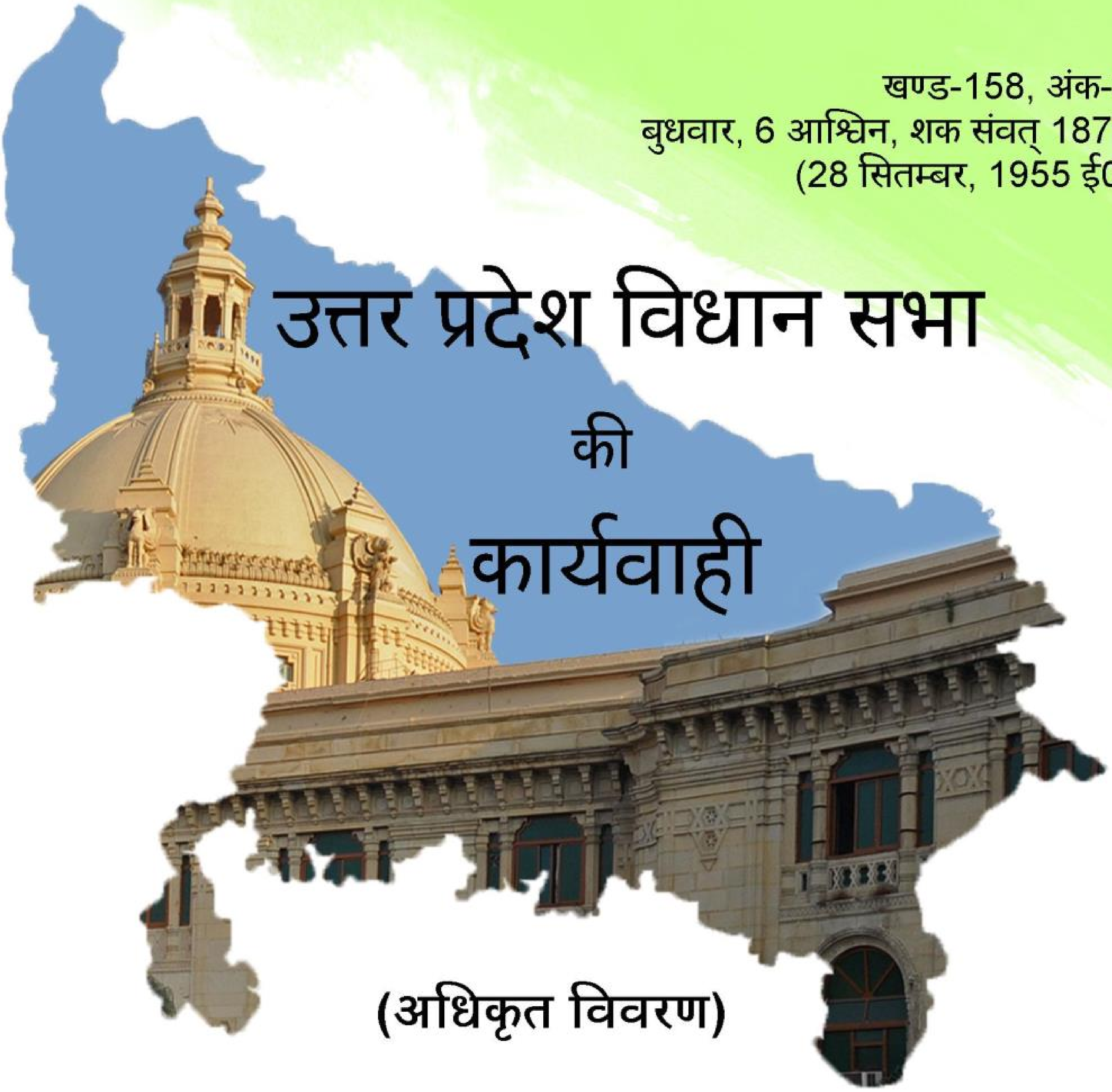

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 158 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २८ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले
उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री

रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री

हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २८ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

देहरादून का कुष्ठ केन्द्र

*१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देहरादून में कुष्ठ रोग को दूर करने के लिये कोई केन्द्र सितम्बर, १९५४ तक स्थापित होना था ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)—जी हां। १-१०-१९५४ से खोल दिया है।

*२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस केन्द्र का कार्य सुचारु रूप से किस तिथि से प्रारम्भ हुआ ?

श्री बनारसीदास—इस केन्द्र का कार्य मार्च, १९५५ से सुचारुरूप से प्रारम्भ हुआ है।

*३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस योजना के लिये गत वर्ष केन्द्रीय सरकार से जितनी आर्थिक सहायता मिलना तय हुयी थी वह मिल गई ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं, अभी आर्थिक सहायता नहीं मिली।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह केन्द्र जो सन् ५४ को खोला गया था उसका कार्य सन् ५५ में सुचारुरूप से प्रारम्भ हुआ, तो यह प्रारम्भ होने में देरी किस कारण से हुई ?

श्री बनारसीदास—कार्य को चलाने के लिये इक्वीपमेंट और मोटर आदि की व्यवस्था करनी थी जिसके कारण इसमें देरी हुई और इसी से मार्च, सन् ५५ में कार्य सुचारुरूप से चल पाया।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस देरी के कारण सन् ५४ की आर्थिक सहायता जो केन्द्रीय सरकार से मिलती वह नहीं मिल पायेगी ?

श्री बनारसीदास—इसका कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। भारत सरकार से जो वायदा है उसके मुताबिक अगले दो साल तक वे सहायता देंगे और वह अब भी मिलती रहेगी। क्योंकि दो साल सहायता मिलती रहेगी, इसलिये कोई हानि नहीं हुई।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वहां पर कुल कितने रोगियों की व्यवस्था की गई है और इस समय कितने रोगी हैं ?

श्री बनारसीदास--अभी वहां पर कितने रोगी हैं इसकी ठीक संख्या मेरे पास नहीं है, क्योंकि केन्द्र अभी शुरू हुआ है। जब वह ठीक रूप से चलने लगेगा तो संख्या मिल सकेगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस वर्ष भारत सरकार से कितनी आर्थिक सहायता मिलने की आशा है?

श्री बनारसीदास--इसके अन्दर कुल अन्दाजा यह है कि ९०,३०० रु० आवर्त्तक खर्च होगा और ३१,६०० रु० अनावर्त्तक खर्च होगा। इसमें पहले के ६ महीने में जितना आवर्त्तक खर्च होगा, वह पूरा भारत सरकार से मिलेगा और बाद के १२ महीने में भारत सरकार से ६६.२।३ आवर्त्तक खर्चा मिलेगा और उसके बाद के ६ महीने के लिये ५० फीसदी सहायता मिलेगी और उसके बाद फिर भारत सरकार से नानरेकरिंग खर्चा मिलेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ये केन्द्र प्रान्त के और जिलों में भी खुलेंगे?

श्री बनारसीदास--जी हां, बहुत सी जगह खोले गये हैं। गोरखपुर में भी इसका विस्तार किया गया है। इसके अलावा नान आफिशियल लोगों की तरफ से जो ऐसे केन्द्र होते हैं उनको सरकार बराबर आर्थिक सहायता देती है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो केन्द्र खोले गये हैं उनमें हमीरपुर के ग्राम जैराखर में जो केन्द्र चल रहा है उसमें भारत सरकार या स्वयं सरकार मदद देने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष--यह सवाल देहरादून के बारे में है, हमीरपुर के बारे में नहीं।

*४--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[२० अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कुमायूं में खनिज पदार्थों की खोज

*५--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतायेगी कि कुमाऊं में खनिज पदार्थों के उत्पादन के हेतु वह क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बनारसीदास--कुमाऊं क्षेत्र में खनिज पदार्थ--तांबा, लोहा, मैगनेसाइट, जिप्सम, लेड इत्यादि--के सम्बन्ध में अच्छी तरह अन्वेषण करने के लिये ज्योलाजिकल सर्वे आफ इंडिया से अनुरोध किया गया है। कुछ खनिज पदार्थों का अन्वेषण, प्रादेशिक डाइरेक्ट्रेट आफ ज्योलाजी तथा माइनिंग द्वारा भी कराया जायगा, रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि ज्योलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के द्वारा भी उस क्षेत्र में सर्वे हो चुका है और बहुत से खनिज पदार्थों के उत्पादन न किये जाने के बारे में रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--हां, यह कार्य ज्योलीजिकल सर्वे गवर्नमेंट आफ इंडिया ने पहले भी किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--दी गई रिपोर्ट के आधार पर कुमायूं के किन-किन क्षेत्रों में कौन-कौन से खनिज पदार्थ पाये गये हैं?

श्री अध्यक्ष---इस तरह से आप मूल प्रश्न के बाहर से प्रश्न पूछ लेते हैं यह समझ कर कि मंत्री जी को मालूम होगा। इसके डिटेल्स मूल प्रश्न के उत्तर में तो नहीं है, इस कारण इस पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो सर्वे अब तक किया जा चुका है उसके आधार पर सरकार उत्पादन खनिज पदार्थों का करने के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बनारसीदास---जहां तक भारत सरकार की तरफ से जो सर्वे होता है उसमें तो सिर्फ एक अन्दाजा कायम किया जाता है, बाकी वहां प्रास्पेक्टिव के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए या तो प्रदेशीय सरकार करती है या प्राइवेट लोग करते हैं। इसलिए जो सर्वे अब तक किया गया है गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से, केवल उन्होंने संकेत किया है जैसे गढ़वाल के बारे में, अल्मोड़ा जिले में बागेश्वर के बारे में और कुछ जगहों के बारे में, जैसा उन्होंने बतलाया तांबा या कुछ और खनिजों के लिए, उसके आधार पर हमारी यू० पी० सरकार की तरफ से विशेष रूप से सर्वे किया जायगा और उसके बाद उन खनिजों को वर्क करने के लिए प्राइवेट आदमियों को तैयार करने की कोशिश की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल जिलों के जिला गजेटियर में इस सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट दी गयी है और उसमें कुछ सुझाव भी दिये गये हैं जो सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जैसा कि अभी बताया जा चुका है प्रदेशीय सरकार ने जियोलाजिकल सर्वे नियुक्त किया है। वह उन क्षेत्रों में जहां जहां गजेटियर से उन्हें जानकारी मिली है, अब कार्य प्रारम्भ कर रहा है और जब उसकी जानकारी उन विषयों के सम्बन्ध में हो जायगी तो जो सिफारिशें वह प्रदेशीय सरकार को करेगी उसकी बुनियाद पर प्रदेशीय सरकार उन खानों के संचालन के लिए उचित प्रबन्ध करेगी।

श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं के सिवा जिओलाजिकल सर्वे आफ इंडिया की तरफ से और कहीं भी अनुसंधान किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिओलाजिकल सर्वे, गवर्नमेंट आफ इंडिया, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कर चुका है और जैसा कि अभी सभा सचिव ने बताया कि उसकी जो रिपोर्टें हैं वे डिटेल्ड रिपोर्ट्स नहीं हैं। उनका इन्वेस्टीगेशन एक स्थान के लिए मामूली तरह का रहा है जिसमें उन्होंने सिर्फ यह जानकारी बतायी है कि अमुक स्थान पर अमुक चीज मिलती है। लेकिन वहां कितनी मात्रा में, वह लम्बी-चौड़ी खान है, इसकी जानकारी डिटेल्ड अनुसंधान के बाद ही हो सकती है और इसी कारण जियोलाजिकल सर्वे, उत्तर प्रदेश नियुक्त किया गया है। वह अपना कार्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में करेगा। परन्तु प्रारम्भ में उसका कार्य किसी सीमित क्षेत्र में ही होगा।

*६---श्री नारायणदत्त तिवारी---[२६ अक्तूबर, १९५५ के लिए स्थगित किया गया।]

*७-९---श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---[२६ अक्तूबर, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

सहारनपुर में पूर्वी नहर जमन पर श्रमदान

*१०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पूर्वी नहर जमन पर जो श्रमदान गत वर्ष सहारनपुर में हुआ वह कितने मील पर हुआ और उस पर सरकार का कितना धन व्यय हुआ ?

नियोजन उप मंत्री (श्री फूलसिंह)—४० मील की लम्बाई में श्रमदान हुआ, और सरकार ने ७,०८३ रुपये व्यय किये।

*११—श्री रामचन्द्र विकाल—क्या सरकार बतायेगी कि जनता द्वारा श्रमदान हुये कार्य की लगभग कीमत क्या लगाई गई ?

श्री फूलसिंह—१९,८२८ रुपया ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चालीस मील पर जो नहर पर श्रमदान हुआ, वह कितने दिनों में हुआ ?

श्री फूलसिंह—असल योजना तो एक हफ्ता काम करने की थी। मगर कई कारणों से हफ्ते भर काम नहीं हो सका।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ७ हजार ८३ रुपया यह सरकार का किन किन मदों पर खर्च हुआ ?

श्री फूलसिंह—दो हजार रुपये की तो ग्यारह हजार टोकरियां खरीदी गयीं, और चालीस मील में हर चार मील पर एक कैम्प कायम किया गया था और हर कैम्प पर पांच-पांच सौ रुपया खर्च हुआ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस श्रमदान में मजदूरों से भी काम लिया गया है ?

श्री फूलसिंह—श्रमदान में सिर्फ श्रमदानियों ने ही काम किया है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस श्रमदान से पूर्वी यमुना नहर की पटरी ऊंची की गयी थी या नहर चौड़ी की गयी थी ?

श्री फूलसिंह—नहर चौड़ी करने की योजना थी। जब नहर चौड़ी की जायगी तो मिट्टी डाल कर उसकी पटरी भी ऊंची हो जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि श्रमदान के बावजूद भी नहर विभाग को इस नहर को बाद में साफ कराना पड़ा ?

श्री फूलसिंह—कुछ काम तो कराना पड़ा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह वही नहर है जहां पर कुछ व्यक्तियों की मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी ?

श्री फूलसिंह—जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोटर दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनके परिवार वालों को कुछ मुआविजा दिया गया ?

श्री फूलसिंह—कुछ लोगों ने तो सहायता लेने के बजाय उल्टे श्रमदान में मदद दी और जो सहायता लेना चाहते थे, उन को सहायता दी गयी।

*१२—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—[२५ अक्तूबर, १९५५ के लिए प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१३—१५—श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)—[२६ अक्तूबर, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

समस्त राज्य के लिए मद्य निषेध योजना पर विचार

*१६—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह सम्पूर्ण प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

मादककर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—इस प्रदेश में मद्यनिषेध की आगामी नीति भारत सरकार द्वारा नियुक्त मद्य निषेध जांच समिति की रिपोर्ट आ जाने के पश्चात् निर्धारित की जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रदेश में कोई ऐसी समिति उन्होंने बनाई है कि जो इस समस्या पर सरकार को सुझाव दे सके ?

श्री गिरधारीलाल—इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—केंद्रीय समिति के यह सुझाव सरकार को कब तक मिलने की संभावना है ?

श्री गिरधारी लाल—दो एक महीने के अन्दर में ही उनके सुझाव प्राप्त हो जायंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के विस्तार के लिए आर्थिक सहायता

*१७—श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार ने चिकित्सा संबंधी सुविधाओं में विस्तार करने के लिये तथा आयुर्वेदिक व यूनानी व होम्योपैथ, वैद्यों, हकीमों व डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में बसने के लिये प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कोई नई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा उसमें सरकार द्वारा कितना खर्च किये जाने का अनुमान है ?

*१८—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह आर्थिक सहायता किस योग्यता प्राप्त वैद्य, हकीम या डाक्टर को दी जावेगी ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—प्रश्न १७ व १८ के उत्तर से संबंधित राज्याज्ञाओं की प्रतियां जिनमें पूर्ण विवरण दिया है, संलग्न है,

इस वर्ष व्यय का ब्योरा निम्नलिखित है:—

		रु०
ऐलोपैथिक डाक्टरों के लिये	..	१०,५००
वैद्यों व हकीमों के लिये	..	१३,४००
होम्योपैथिक डाक्टरों के लिये	..	७,४१०

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४६–२५६ पर)

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक डाक्टरों के लिये इतना कम रुपया क्यों रखा गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी होम्योपैथिक चिकित्सा देश में तमाम स्थानों पर फैली नहीं है और उसके विषय में अभी विवाद भी काफी है। इस कारण से अभी अधिक रकमें उसके लिये नहीं रखी गई हैं और जो आधुनिक विज्ञान है और जिसकी तहत में एलोपैथिक चलती है, उसी की अधिक मांग होती है, इसलिये उनके लिये ज्यादा रुपया रखा गया है और इसके लिये कम धनराशि रखी गई है।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक डाक्टर्स अभी तक इस स्कीम के मुताबिक कितना काम कर रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण वैद्यों को प्रोत्साहन मिल सके इसकी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो वह कौन सी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ग्रामीण वैद्यों को सरकार की ओर से कई प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता है। सरकार की ओर से स्वयं प्रत्येक वर्ष ऐसे ग्रामीण वैद्यों को जो कि देहात में बसे हुये ह, अनुदान दिया जाता है। दूसरे इस प्रकार के वैद्यों को, जिनका कि वर्णन किया गया है अनुदान स्वरूप ३ वर्ष के लिये धन सरकार की तरफ से दिया जाता है। कुछ रुपया उन्हें आवर्त्तक सहायता के रूप में दिया जाता है और कुछ अनावर्त्तक अनुदान के रूप में उन्हें दिया जाता है और इसके अतिरिक्त उन्हें मकान के लिये किराया, कंपाउन्डर की तनख्वाह और स्वयं उनको थोड़ा बहुत वेतन दिया जाता है और इस तरह से उन्हें देहात में भेजने के लिये प्रोत्साहन सरकार की ओर से प्रदान होता है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ग्रामीण क्षेत्रों को जो सहायता दी जाती है किसी कमेटी की सिफारिश पर दी जाती है या और कोई इसका देने का आधार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कमेटी की सिफारिश पर नहीं बल्कि सरकार के अधिकारीगण जो रिपोर्ट किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था के विषय में देते हैं, उसके ऊपर विचार करके सरकार स्वयं वह अनुदान देती है।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वैद्यों और हकीमों को इस वर्ष कितना अनुदान दिया जा चुका है और कितने वैद्य और हकीम रखे जा चुके हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है। वैसे तो जो धनराशि अभी इस कार्य के लिये रखी गई है, उत्तर में लिख दिया गया है कि कितना कितना धन इस वर्ष दिया था।

*१९-२०--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--[२६ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

उत्तर राप्ती, तहसील डुमरियागंज के शवों की परीक्षा बांसी के बजाय इटावा अस्पताल में करने का सुझाव

*२१--**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)--क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर राप्ती, तहसील डुमरियागंज, (बस्ती) की शव परीक्षा बांसी अस्पताल में की जाती है ?

श्री बनारसीदास--जी हां, यू० पी० मेडिकल मैनुअल के पैरा ७२१ (१२) के अनुसार थाना चिलिया, उस्का, लोटन, धेवरवा, तहसील डुमरियागंज तथा मेंहदावल के शव बांसी अस्पताल म परीक्षा के लिये आते हैं।

*२२--**श्री रामलखन मिश्र**--क्या सरकार इटावा अस्पताल में शव परीक्षा की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदसा--जी हां।

श्री रामलखन मिश्र--क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को यह ज्ञात है कि ३०,४० मील दूरी पर डुमरियागंज से शव वाहन बांसी को किया जाता है ?

श्री बनारसीदास--जी हां, यह सही है करीब २८ मील का फासला है।

श्री रामलखन मिश्र--क्या मंत्री जी को मालूम है कि इटावा अस्पताल में शल्यांचन गृह (आपरेशन रूम) वर्तमान है या नहीं ?

श्री बनारसीदास--जी हां, सरकार की तरफ से वहां पर एक अस्पताल है जहां क्वालीफाइड डाक्टर रहता है और वहां पर आपरेशन का कार्य भी होता है ।

लाल डिग्गी बांध टूटने से आजमगढ़ सदर अस्पताल की एक्सरे मशीन को क्षति

*२३--**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बाढ़ के कारण आजमगढ़ के सदर अस्पताल को कितना नुकसान हुआ है ?

श्री बनारसी दास--अस्पताल की इमारत के नुक्सान का तखमीना अभी पी० डब्लू० डी के इंजीनियर नहीं कर सके हैं। माल का नुकसान करीब ८०० रु० का हुआ है जिसमें बड़ी एक्सरे मशीन सम्मिलित नहीं है।

*२४--**श्री उमाशंकर**--क्या यह सच है कि अस्पताल की एक्सरे की मशीन वहीं अस्पताल में रह गई और बाढ़ के पानी में डूब कर खराब हो गई ?

श्री बनारसीदास--छोटी मशीन बचा ली गयी परन्तु बड़ी मशीन नहीं हटाई जा सकी क्योंकि वह बिना विशेष इंजीनियर की सहायता के उखाड़ी और हटाई नहीं जा सकती थी। इसकी खराबी के विषय में जब तक एक्सरे इंजीनियर देख न लें, कुछ नहीं कहा जा सकता।

*२५--**श्री उमाशंकर**--क्या यह सच है कि सरकारी अधिकारियों ने लाल डिग्गी बांध टूट जाने का एलान कई दिन पहले ही कर दिया था ?

श्री बनारसीदास--हां, सरकारी अधिकारियों ने २६ जुलाई को सायंकाल में ही लाल डिग्गी बांध टूट जाने का ऐलान कर दिया था और ऐलान के पश्चात् ही तुरन्त अस्पताल खाली करने का इन्तजाम किया गया।

श्री उमाशंकर--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि बड़ी ऐक्सरे मशीन लगभग कितने रुपये की रही होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बड़ी मशीन ४०,५० और ६० हजार रुपये तक आती है।

श्री उमाशंकर--क्या मंत्री जी यह बता सकेंगे कि बाढ़ आने के कोई ३६ घंटे से भी ज्यादा जब सरकार को यह मालूम हो गया था कि अब यह बांध टूट जायगा, तो किसी विशेष इंजीनियर को बुलाकर क्यों नहीं मशीन को उखड़वाया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार के पास कोई ३६ घंटे पहले सूचना नहीं आयी थी। कम से कम स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्री को ऐसी इत्तला नहीं थी।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार ने इस ऐक्सरे मशीन को किसी ऐक्सपर्ट के द्वारा जांच करा के पता लगवाया है कि कौन से पार्ट इसके खराब हो गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह तो अभी दिखायी जा रही है, उसकी रिपोर्ट आने पर पूरी कायवाही हो सकेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लाल डिग्गी बांध टूटने के पहिले और २६ तारीख के बीच में सरकार के पास वहां के अस्पताल के अधिकारियों ने भी कोई सूचना दी थी कि कोई स्पेशल इंजीनियर भेजा जाय जिससे मशीन उखड़वायी जा सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरे पास इसकी सूचना नहीं है ।

श्री उमाशंकर--क्या मंत्री जी वहां के अधिकारियों से यह बात पूछेंगे कि उन्होंने किस कारण से सरकार को इसकी खबर नहीं दी कि यह मशीन उखाड़ने के लिये कोई इंजीनियर भेजा जाय ?

श्री बनारसीदास--यह उत्तर में दिया जा चुका है कि २६ जुलाई को पता चला कि लाल डिग्गी का बांध टूटने वाला है, उसके पहले इसकी संभवना नहीं थी कि वहां तक पानी आ जायगा । तो इस सूचना के बाद जितना सामान हटाया जा सकता था, हटाया गया और बड़ी मशीन को बिना इंजीनियर की सहायता के हटाया नहीं सकता था ।

*२६-२७--**श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)--[२५ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न ३०-३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

अनाज की सरकारी खरीद पर व्यय

*२८--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अनाज के गिरते हुये भावों के कारण किसानों को होने वाली क्षति से राहत पहुंचाने के लिये उसने किस किस प्रकार का कितना अनाज खरीदा तथा खरीदारी में कितना रुपया व्यय किया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सरकार ने निम्नलिखित खाद्यान्न, उनके विपरीत अंकित किये गये मात्रा में खरीदे हैं :--

		टन
गेहूं ..	..	५२,७५१
ज्वार ..	..	१४,९१५
चना ..	..	८३

उक्त खरीदारी में लगभग १,८२,२०,००० रुपया व्यय हुआ है ।

*२९--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त खरीदारी कब आरम्भ की गई थी और क्या वह अब भी जारी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--ज्वार, गेहूं तथा चने की खरीदारी, क्रमशः अप्रैल के प्रथम सप्ताह, मई के प्रथम सप्ताह तथा जून के तृतीय सप्ताह, १९५५ में आरम्भ हुई थी । गल्ले की कीमत निर्धारित स्तर से बढ़ जाने के कारण इस समय खरीदारी नहीं हो रही है ?

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में खरीदारी कब शुरू की गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मई के अन्त के सप्ताह में जहां तक मुझे मालूम है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि वह जो राहत किसानों को पहुंचनी चाहिए थी वह कर्मचारियों द्वारा देर में खरीदारी शुरू करने के कारण नहीं पहुंच सकी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नहीं, ऐसी बात नहीं है । इन क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी दिक्कत रही है वह यह रही है कि केन्द्रीय सरकार ने यह आदेश दिया था कि सिर्फ सफेद गेहूं ही खरीदा जाय और इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में लाल गेहूं पैदा होता है । प्रदेशीय सरकार ने लाल गेहूं को भी खरीदने के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इस बात की आज्ञा नहीं दी और इसलिए वह राहत वहां के किसानों को नहीं मिल सकी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो यह गल्ला खरीदा गया उसमें भारत सरकार ने भी खरीदा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह गल्ला जितना भी खरीदा गया है सब भारत सरकार की तरफ से ही खरीदा गया है। भारत सरकार ने २ करोड़ रुपये की रकम प्रदेशीय सरकार को दी थी कि वह गल्ला खरीदे और किसानों को प्राइस सपोर्ट के द्वारा मदद पहुंचाये ताकि वह निर्धारित कीमत पर गल्ला बेंच सकें और उससे उन्हें कुछ सहायता मिल सके।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो अनाज खरीदा गया है यह सरकारी गोदामों में रखा गया है या किराये के मकानों में रखा गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकारी गोदामों में भी है और जहां कोई आवश्यकता पड़ी है वहां दूसरे गोदामों में रखा गया है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो गल्ला खरीदा गया यह सरकारी कर्मचारियों द्वारा खरीदा गया या ठेकेदारों द्वारा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उसके लिए एजेंट्स नियुक्त किये गये और उनकी देखरेख सरकारी कर्मचारियों ने की। इस तरह से गल्ला खरीदा गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन किन जिलों में यह गल्ला खरीदने के केन्द्र खोले गये थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसके लिए तो नोटिस की जरूरत होगी। यह पूरी सूचना है नहीं मेरे पास।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह गल्ला उन्हीं एजेंटों के द्वारा खरीदा गया जो कंट्रोल के जमाने में एजेन्ट थे या इसके लिए नये एजेंट बनाये गये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो मैं नहीं कह सकता कि उनमें से कितने पुराने जमाने के थे और कितने नये जमाने के थे। आर० एफ० सीज० ने जिलाधीशों से पूछकर और उनकी सिफारिश पर उनकी नियुक्ति की और उन्हीं को यह कार्य सौंपा गया।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गल्ला खरीदा गया है उसका कितना अंश भारत सरकार को भेजा गया है और कितना बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जितना गल्ला खरीदा गया है वह सब भारत सरकार की ही सम्पत्ति है। उसी के आदेश पर जहां जहां उसकी आवश्यकता पड़ती है, भेजा जाता है। कहां कितना अभी गया है, उसके पूरे आंकड़े तो देने में असमर्थ हूं। यदि माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो मैं सूचना भेज दूंगा।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अधिक बारिश होने की वजह से गोदामों में पानी आ गया और उसकी वजह से कितना गल्ला खराब हो गया, इसकी कुछ रिपोर्ट आई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है वहां शायद हमारा गल्ला गोदामों में अधिक मात्रा में नहीं था।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार ऐसा गल्ला रखने के लिए आगे से अपने भंडार बनाने की कोशिश करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में से ऐसी योजना रखी गयी है कि सरकार की ओर से या कोआपरेटिव विभाग की ओर से कुछ वियर हाउसेज बनाये जायं, जिनमें इस प्रकार का गल्ला रखा जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार गल्ले के भावों को स्थिर करने के लिए भविष्य में जिलों के प्रत्येक कस्बे में इस प्रकार के केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जरा दुबारा दोहरा दें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार गल्ले के गिरते हुए भावों को स्थिर करने के लिए कस्बों में जो अनाज की मंडियां हैं वहां इस प्रकार के केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल थोड़ा सा आपने बदल दिया । आपने कहा "गिरते हुए भावों को" और उत्तर में दिया हुआ है कि कीमत बढ़ जाने से खरीदारी बन्द हो गयी । तो यह परस्पर विरोध है, इसलिए मैं इस पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि भारत सरकार की अनुमति न मिलने पर भी बुन्देलखंड का लाल गेहूं खरीदने के लिए स्वयं प्रान्तीय सरकार कुछ प्रबन्ध करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेशीय सरकार ने अभी तो कोई प्रबन्ध नहीं किया है । प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से आग्रह कर रही है कि वह इस बात की आज्ञा दे दे और अपनी उस धनराशि में से, जो उसने हमें इस कार्य के लिए दी है, हमें लाल गेहूं खरीदने की भी इजाजत मिल जाय ।

महिला चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता

*३०—**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य के चिकित्सालयों में कितने चिकत्सक पुरुष हैं और कितनी महिलायें ?

श्री बनारसीदास—

अ—एलोपैथिक—

पुरुष चिकित्सक	८२२
महिला ,, ...	१५५

ब—आयुर्वेदिक—

पुरुष चिकित्सक	५५०
महिला चिकित्सक	१

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, चिकित्सक महिलाएं अधिक हो सकें, इसके लिए कोई उपाय कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक महिला चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न है, सरकार ने लखनऊ मेडिकल कालेज में और आगरा के मेडिकल कालेज में इस बात का प्रबन्ध किया है कि लड़कियों को अधिक संख्या में दाखिल किया जाय और इन दोनों कालेजों में संख्या भी निधारित कर रखी है कि अमुक संख्या तक तो लड़कियां अवश्य इन दोनों संस्थाओं में ली जायं । और तीसरा मेडिकल कालेज सरकार खोल रही है, उसमें भी लड़कियों के लिए उचित प्रबन्ध होगा, जिसमें वे उस संस्था में शामिल हो सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें और इन कारणों से अधिक संख्या में वह विभाग में चिकित्सक के रूप में कार्य करने की योग्यता प्राप्त कर सकें ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि हमारे सूबे में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और तीमारदारी के काम में ये ज्यादा सिद्ध-हस्त हैं, इसलिए जल्दी यह व्यवस्था की जायगी कि वह सिविल सर्जनों के पद को भी हासिल कर सकें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक सिविल सर्जन के पद को हासिल करने का विषय है, इस सदन में मैं उत्तर दे चुका हूं। जहां तक उन्हें सिविल सार्जन के बराबर की तनख्वाह मिल सके, इसके विषय में सरकार ने अभी कुछ आदेश जारी किये हैं और हम आशा करते हैं कि उनमें से जो योग्य डाक्टरनियां हैं या महिला चिकित्सक हैं, वह सिविल सर्जन के पद तक की जो तनख्वाह है वह प्राप्त कर सकेंगी।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मेडिकल कालेज में जो लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था है तो उनकी क्या संख्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेडिकल कालेज में जितनी लड़कियां ली जाती हैं उनमें से २५ स्टेचुटोरिली यह निर्धारित कर दिया है कि अवश्य ली जाय और यदि कम्पिटीशन में अधिक आ जायं तो वे भी दाखिल की जायं।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या यह सही है कि अस्पतालों में तालीम हासिल करने के वास्ते लड़कियां इस वास्ते नहीं जाती हैं कि वहां पुरुषों के साथ उनको अच्छा नहीं लगता ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ऐसी शिकायत तो सरकार के पास कोई आयी नहीं। लड़कियां कम्पिटीशन में काफी बैठती हैं लेकिन अभी वे लड़कों के मुकाबिले में कम्पिटीशन में आ नहीं पाती हैं। ताहम, जैसा कि मैंने बताया २५ लड़कियां लखनऊ मेडिकल कालेज में और १५ लड़कियां आगरा मेडिकल कालेज में लेने के लिये स्टेचुटोरिली प्राविजन कर दिया है कि इतनी अवश्य दाखिल की जायं। लेकिन उनका कम्पिटीशन लड़कों के अन्दर ही रहेगा, उनसे अलग नहीं होगा।

श्री दीनदयालु शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन लड़कियों को पढ़ाने के लिए कितनी लेडी डाक्टर प्रोफेसर हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब संख्या तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूं लेकिन इन लड़कियों को लेडी डाक्टर्स भी पढ़ाती हैं और पुरुष डाक्टर भी पढ़ाते हैं। दुनियां के मेडिकल कालेजेज का तरीका यह है कि जितने गाइनाकालोजिस्ट्स दुनियां के बड़े बड़े अस्पतालों में हैं, वे मर्द ही हैं और अपने देश में भी जितने बड़े बड़े अस्पताल और कालेजेज हैं उनमें अधिक संख्या में पुरुष गाइनाकालोजिस्ट्स हैं, न कि लेडी गाइनाकालोजिस्ट्स।

अमेठी, जिला सुल्तानपुर में मातृ तथा शिशु कल्याण केन्द्र खोलने की मांग

*३१--**श्री रणंजय सिंह** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि मेरे १७ फरवरी, १९५४ के प्रश्न संख्या ८ के उत्तर में सरकार ने जो १९५४-५५ के आर्थिक वर्ष में अमेठी के मातृ तथा शिशु केन्द्र खोलने का विचार घोषित किया था वह कार्यान्वित क्यों नहीं हो सका ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--१९५४-५५ में एक मातृ तथा शिशु कल्याण केन्द्र अमेठी में खोलने का विचार सरकार का था। परन्तु केन्द्रों के खुलने की संख्या कम होने के कारण यह निश्चित किया गया कि पहले उन स्थानों पर केन्द्र खोले जायें जिसके निकट कोई केन्द्र न हो।

इसके अन्तर्गत १९५४-५५ में जगदीशपुर ग्राम में केन्द्र खोलने का आदेश दिया गया और इस वर्ष भी तहसील अमेठी के अन्तर्गत एक ग्राम में केन्द्र खोलने पर विचार किया जा रहा है।

नोट--तारांकित प्रश्न ३१ श्री जोरावर वर्मा ने पूछा।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमेठी में कब तक केन्द्र खुल जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अभी तो उसके लिए कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है, अमेठी कस्बे में खोलने का ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन केन्द्रों में सरकार क्या सहायता देती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इन केन्द्रों में सरकार एक तो मिडवाइफ की नियुक्ति करती है और वह ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं जहां पर एलोपैथिक डिसपेंसरी हों और उपयुक्त मकान रहने के लिए मिल जायं, ऐसे क्षेत्र में यह केन्द्र स्थापित किए जाते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि अमेठी जो स्थान है वह उस तहसील का केन्द्र स्थान है और वह एक बड़ा कस्बा भी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, अमेठी एक नगर है और ऐसे नगरों में सेन्टर खोलने की योजना सरकार के सामने नहीं है, सरकार तो ग्रामों में ऐसे केन्द्रों को स्थापित करती है जो म्युनिसिपैलिटी है, वहां वह अपनी ओर से केन्द्र खोलती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरों में मातृ और शिशु केन्द्र न खोले जायं ऐसा क्या कोई सरकार का निश्चय है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मातृ और शिशु केन्द्रों के जहां तक नगरों में स्थापित करने का विषय है वह जिम्मेदारी नगरपालिकाओं की है और वे उस जिम्मेदारी को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निभाती भी हैं । इसलिये सरकार ने नगरों में इन केन्द्रों को खोलने के विषय में कोई आदेश नहीं दिये हैं । देहाती क्षेत्रों में जिला बोर्डों की आमदनी कम होती है और साधन भी कम होते हैं, इसलिये यह जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पर ओढ़ ली है और उत्तरोत्तर सरकार इन केन्द्रों को प्रत्येक वर्ष बढ़ाने की चेष्टा करती है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में केन्द्र बढ़ाने का सरकार ने निश्चय किया था । उनमें से काफी केन्द्र खोले जा चुके हैं और बाकी इस वर्ष खोले जायेंगे । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी सरकार इन केन्द्रों को देहाती क्षेत्रों में उत्तरोत्तर बढ़ाती जायगी और उनको काफी संख्या में बढ़ा कर गांवों की जनता की सेवा के लिये उन्हें स्थापित कर देगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमेठी में जो मातृ और शिशु केन्द्र खोले गये हैं उसका कारण यही है कि नगरपालिकाओं की अवस्था ठीक नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं नहीं जानता कि अमेठी म्यूनिसिपैलिटी है या नहीं और इसलिये मैं नहीं कह सकता कि वहां की आर्थिक अवस्था कैसी है । जहां तक मुझे ज्ञान है अमेठी म्यूनिसिपैलिटी नहीं है टाउन एरिया शायद हो ।

*३२--**श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)--[२६ अक्तबर, १९५५ के लिए स्थगित किया गया ।]

मादक वस्तुओं की बिक्री से आय

*३३--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४-५५ में इस प्रदेश में गांजा, भांग और शराब की कितनी-कितनी दुकानें थीं तथा उनसे सरकार को कितनी-कितनी आमदनी हुई ?

श्री गिरधारीलाल-- इस प्रदेश में सन् १९५४-५५ में गांजा-भांग की ११७७ तथा देशी शराब की १४४२ दूकानें थीं। गांजा-भांग की दूकानों से ३६,८९,६४४ रु० तथा देशी शराब की दूकानों से ३,०६,४३,६३३ रु० की आदमनी हुई।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य-- क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५४-५५ में जो शराब से आदमनी हुई है वह इससे पहले वर्ष की अपेक्षा अधिक है या कम ?

श्री गिरधारीलाल-- पहले वर्ष से कम हुई है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या मंत्री महोदय भांग के ऊपर से प्रोहिबिशन उठाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मद्य निषेध के संबंध में ऐसी योजना बनाई थी कि प्रति वर्ष कुछ तादाद मुअइयन जिलों में मद्य निषेध के लिए ली जायगी ?

श्री गिरधारीलाल--नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं बनाई थी।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह आमदनी कम क्यों हुई ?

श्री गिरधारीलाल--सरकार की तरफ से मद्य निषेध का प्रचार काफी होता है, इसलिये यह सरकार की सफलता का कारण है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या सरकार को पता है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस साल शराब की मात्रा में ज्यादा बिक्री हुई है ?

श्री गिरधारीलाल--इस वक्त इसकी मुझे कोई इत्तिला नहीं है, माननीय सदस्य को होगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष से और पहले से भी और जिले शराब बंदी के लिए क्यों नहीं लिये जा रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--जैसे कि कई दफा यह बात बतलाई जा चुकी है कि जिन जिलों में शराब बंदी की गई है वहां पूर्ण रूप से उसे सफल बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जब पूर्ण सफलता प्राप्त हो जायगी, तब आगे बढ़ेंगे।

श्री राजनारायण--क्या सरकार यह बतला सकती है कि पूर्ण सफलता प्राप्त होने में कितनी देर है ?

श्री गिरधारीलाल--उम्मीद है कि जल्दी ही होगी।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शराब की बिक्री में कमी और और आमदनी की कमी का कारण यह है कि प्राइवेट भट्ठियों में ज्यादा शराब बनने लगी है ?

श्री गिरधारीलाल--इसकी इत्तिला मुझे नहीं है, माननीय सदस्य को होगी।

*३४-३५--**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)--[वापस लिये गये।]

जौनपुर जिलान्तर्गत समोधपुर में प्लानिंग विभाग द्वारा अस्पताल खोलने की योजना

*३६—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में प्लानिंग विभाग द्वारा समोधपुर में अस्पताल खोलने के लिये कितना रुपया स्वीकार किया गया है ?

श्री फूलसिंह—पांच हजार रुपया ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि समोधपुर में जो अस्पताल खोलने के लिये ५ हजार रुपया दिया गया है, उस समोधपुर से पट्टी नरेन्द्रपुर में एक आयुर्वेदिक अस्पताल मौजूद है जो एक मील के फासले पर है ?

श्री फूलसिंह—इसकी इत्तिला मुझे नहीं है, माननीय सदस्य वहां के रहने वाले हैं, इसलिए आपकी इत्तला सही है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार के ऐसे नियम है कि ५ मील के अन्दर आयुर्वेदिक अस्पताल न खोला जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार का ऐसा नियम नहीं है, लेकिन घोषित कर रखा है कि सरकार अपनी योजना के अनुसार देश में अस्पतालों का खोलना मुनासिब समझती है और सारे देश में समय से अस्पताल खुल सकें यह तभी सम्भव हो सकता है जब ५ मील के दायरे में प्रत्येक स्थान में खुलने चाहिए और नजदीक नजदीक न खोले जायं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह ५ हजार रुपया जो प्लानिंग द्वारा स्वीकार किया गया है, वह किसके प्रार्थना-पत्र पर स्वीकार किया गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन नियोजन समिति में जितने एम० एल० एज० और एम० एल० सी०, अन्य प्रतिनिधि होते हैं, उन लोगों ने मंजूरी प्रदान की है। सरकार का यह नियम रहा है कि जो प्लानिंग कमेटी है वह किसी बात की अगर यूनानीमस सिफारिश करती है तो सरकार उसे मान लेती है और उसके ऊपर जिलाधीश वगैरा कार्य करते हैं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो ५ हजार रुपया दिया गया है तो वहां किस प्रकार का अस्पताल बनाया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी जैसा बतलाया गया है, कदाचित वह आयुर्वेदिक अस्पताल है, उसी को ५ हजार रुपये की रकम प्रदान की गई है ।

हरद्वार में सीमेंट की कमी

*३७—**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि हरद्वार की जनता को पिछले कुछ महीनों से सीमेन्ट मिलना दुर्लभ हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को दूर करने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री बनारसीदास—जी हां । हरद्वार की जनता को उनकी आवश्यकता के अनुसार पूरी सीमेंट नहीं मिल सकी । कमी को दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीने से सीमेन्ट के कोटे से कितना कम दिया गया है और उसी कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रबंध हो रहा है ?

श्री बनारसीदास—अब तक जो सीमेन्ट हरिद्वार में आई है, वह १७८० बोरे आये हैं और उसकी वजह यह थी कि जहां सवाई माधोपुर से यह सीमेन्ट आता था वहां उत्पादन गिर गया, इसलिये सहारनपुर में सीमेन्ट कम आई और कोटे में कमी हुई । अब कोशिश की जा रही है कि सौराष्ट्र से वहां पर ४४० टन सीमेन्ट भेजने की व्यवस्था हो जाय ।

श्री दीनदयालु शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां कम्पनियों से सीमेन्ट का कोटा कम आया है वहां का कोटा पूरा करने के लिये विचार किया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय में मैंने केन्द्रीय सरकार के उद्योग मन्त्री को तार दिया था और लिखा भी था । कल ही उनका तार आया है । उन्होंने और कम्पनियों से और अन्य स्थानों से कुछ कोटा हमारे प्रदेश के लिये इस महीने में बढ़ाया है । जब वह कोटा हमारे पास आयेगा तो उसका वितरण उन स्थानों पर करने का प्रबन्ध करेंगे, जहां पिछले महीनों में कम सीमेन्ट भेजा जा सका है ।

सहारनपुर जिले की कुछ शिक्षा संस्थाओं को सीमेंट परमिट

*३८—**श्री दीनदयालु शास्त्री**—क्या यह सच है कि सहारनपुर जिले की कुछ शिक्षा संस्थाओं को पिछले दिनों सीमेन्ट के परमिट उन दुकानों के लिये मिले हैं जो दुकानें समाप्त हो चुकी हैं ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं । सीमेन्ट एडवाइजर ने कुछ शिक्षा संस्थाओं को ऐसी दुकानों के परमिट दिये थे जिनके पास सीमेन्ट मौजूद नहीं थी । परन्तु वे दुकानें समाप्त नहीं हुई थी ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि सहारनपुर जिले की जिन शिक्षा संस्थाओं ने जुलाई, १९५४ के पहले सीमेन्ट का परमिट मांगा था उसको वह परमिट जुलाई सन् १९५५ में दिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह हो सकता है जैसा कि अभी बताया गया कि सिमेन्ट की पच्छिमी प्रदेश के क्षेत्रों में काफी कमी रही । इसका कारण भी बताया गया कि जहां से सिमेन्ट आया करता था वहां उसे फैक्टरी के उत्पादन में कमी हो गयी । इसलिये अपने प्रदेश के उन क्षेत्रों में कम मात्रा में सीमेन्ट आया । प्रदेशीय सरकार बराबर केन्द्रीय सरकार से इस बात के लिए कहती रही है कि उसका कोटा बढ़ाया जाय, परन्तु दुर्भाग्य से जितनी हमारी आवश्यकता है उस मात्रा में कोटा केन्द्रीय सरकार ने हमारा नहीं बढ़ाया है । जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसी महीने में प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा और कहा कि हमारे यहां बाढ़ आयी है उसके कारण सिमेन्ट इत्यादि का खर्चा बहुत बढ़ गया है तो १० हजार टन का एक कोटा और दूसरा ५ हजार टन का कोटा दिया । जब वह हमारे प्रदेश में आयेगा और बंटेगा तो इस बात का प्रबन्ध किया जायगा कि उसका काफी हिस्सा पच्छिमी जिलों को भेजा जाय ।

बरेली जिले की फरीदपुर तहसील में श्रमदान द्वारा निर्मित मार्ग

*३९—**श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४–५५ ई० में श्रमदान द्वारा तहसील फरीदपुर, जिला बरेली में कोई सड़क बनाई

गई है ? यदि हां, तो वह कितने मील लम्बी है और क्या उसके बीच में कोई नदी भी आती है ?

श्री फूलसिंह—जी हां, सड़क ७।। मील लम्बी है और उसके बीच में नकटिया नदी आती है ।

*४०—**श्री नत्थूसिंह**—उस सड़क पर कितनी लागत का काम श्रम द्वारा हो चुका है और सरकार ने इस सड़क के लिये कितने रुपये का अनुदान दिया और क्या आगे देने का विचार है ?

श्री फूलसिंह—३४, ९७४ रु० । सरकार ने, ८०,६०६ रु० का अनुदान दिया है और ३१,२०० रु० का अनुदान और देने का विचार है ।

*४१—**श्री नत्थूसिंह**—इस सड़क के बीच में जो नदी पड़ती है उस पर पुल बनाने में क्या लागत लगेगी और उसके बनाने में सरकार क्या सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री फूलसिंह—लगभग ४०,००० रु० लगेगा, परन्तु यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सड़क की अब आगे देखभाल किस विभाग के द्वारा होगी ?

श्री फूलसिंह—अभी तो देखभाल का प्रश्न सामने नहीं है । कच्ची सड़क बनी है, श्रमदान द्वारा तैयार हुई है । तो उसको प्लानिंग कमेटी देखेगी ।

श्री नत्थूसिंह—जो ७।। मील लम्बी जो यह सड़क श्रमदान द्वारा बनायी गयी है वहां के कार्यकर्ताओं के उत्साह को ध्यान में रखते हुये इस पुल को सरकार बनाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब साधन हमारे पास हो जायंगे । प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर श्रमदान का कार्य हो रहा है और सभी जगह पक्के पुल या पक्की सड़क बनाने के लिये बहुत धन की आवश्यकता है । उत्तरोत्तर प्रदेशीय सरकार इस प्रयास में है कि उसके साधन बढ़ें और ज्यों-ज्यों साधन बढ़ते जायंगे श्रमदान की सड़कें और वहां की दूसरी कच्ची सड़कें जिनको पक्का करना है, पक्का किया जायगा और जहां पर पक्के पुल बनने हैं उनकी भी व्यवस्था साधन की बुनियाद होने पर आइन्दा की जायगी ।

श्री नत्थूसिंह—यह सरकार द्वारा जो रुपया दिया गया है वह किस काम में व्यय किया गया ?

श्री फूलसिंह—२ पुलियों और एक रिपिट बनाने के लिए ।

श्री रामचरनलाल गंगवार (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि सड़कों पर जो श्रमदान का काम किया गया है उसकी लागत का तखमीना किसके द्वारा किया गया था ?

श्री फूलसिंह—इंजीनियरों के द्वारा ।

श्री रामचरनलाल गंगवार—क्या सरकार के पास शिकायत आई है कि वह तखमीना वास्तविक लागत के आधे से भी कम है ?

श्री फूलसिंह—नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार के पास इस तरह की तालिका है कि प्रदेश में श्रमदान और टेस्ट वर्क्स द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं उनको पक्का करने में कितना समय लगेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो करोड़ों की व्यवस्था है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार इस प्रकार के प्रश्न को निश्चित रूप से निर्णय करने की कृपा करेगी कि श्रमदान की सड़कों को जल्दी से जल्दी पक्का किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक जल्द से जल्द पक्का करने का विषय है यह सब हमारे साधनों के ऊपर है। वह बढ़े हुए होंगे तो वह जल्दी बन सकेगी, किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार कर रहे हैं उसके तहत में प्रत्येक सड़क पक्की हो जाय, उसकी आशा अभी नहीं है।

श्री नत्थूसिंह—सरकार द्वारा जो ३१ हजार रुपया दिया जाने वाला है वह कब तक दिया जायगा और किन-किन कार्यों में व्यय होगा ?

श्री फूलसिंह—अभी तो यही प्रश्न विचाराधीन है कि वह रुपया दिया भी जाय या नहीं?

अतारांकित प्रश्न

आज़मगढ़ जिले के देहाती क्षेत्रों को चिकित्सा सुविधायें देने का प्रयास

१—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बताने का कष्ट करेंगे कि आजमगढ़ जिले के देहाती क्षेत्रों में इस वर्ष कितने आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक चिकित्सालय कहां-कहां खोलवाने की योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आयुर्वेदिक अस्पतालों के खुलवाने के लिये अभी स्थानों का निर्णय नहीं हुआ। एक मर्दाना एलोपैथिक अस्पताल बड़हलगंज बाजार में तथा एक जनाना एलोपैथिक अस्पताल मऊ में खोला जा रहा है।

आज़मगढ़ ज़िले में ताड़ से गुड़ बनाना

*२—श्री व्रजविहारी मिश्र—(अनुपस्थित) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में भी ताड़ से गुड़ बनाने की कोई योजना लागू करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस जिले में यह योजना लागू करने का प्रश्न विचारधीन नहीं है।

श्री राजनारायण द्वारा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक श्री राजनारायण जी का है। मैं उसको पढ़कर सुनाना नहीं चाहता हूं और अनुमति भी नहीं देता हूं कि यह उपस्थित किया जाय, क्योंकि इसकी भाषा में समझता हूं जो इस सदन की परिपाटी, कामरोको प्रस्ताव और अन्य प्रस्ताव की भाषा के सम्बन्ध में है, उसके अनुकूल नहीं है।

आठवीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र दिये बिना अभ्यार्थियों को १९५६ की हाई स्कूल परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री रामसुन्दर पांडेय जी का है। वह इस प्रकार है—"माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयाग द्वारा इस आदेश पर कि सन् १९५५ में हाई स्कूल परीक्षा में अनट्रेन्ड छात्र भी बिना आठवीं क्लास उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दिये सन् १९५६ की हाई स्कूल की परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, इससे प्रदेश के लगभग १ लाख छात्रों में और उनके अभिभावकों में चिन्ता, असंतोष एवं उक्त आदेश से सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई है और उससे शान्ति भंग की आशंका बढ़ गई है। अतएव इस विकट परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

इस सम्बन्ध में कोई आदेश है या नहीं, या यह वाकयात सही है इस बारे में मुझे पता नहीं है। यह महत्व का विषय मालूम होता है और निश्चित भी है लेकिन यह वाकयात जो हैं यह सही है कि इनके बारे में निश्चितता है। तो मैं इस सम्बन्ध में एक बात और कह देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न माननीय भगवान सहाय जी ने पहले भेजे थे और वह स्वीकृति हो चुके हैं और ३० तारीख के लिये रखे गये हैं जवाब देने के लिये। इसी प्रकार के प्रश्न अन्य सदस्यों ने भी पूछे थे, जिनको मैंने इसलिये अस्वीकृत कर दिया चूंकि भगवान सहाय के प्रश्न स्वीकृति हो चुके थे। अब ३० तारीख को यह निश्चय हुआ है कि अब सदन नहीं बैठेगा। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि बजाय तीस के २९ तारीख को वह इसका जवाब दे दें तो अच्छा है। मैंने अपने दफ्तर को यह भी हिदायत कर दी है कि आपके पास तीस के बजाय २९ को उत्तर देने के लिये तजवीज कर दें। ऐसी हालत में वाकयात पर छोटे-मोटे उत्तर आ जायेंगे। तब इसके बाद इस कामरोको प्रस्ताव के विषय में विवाद का और भी तरीका हो सकेगा कि आध घंटा इस पर बहस हो जाय, या मैं जैसा उचित समझूं वैसा निर्णय उस समय कर दूंगा कि आया यह कामरोको प्रस्ताव स्वीकार किया जाय या न किया जाय? इस समय इसकी मैं इजाजत अनिश्चित बात होने से नहीं देता हूं।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मैंने स्पेशल पावर्स ऐक्ट से सम्बन्धित जुर्माने के बारे में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिये थे और इस सदन में दो बार उस सम्बन्ध में निवेदन भी किया था, और माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां एक बार उपस्थित भी हुआ था और उनसे निवेदन किया था। लेकिन आज तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ!

श्री अध्यक्ष—किस सम्बन्ध में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न किये थे?

श्री राजनारायण—स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अन्दर जुर्माने हुए थे और उसे हाई कोर्ट ने अवैधानिक करार दे दिया था।

श्री अध्यक्ष—इस बारे में आपने यदि सवाल किये थे तो आप मेरे दफ्तर में आकर फाइल देख सकते हैं, मुमकिन है कि वे स्वीकार न किये गये हों।

श्री राजनारायण—मंत्री जी को अगर मालूम हो तो वे ही बतला दें।

श्री अध्यक्ष—यह तरीका नहीं है। आप ही खाली नहीं हैं, और सदस्य भी इसी प्रकार के प्रश्न इसी तरह से पूछ सकते हैं यदि आपको मैं इस प्रश्न को पूछने की इजाजत दूं।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थिति के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—दूसरा निवेदन यह है कि आपको सर्वाधिकार सुरक्षित है, लेकिन मैंने जो कामरोको प्रस्ताव दिया था उसकी भाषा .....

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में अब कोई जिक्र नहीं हो सकता। वह तो खत्म हो चुका। अगर उसके सम्बन्ध में कुछ कहना है तो मेरे दफ्तर में आकर आप बात कर लें।

श्री राजनारायण—मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद में जो विषम परिस्थिति है .....

श्री अध्यक्ष—मैं आपको वक्तव्य देने या प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं देता। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हालत है उसके सम्बन्ध में शायद एक दिन आपने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि वे सदन में व्याख्यान दें और जो अखबारों में खबर निकल रही है उससे ऐसा मालम होता है..

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में मैं पूछे लेता हूं। माननीय मुख्य मत्री अगर इस सम्बन्ध में कुछ वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मुझे जहां तक मालूम है इससे पहले कोई बात ऐसी नहीं आयी थी कि मैं यहां वक्तव्य दूंगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत है उसे मैं बतला सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या यह सदन चाहता है कि माननीय मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें इसी वक्त, या शिक्षा मंत्री के उत्तर देने के बाद ?

श्री राजनारायण—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद के सम्बन्ध में ही मैंने कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया था। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई भाषण करते हैं और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक कोई असंगत बात है और उनकी तरफ से किसी बात को छिपाने का प्रयत्न हो तो मुझे मौका दिया जाय कि मैं अपनी सम्मत्ति प्रकट कर सकूं।

श्री अध्यक्ष—वक्तव्य अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर बहस की इजाजत नहीं दूंगा। यह हो सकता है कि वे वक्तव्य न दें। आपको आपत्ति हो तो उनको तकलीफ देने के लिये मैं तैयार नहीं हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर मेरी जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से वस्तुस्थिति को छिपाने का प्रयत्न होता है तो . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से काल्पनिक बातों को सोचकर ऐसे शब्द इस्तेमाल होंगे जैसे आपने कहा "छिपाने का प्रयत्न" तो मैं समझता हूं कि यहां पर सदन की प्रतिष्ठा कायम नहीं रह सकती है। यदि आप यह कल्पना ही कर लें कि यदि आप किसी के बारे में यह कहें कि "यदि आप बेईमानी करने वाले हों तो हम ऐसा करेंगे" तो यह भाषा इस सदन की प्रतिष्ठा के विपरीत होगी। मैं समझता हूं कि "छिपाने" का शब्द जो आप इस्तेमाल करते हैं वह अनुचित है। आप यह कह सकते हैं कि "यदि आप गलत बात कहें तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा" लेकिन इन वाक्यों को कहना कि "यदि छिपाने का प्रयत्न किया जाय तो मैं जवाब देना चाहूंगा" यह वाक्य अनुचित हैं।

श्री राजनारायण—लेकिन जो बात मेरे दृष्टिकोण में गलत हो ?

श्री अध्यक्ष—मैं नीयत पर हमला नहीं करने दूंगा।

श्री राजनारायण—मैं पहले ही बतला चुका हूं कि जो वास्तविकता घटती है मैं उसी को कहूंगा। कोई आदमी बेईमान है या ईमानदार है इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—ऐसी अवस्था में मैं इसकी अभी कोई इजाजत नहीं देता हूं कि कोई स्टेटमेंट अभी इस विषय में दिया जाय।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों के (वेतन तथा और भत्तों प्रकीर्ण उपबन्धों का) विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सचिवों के (वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों का) विधेयक, १९५५ जो विधान सभा की ११ फरवरी, १९५५ की बैठक में पुरः स्थापित किया गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि यह विधेयक पुरःस्थापित करने की क्या आवश्यकता पड़ी, और आज जो वापस लेने की आज्ञा मांगी जाती है उसके क्या कारण हैं?

वापस लेने के केवल तीन कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि सरकार का निश्चय अनिश्चय के बराबर था, या उसमें कोई ऐसी सिद्धांत की गलती थी जिसको सरकार ने पहले महसूस नहीं किया और बाद में जब मालूम हुआ कि गलती हो गयी तो उसके आधार पर वापस लेने का कोई विचार हो। अगर कोई संशोधन करने का विचार है तो सेलेक्ट कमेटी में भी कर सकते हैं, इस सदन में भी संशोधन हो सकते हैं। तीसरे यह हो सकता है कि सरकार का इस सम्बन्ध में कोई विधान, जो संशोधित करने का इरादा था वह इरादा ही छोड़ दिया हो? ये तीन प्रकार के विचार हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं क्योंकि यह एक बड़ी प्रथा सी होने लगी है कि विधेयक पुरःस्थापित किये जायं और बाद में वापस ले लिये जायं। हमें इस प्रथा को रोकना है। इसलिये यह आवश्यक है कि आप इस सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा प्रदान करें।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस किस्म की मिसालें तो बहुत कम होंगी जिनमें कि सरकार की तरफ से कोई विधेयक उपस्थित किया गया हो और उसको वापस लेने की इजाजत मांगी गयी हो। कभी कभी ऐसा जरूर हो सकता है। प्रायः तो ऐसा नहीं होता। हमारा विचार निश्चय इस सम्बन्ध में एक विधेयक उपस्थित करने का है, और जब वह उपस्थित होगा तो उस वक्त सदन के सामने यह बात आ जायेगी कि उपस्थित करने की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ कानूनी दिक्कतें ऐसी हुई जिनकी वजह से उसको पेश करना पड़ा है। जब वक्त होगा तो पेश करेंगे। हमने एक विधेयक यहां पुरःस्थापित किया लेकिन फिर गौर करने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें कुछ खामियां रह गयी हैं, और इसके बदले की वह सेलेक्ट कमेटी में जाय, या सदन में कोई संशोधन पेश हो, जब हमारी समझ में खुद आ गया कि इसमें कुछ खामियां हैं तो हमने उचित समझा कि सदन का खामखां समय नष्ट न करें, और जिस रूप में हम ठीक समझते हैं उसको उस रूप में उपस्थित कर दें। इसलिये सदन से प्रार्थना की जा रही है कि इसको वापस लेने की अनुमति दे दी जाय।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी इसी तरह का एक बिल आया था, नागर क्षेत्र जमींदारी बिल, जिसमें वह बिल वापस लिया गया था। उस समय उसके स्थान पर एक दूसरा बिल रखा गया। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिल को वापस ले लेंगे और संशोधित रूप में रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि अधिक उपयुक्त यह होता जिस रूप में बिल आना होता उसी रूप में रख दिया जाता और वह सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता, बजाय इसके कि इसको वापस लिया जाय ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस विधेयक को वापस लेने की हम लोगों को खुशी है । कोई नाखुशी इस पर नहीं है और मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये कोई बहुत प्रतिष्ठा की वृद्धि हमारी नहीं हो रही थी और उससे हमारे ऊपर देश की अवस्था से कुछ दूर जाने का आरोप भी लगाया जा सकता था । मगर जो उन्होंने अभी ये शब्द कहे कि कुछ कानूनी दिक्कतों की वजह से उस विधेयक को वापस लिया गया है, मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद जो उसका आर्थिक पहलू है उस आर्थिक पहलू की तरह ध्यान नहीं है । और इसके आर्थिक पहलू की वजह से, उन दिक्कतों की वजह से यह विधेयक वापस नहीं लिया गया है बल्कि कुछ कानूनी दिक्कतें हैं उसकी वजह से यह वापस लिया गया है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने शायद साफ नहीं किया । जब नारायणदत्त जी ने पूछा था कि वापस क्यों किया गया तो मैंने कहा था कि इसको हम सुधारना चाहते हैं और कुछ कानूनी दिक्कतें हैं कि जिनकी वजह से कोई न कोई ऐसा विधेयक पेश करना ही होगा ।

श्री गेंदासिंह—धन्यवाद देता हूं, और मैं बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि इस तरह के विधेयक को सरकार ने वापस लिया ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, यह विधेयक प्रस्तुत हुआ और इस विधेयक पर सारे प्रान्त में चर्चा हुआ । हर जगह, ट्रेन में, बस में, चलते हुये कांग्रेसी सदस्यों ने इसका चर्चा किया, और अब माननीय मंत्री जी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम दूसरा विधेयक लायेंगे ! मैं समझता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी ने आवश्यकता से अधिक धन्यवाद दे दिया । क्योंकि अगर यह होता कि ऐसा विधेयक अब आयेगा ही नहीं तब तो सही में वह धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन पहले ही वह इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है । मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर से कोई ऐसा दूसरा विधेयक आने वाला है क्योंकि सेलेक्ट कमेटी में भी ले जाने की बात आयी है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो स्पष्ट है कि कानून की आवश्यकता है और कोई न कोई विधेयक लाया जायगा । पूछने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राजनारायण—तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या महज टेक्निकल और कानूनी दिक्कतों को दूर करने के लिये इस प्रकार का दूसरा विधेयक लाया जायगा, या इतने बढ़े खर्च को बढ़ाने के लिये कोई दूसरा विधेयक आयेगा ? क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि कानूनी दिक्कतों को दूर करने के लिये कोई विधेयक आयेगा, लेकिन खजाने पर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा । अगर खजाने पर कोई बोझ बढ़ा तो मैं उसके पक्ष में नहीं रहूंगा । अगर सरकार की ओर से इस विधेयक को वापस ले कर कोई दूसरा विधेयक सिर्फ इसलिये आ रहा है कि कानूनी दिक्कतें दूर हों और उससे खजाने पर कोई बोझ नहीं बढ़े, तब तो ठीक है, सरकार की इच्छा है, वह ला सकती है, हम उसे रोक नहीं सकते । किन्तु हम अपने जजबात को प्रदर्शित करते हुये यह बतलाना चाहते हैं कि अगर एक पैसा भी खर्च में बढ़ोत्तरी हुयी और जनता के ऊपर उसका भार अधिक पड़ा तो उसका बुरा असर पड़ेगा ।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न था, यह सही है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा था, और माननीय गेंदासिंह जी ने जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

धन्यवाद दिया वह इसलिये दिया कि जो बोझ खजाने पर बढ़ रहा था, वह इसके वापस लेने से नहीं बढ़ेगा। माननीय राजनारायण जी ने यह पहले से ही सोच लिया कि जो दूसरा विधेयक आयेगा उससे भी खजाने पर असर पड़ेगा। पता नहीं यह उन्होंने दूसरा विधेयक आने से पहले ही कैसे समझ लिया? जब सरकार ऐसा कोई दूसरा विधेयक बनायेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर खजाने पर बोझ बढ़ने वाला कोई दूसरा विधेयक आयेगा तो हम उसका विरोध करगे और उन्हें धन्यवाद नहीं देंगे, लेकिन इस वक्त जो विधेयक सरकार वापस ले रही है उसमें आपको बुरा लगने की चीज नहीं है। और न हमारा यह सिद्धांत होना चाहिये कि कोई अच्छा काम भी हो तो उस पर धन्यवाद न देकर ४ गालियां ही दी जायं। तो मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक वापस लिया जा रहा है यह ठीक है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आशा करूंगा कि वह जो दूसरा विधेयक लाये उसमें खजाने पर कोई ज्यादा बोझ नहीं बढ़ना चाहिये।

श्री राजनारायण—मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—पर्सनल उन्होंने कोई हमला नहीं किया। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—मेरी यह मनोवृत्ति नहीं है कि मैं धन्यवाद दूं।

श्री अध्यक्ष—आप अपने भाषण के समय में फिर धन्यवाद दे लीजियेगा।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, इसकी स्थिति तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर ही दी है और इससे अधिक मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं महसूस होती।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभासचिवों के (वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों का) विधेयक, १९५५, जो विधान सभा की ११ फरवरी, १९५५ की बैठक में पुरःस्थापित किया गया था, वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में कृत संशोधनों पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधनों पर, जो १२ फरवरी तथा २ दिसम्बर, १९५४ एवं १० फरवरी १९५५ की सदन की मेज पर रखे गये विवाद जारी होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, कुछ माननीय मंत्री जी नियमों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे क्या? उद्देश्य पर या कुछ.....

श्री अध्यक्ष—यह कोई आवश्यक नहीं, अगर उनको भाषण करना होता तो करते।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं जानकारी हांसिल करना चाहता हूं।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो नियमों में परिवर्तन हैं यह कुछ थोड़े से रूल्स बढ़ाये जा रहे हैं जिससे ट्रैफिक में ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। एक तो इसमें यह है कि जो लाइसेंसर्स सीखते हैं, लाइसेंस लेते हैं, उनका अगर लाइसेंस खो जाय तो उस पर अभी कोई प्राविजन नहीं था, उसमें प्राविजन कर दिया जाय कि उसको दूसरा लाइसेंस मिल सके। दूसरे इसी में एक रूल ८३ है जो फीस की बाबत था, उसमें परिवर्तन कुछ थोड़ा सा किया गया है इस लाइसेंस की बाबत।

इसी तरह से एक मोटर जिसमें कि लेफ्ट हैन्ड ड्राइव व्हील (left hand drive) हो तो उसका प्राविजन नहीं था कि उसका कोई साइन होना चाहिये। उसके लिये यह किया गया कि उसमें लैफ्ट हैन्ड ड्राइव लिखा होना चाहिये। और कुछ एक (authorized) एजेन्ट का अभी इसमें प्राविजन था लेकिन वह डिफाइन्ड नहीं था, उसको डिफाइन करने का एक रूल बनाया गया है। इसी तरह से इसमें थोड़े से परिवर्तन और हैं। एक तो ट्रैक्टर्स चलते हैं, उनके चलने की वजह से जरा सेफ्टी कम हो जाती है ट्रैफिक में। तो उनके लिये कुछ रूल्स बनाये गये हैं कि ट्रैक्टर्स कितनी रफ्तार से चलें? उनमें ट्रैक्टर्स कौन से चल सकते हैं रोड पर, कौन न चलें, यह उसमें थोड़ा प्रतिबन्ध रखा गया है। तो यह रूल ज्यादातर ट्रैफिक में एक सहूलियत करने के लिये रखे गये हैं और माननीय सदस्य जो बात कहेंगे, अगर कोई सुझाव देंगे तो उनका मैं बाद में उत्तर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—(माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी से)—आपने कोई संशोधन भेजे हैं, उन संशोधनों की नकल आपने भेज दी है? माल मंत्री को कोई आपत्ति तो नहीं है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी-अभी सबेरे शम्भूनाथ जी ने मुझको दिये, आपके यहां से भी मिले। तो मैं यह समझता हूं कि उसमें अभी इतनी जल्दी तो विचार नहीं कर सकता। लेकिन अगर अध्यक्ष महोदय कोई दूसरा हुक्म देंगे तो .....

श्री अध्यक्ष—नहीं, मैं कोई हुक्म नहीं दूंगा। अगर आपको कोई आपत्ति होगी तो इन संशोधनों को मैं नहीं लूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कल हमारी ओर से ५ संशोधन दिये गये थे और माननीय मंत्री जी का ही विभाग था। तो कल तो आपका हमारे संशोधनों के लिये आपत्ति हो गयी और आज आप आपत्ति नहीं कर रहे हैं? क्या कुछ डिस्क्रीमिनेशन की भावना तो माननीय मंत्री जी के मन में नहीं है? श्रीमन्, हमारी यह परम्परा रही है कि कोई संशोधन सदस्य देता है तो वह समय पर न आने पर भी स्वीकृत करने का परम्परा रही है चाहे वह सरकार की ओर से हो, चाहे किसी की तरफ से हो। लेकिन कल की ही बात है, केवल ५ संशोधन हमारे थे और उन पर इसीलिये विचार नहीं हो सका।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने यह कहा था कि मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं होगी लेकिन इसके यह माने नहीं कि हम उन्हें मंजूर करने जा रहे हैं। इसलिये अगर माननीय नारायणदत्त जी को यह शंका हो कि वह कुछ मेरी तरफ से संशोधन आये हैं ऐसी बात नहीं है। कल जो संशोधन आये थे उनमें और इनमें फर्क यह था कि कल जो आपने संशोधन दिये थे वह जब बहस शुरू हो गयी थी उसी वक्त में वह संशोधन दिये गये थे, लिहाजा उन पर विचार करने का अवसर नहीं मिल सका था और यह जो संशोधन आज माननीय शम्भूनाथ जी ने दिये हैं यह मुझे ११ बजे से कुछ पहले मिल गये थे। तो थोड़ा सा यह अन्तर है और मैंने इन्हें देख लिया है, इनका जवाब मैं दे सकता हूं। वैसे मुझे इसमें भी आपत्ति तो है कि पूरा विचार नहीं हो सका लेकिन .....

श्री अध्यक्ष—लेकिन आपने आपत्ति तो नहीं की।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, देर आयद दुरुस्त आयद। अगर इस वक्त भी यह सोचा गया कि वह संशोधन लिया जा सकता है तो कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी, आप पेश कर दें। इसके बाद इसके ऊपर विवाद शुरू होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—एक नकल हमको भी दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष—हां। उसे मैं करा के भेज दूंगा।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—एक नकल वैसे मेरे पास और है तो, लेकिन वह कुछ.....

श्री अध्यक्ष—आप पहले अपने संशोधन को पेश कर दीजिये फिर नकल भेज दीजियेगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—सेक्शन 189 A....

श्री अध्यक्ष—यह आपको हिन्दी में ही देना होगा। आपने अंग्रेजी में दिये हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मैं उसकी हिन्दी किये देता हूं।

प्रस्तावित रूल 189—A की पंक्ति १ में शब्द "Tractor" और "Shall" के बीच में निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :—

"towing a trailer exceeding half a ton in weight unladen" और शब्द "or" से "thereon" तक का जितना वाक्यांश है वह सब निकाल दिया जाय।

दूसरे पैरे की प्रथम पंक्ति में शब्द "every" और "tractor" के बीच में शब्द "such" रख दिया जाय और शब्द "tractor" और "when" के बीच में "and trailer" रख दिया जाय।

दूसरा संशोधन है सेक्शन 200-A के बाद निम्नलिखित सेक्शन 200-B बढ़ा दिया जाय :—

"No person shall efface, deface, remove or alter the position of any traffic sign erected under sub-section (1) of section 75 of the Act."

श्री अध्यक्ष—यह सेक्शन है कि रूल है ?

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—रूल है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—एक-एक रूल में एक-एक संशोधन ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि जनरल डिस्कशन है यह, मैं सब संशोधनों को एक-एक के बाद एक साथ ले लेता हूं और उसके बाद जब संशोधनों पर राय लेने का प्रश्न आयेगा तो अलग अलग वे रख दिये जायेंगे।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—रूल 205—A में केवल एक शाब्दिक संशोधन है और वह यह कि शब्द "and" के स्थान पर शब्द "if it is" रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह तरीका मैंने इसलिए रखा है श्री नारायणदत्त जी और श्री कालेन्दुशाह आप कृपा करके सुनें। यह मैंने तरीका इसलिए रखा एक साथ पेश करने का कि मेरे पास पहिले इनका नोटिस नहीं आया था। अगर मेरे दफतर में नोटिस आ जाता तो अलग-अलग करके छप जाते और मेरे लिए दिक्कत न पड़ती। लेकिन अगर इस तरह का एक संशोधन अचानक आ जाय तो फिर यह तरीका है कि मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि १० दफा बोलने के लिए हर सदस्य को मौका दूं यानी कहूं एक संशोधन पर और फिर दूसरे पर। तो ऐसा मौका न पैदा हो इसलिए मैंने एक साथ रखने के लिए कहा।

इसलिए एक साथ आप बाद में उन पर भाषण दें।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय रूल १८९-ए इस प्रकार है—

"No tractor shall be driven on a public road at a speed exceeding six miles per hour or shall take sharp turns thereon."

(2) Every tractor, when driven on a metalled road, shall be driven as far as possible on the side strips of such road."

मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि कोई ट्रैक्टर जिसके साथ में आधे टन से ज्यादा वजन का ट्रेलर लगा हुआ हो उसी पर यह नियम लागू हो। मैंने संशोधन इस वजह से रखा है कि ट्रैक्टर अनेक प्रकार के हैं और अधिकतर उनमें ऐसी डिवाइसेज लगी हुई हैं कि वह १२–१३ मील से ज्यादा नहीं भाग सकते हैं। कुछ ट्रैक्टर्स बहुत छोटे हैं और उनमें न्यूमैटिक टायर्स लगे हुए हैं, जीप से भी हल्के हैं। उन ट्रैक्टरों का चलना सड़कों पर बन्द कर दिया जाय और वह पटरी पर चलें और ६ मील की रफ्तार से ज्यादा न भागें, यह मुझे कुछ तर्क-युक्त बात नहीं मालूम हुई। जिस सड़क के ऊपर तीन-तीन टन की भरी हुई गाड़ियां और ठेले चलते हैं, और जीप भी टेलर के साथ चलती है उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं, तब इन ट्रैक्टरों पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया जाता है? हो सकता है कि थोड़ा बहुत इससे कंजेशन होता हो, लेकिन देहात में इतनी लम्बी चौड़ी सड़कें पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर बिला वजह अगर ट्रैक्टरों के लिए कहा जाय कि पटरी पर चलें जबकि वह खाली जा रहे हों तो इसमें सड़क के ऊपर बोझ पड़ जायगा। इसी कारण से मैं यही संशोधन लाया हूं। अगर इसमें ऐसी भी बात होती कि किसी शहर या कस्बे के बीच में यह बात लागू की जाती तब भी समझ में बात आती थी लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि १२-१३ मील प्रति घन्टा से ज्यादा साधारण ट्रैक्टर की चाल नहीं होती है, उसकी रफ्तार कम होती है। छोटे-छोटे ट्रैक्टर्स जो २० हार्स पावर के हैं उनमें न्यूमैटिक टायर्स हैं उनके ऊपर क्यों यह प्रतिबन्ध है? इसलिये मैंने संशोधन में यह रखा है कि अगर उस ट्रैक्टर के साथ कोई ट्रेलर लगा हुआ हो, जिसका अनलेड़न वेट आधे टन से ज्यादा हो तो उस पर यह प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है कि वह ६ मील की रफ्तार से ज्यादा न भागे और वही पटरी पर चले।

इसमें एक बात और यह लिखी हुई है कि "आर शैल टेक शार्प टर्न्स" तो किसी के दिमाग में खामख्वाह पागलपन तो नहीं है कि ट्रैक्टर को सड़क पर नचायेगा! जहां मोड़ने की जगह होगी वहां आसानी से मोड़ेगा। ड्राइवर को कम से कम अपनी जान की फिकर तो रहेगी ही। कोई वजह नहीं कि वह शार्प टर्न्स लेगा, खास कर जबकि स्पीड कम है तो शार्प टर्न लेने की सम्भावना ही नहीं रहती इस तरह यह भी बात समझ में नहीं आती।

अब अगर यह प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं तो बिला वजह जो लोग देहात में ट्रैक्टरों से थोड़ी बहुत खेती करते हैं और जिनको ट्रैक्टरों को लेकर मंडियों वगैरह तक जाना होता है, वह अगर १५ मिनट का रास्ता होगा तो उसके लिए उन्हें आधा घंटा या ४५ मिनट खर्च करने होंगे, और इससे काम में रुकावट पड़ेगी। और तो मैं समझता हूं कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है इसलिये नुकसान ही होने वाला है। इसलिये मैंने यह पहला संशोधन प्रस्तुत किया है।

दूसरा जो संशोधन है उसमें एक नया भाग जोड़ने के लिये मैंने प्रार्थना की है। प्रस्तुत संशोधन इस प्रकार है:—

"No person shall place or erect or cause or allow to be placed or erected on any road, any sign or advertisement which, in the opinion of the District Magistrate or S. P. or R. A. is sosimilar in appearance to a traffic sign as to be misleading."

यानी कोई व्यक्ति दूसरा नोटिस बोर्ड इस तरह से नहीं लगायेगा कि जिससे जो वहां पर ट्रैफिक साइन लगा हो वह ढक जाय या उससे इतना मिलता जुलता हो कि जिससे यात्रियों को गलतफहमी हो जाय और वह उसे ही ट्रैफिक साइन समझ ले। इतना तो प्राविजन कर दिया गया लेकिन जो रोज होने वाली बात है उसके बारे में मेरा ऐसा ख्याल है कि विभाग ने कुछ नहीं सोचा। देहातों में जो ट्रैफिक साइन्स लगे हुये हैं वे या तो कहीं उखड़े या उल्टे पड़े हुये या बिगड़े हुए मिलते हैं। लेकिन इसके लिये विभाग ने इसमें

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

कोई प्राविजन नहीं किया है। इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव किया है कि नया रूल २०० बी० इस प्रकार बढा दिया जाय:

"No person shall efface, deface, remove or alter the position of any traffic sign erected under sub-section (1) of section 75 of the Act."

तीसरा संशोधन, अध्यक्ष महोदय, रूल २०५ में है। इसमें लिखा है :—

"No tractor shall draw on a public road a trailer exceeding half a ton in weight unladen and fitted with solid steel wheels less than two feet in diameter.

इस रूल को पढकर मुझे तो कुछ भ्रम मालूम हुआ क्योंकि इसकी भाषा स्पष्ट नहीं है। इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। एक तो यह कि आधे टन से ज्यादा भारी ठेले को लिये हुये कोई ट्रैक्टर पब्लिक रोड पर नहीं चलेगा और कोई ट्रैक्टर पब्लिक रोड पर नहीं चलेगा जिसमें कि स्टील व्हील दो फीट से कम डाइमीटर के हों। एक तो यह माने हुये, और दूसरे मैं समझता हूं शायद डिपार्टमेन्ट की जो मंशा है वह यह कि अगर उसमें आधे टन से ज्यादा भारी ट्रैलर लगा हुआ हो तो उस ट्रेलर के पहियों का डाइमिटर दो फ ट से कम का नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा हो तो वह नहीं चल सकेगा। मैं समझता हूं कि अगर "and" की जगह "if it is" रख दिया जाय तो यह ज्यादा स्पष्ट भाषा हो जायगी और यह इस तरह से हो जायगा :

"No tractor shall draw on a public road a trailer exceeding half a ton in weight unladen if it is fitted with steel wheels less than two feet in diameter."

अगर दूसरा तात्पर्य है तो मैं समझता हूं कि शब्द 'or' का प्रयोग होना चाहिये बजाय 'and' के जिसका कि प्रयोग किया गया है। यह मेरा तीसरा संशोधन है।

मैं समझता हूं कि ये तीनों ही संशोधन ऐसे हैं कि जिसमें एक के द्वारा तो मैंने एक त्रुटि कि पूर्ति की है, और एक में जो भाषा अस्पष्ट थी उसको स्पष्ट किया है और तीसरे में, जिनके पास ट्रैक्टर है उनके कार्य में बाधा व रुकावट की जो सम्भावना है उसे दूर करने का प्रयत्न किया है। मुझे आशा है कि तीनों में कोई ऐसी उलझन की बात नहीं है कि किसी को उनकी स्वीकृति में आपत्ति हो सके।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सम्मुख सरकार की ९ विज्ञप्तियां हैं, जो विचाराधीन हैं, जिनके द्वारा पिछले साल में समय समय पर मोटर वेहीकिल्स ऐक्ट के नियमों में संशोधन किया गया है। यह भिन्न भिन्न विषयों के संबंध में है और वह मोटर वेहीकिल्स ऐक्ट और उसके नियमों की विभिन्न परिभाषाओं तक हमें ले जाते हैं और उनमें व्योरे के अनेक विषय ऐसे हैं जिनको अगर गहराई से देखा जायगा तो हमें मोटर वेहीकिल्स ऐक्ट और उसके नियमों में जो कमजोरी है, उनकी सीमा तक पहुंच जाते हैं।

मैं इस समय जहां तक मोटर वेहीकिल्स ऐक्ट का संबंध है, कुछ नहीं कहना चाहता हूं केवल एक सूचना के लिये इतना इंगित कर देना उचित समझता हूं कि जैसा यह ऐक्ट है और जिस आधार पर है उसके आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर माननीय मंत्री जी विचार करे और शायद राज्य सरकार की राय होगी और यह ऐक्ट जैसा कि आज है, उससे न तो मोटर मालिकों को संतोष है, न मोटर कर्मचारियों को संतोष है, और जो यात्री है या जो गुड्स ट्रैफिक में डील करते है उनको ही संतोष है और वह सब इस ऐक्ट की परिभाषाओं और सिद्धान्त से असहमत है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं पहली बात यह कहना चाहूंगा कि नियमों को आप रोजाना संशोधित कर रहे हैं लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप केन्द्रीय सरकार को मजबूर करे कि वह कम से कम इस ऐक्ट को संशोधित करने के लिये तैयार हो। जहां तक मुझे मालूम हुआ है कई बार यह आश्वासन भी दिया गया है कि यह ऐक्ट संशोधित होगा। नियम जब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक ऐक्ट संशोधित न हो क्योंकि नियम तो ऐक्ट के ही आधारभूत हैं। इसलिये जब तक ऐक्ट नहीं बदलता नियमों में संशोधन होना कोई माने नहीं रखता। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसके सिद्धान्त के विषय पर पुनः विचार करे और उनके संशोधन करने की कृपा करें।

जहां तक नियमों का संबंध है, यह नियम दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। एक तो वह कि जिनके संबंध में कोई मतभेद नहीं हो सकता है और जो आवश्यक ही नहीं बल्कि परम आवश्यक है और आज नहीं बल्कि आज से बहुत पहले हो जाने चाहिये थे और दूसरे कुछ नियम ऐसे हैं जिनकी या तो आवश्यकता नहीं है या जिस ढंग से वह रखे जा रहे हैं, वह उपादेय नहीं माने जा सकते हैं यानी उनका उपयोग सीमित हो जाता है।

अब मैं संक्षेप में अलग अलग नियमों को लूंगा। संशोधन भी हमारे सामने हैं और नियम भी हमारे सामने हैं। एक १३१(ए) जो संशोधन किया जा रहा है, जिसमें एक मोटरगाड़ी है अगर उसका स्टीअरिंग कंट्रोल दायें के बजाय बायें तरफ है तो गाड़ी के पीछे लिखा होगा। "लैफ्ट हैंड डाइव" ताकि पीछे आने वाली गाड़ियों को मालूम हो जाय कि इस गाड़ी का स्टीअरिंग कंट्रोल बांई तरफ है जिससे दुर्घटना को रोका जा सके और इसमें बतलाया गया है कि वह किस रंग में होगा। इसमें किसी को विरोध नहीं हो सकता है और यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था। यह बहुत देर में हुआ यह मेरी इसके संबंध में शिकायत है।

अब नियम २०० (ए) है, यह एक संशोधन माननीय मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें हमारे मित्र शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी ने भी संशोधन प्रस्तुत किया है। आप देखेंगे कि नियम २०० यह है कि यह ड्राइवर को आदेश देता है कि जो ट्रैफिक का साइन है वह बायें तरफ दिखाये या सीधी तरफ दिखाये ?

कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाते समय उन निशानों का ख्याल रखेगा। यह व्यवस्था नियम २०० के अन्दर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसी किस्म का नया साइन बोर्ड खड़ा कर देता है और ऐसा चिन्ह लगा देता है जो उन चिन्हों के ही सभावर्ती हो, मिसाल के लिये कोई पुल का साइन बोर्ड है, तो उसको देखकर ड्राइवर को गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिये। तो ऐसे ही चिन्ह अगर अपनी दुकान पर लगा देता है तो उससे क्या हो सकता है? उससे उस ड्राइवर को गलतफहमी हो सकती है। यदि कोई इस प्रकार का संशोधन आ जाय कि ऐसे साइन बोर्ड कोई नहीं लगा सकता है जो ट्रैफिक के निशानों से मिलते जुलते हों, यदि यह संशोधन हो जाय तो ठीक बात है और यह आवश्यक है। लेकिन मैं इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। कभी-कभी सरकार स्वयं भी दोषी हो जाती है। सरकार के साइनबोर्ड भी कभी-कभी ट्रैफिक साइन बोर्ड की ही तरह हो जाते हैं। यहीं लखनऊ में ही कई निशान इस तरह से देखे जाते हैं और उनसे भी कभी-कभी भ्रम हो जाता है चाहे उसको म्युनिसिपल बोर्ड लगाता हो या सरकार लगाती हो लेकिन मैं नहीं जानता कि इसमें जो "नो परसन" आया है वह सरकार पर भी लागू है या नहीं? यह इससे स्पष्ट नहीं होता।

जहां तक श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी के संशोधन का सम्बन्ध है वह इसमें एक नया परिच्छेद बढ़ाना चाहते हैं। २००—बी के नाम से वह अलग बढ़ाना चाहते हैं जिसके आधार पर कोई व्यक्ति उन ट्रैफिक साइन बोर्ड को जो वहां पर लगाये गये हैं नष्ट नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं कि उनका यह नियम, जबकि प्रस्तावित संशोधन प्रस्तुत है, यह भी आवश्यक है। इससे सरकार को नाराज नहीं होना चाहिये। अब वह २००—बी बढ़ाना चाहते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

को या सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस को आप ताकत देना चाहते हैं तो फिर कोई कारण नहीं है कि आप इस संशोधन को भी नामंजूर करें। यह तो ऊपर के संशोधन को ही क्लासिफाइ करता है और उसको ही भली प्रकार से स्पष्ट करता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी के संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें जो वह २०० बी के रूप में बढ़ाना चाहते हैं।

आगे चलकर नियम १२३, १७९ और २०५ को मैं एक साथ ही लेता हूं। यह इस बात को साफ करते हैं कि ट्रैक्टर किन हालात में और किस प्रकार से सड़कों पर चलाये जायं। इसी की परिभाषा इनमें दी हुयी है। इस सम्बन्ध में यह दुख की बात है कि पहले नियम स्पष्ट नहीं था। इस बात की आवश्यकता थी कि सड़कों पर ट्रैक्टर चलाने के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये जायं। मैं इस बात को मानता हूं लेकिन इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं उसकी परिभाषा की तरफ दिलाना चाहता हूं। अगर माननीय मंत्री जी उस परिभाषा को देखेंगे जो सेक्शन २ बी० में दी हुयी है, तो उनको यह मालूम हो जायगा कि ट्रैक्टर किसे कहते हैं:

"2 (B) Articulated means a tractor to which a trailer is attached in such a manner that part of the trailer is superimposed on, and part of the weight of trailer is borne by the tractor."

इसमें यह बताया गया है कि आर्टिकुलेटेड विहिकिल वह ट्रैक्टर है जिसका ट्रेलर के साथ आधा भार ट्रैक्टर बरदाश्त करता हो और आधा भार ट्रेलर पर हो लेकिन वह एक दूसरे से मिले हुये हों। यह परिभाषा ट्रैक्टर की इसमें दी हुयी है। लेकिन दुख की बात है कि माननीय मंत्री जी ने इस परिभाषा का प्रयोग नहीं किया है! उन्होंने इस नियम को बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा। न तो उन्होंने आर्टिकुलेटेड वेहिकिल्स की परिभाषा को बदला है। जब उन्होंने तीन चार किस्म की बातें रखीं तो इस बात की जरूरत थी कि बजाय नियम बनने के जो परिभाषा दी हुयी है वही बदल दी जाती और उस के बाद यह निश्चय किया जाता है जो ट्रैक्टर की किस्में दी हुयी हैं वह मैं तो नहीं जानता कि ट्रेलर या व्हील ट्रैक्टर क्या क्या हैं और मैं उस का कोई टेक्नीशियन नहीं हूं। एक केटरपिलर ट्रैक्टर भी नाम सुना है, लेकिन यह परिभाषा जो है वह सब प्रकार के ट्रैक्टर्स को कवर नहीं करती है और अगर करती तो कभी ऐसा न लिखा जाता कि—

"No tractor shall be driven on a public road at a speed exceeding six miles per hour or shall take sharp turns thereon."

बहुत से ट्रैक्टर्स के साथ हेरो लगा होता है और वह भी बहुत खतरनाक हो सकता है। खाली ट्रैक्टर हो और उसमें हेरो न हो तब तो केवल ३ पहिये रह जाते हैं और वह ६ मील या ८ मील की रफ्तार से चल सकता है कोई नुकसान नहीं है। अगर केवल रबर के पहिये हैं और वह चल रहा है तो उससे कोई नुकसान न होगा। खाली ट्रैक्टर से कोई नुकसान नहीं है वह चाहे शार्प टर्न ले ले या ६ मील या अधिक की रफ्तार से जावे जैसे रिक्शा या और सवारी लेती हैं। या तो ट्रैक्टर की परिभाषा हो, और अगर वह नहीं है तो आम तरीके से यह रखना कि वह ६ मील से अधिक न जाय या शार्प टर्न न ले यह कोई व्यवहार में आने वाली बात नहीं है। अगर आप परिभाषा करें कि ट्रैक्टर यह है, व्हीलर यह है, ट्रेलर यह है या आर्टिकुलेटेड वेहिकिल्स यह हैं, तब पता चला सकता है कि टेक्निकल माने क्या हैं? यह भी सही हो सकता है कि जो आर्टिकुलेटेड ट्रैक्टर्स होते हैं वह सड़क को तोड़ देते हैं और मंत्री जी को डर हो सकता है कि उन से सड़क टूट जायगी। तो उन ट्रैक्टर्स के लिये व्यवस्था की जा सकती है कि वह मैटिल्ड रोड्स पर न चलें और किनारे पर चलें। अगर हमें मेकनाइज्ड फार्मिंग चलाना है तो ट्रैक्टर एक जगह से दूसरी जगह जायेंगे जरूर और सड़कों से ही जा सकते हैं, लेकिन जहां पर सड़के के किनारे पटरियां ही न होंगी वहां पर क्या होगा? बहुत सी सड़कें ऐसी हैं कि जहां पर सड़क के किनारे स्ट्रिप्स पर उनके चलने की गुंजाइश ही नहीं है तो वहां क्या होगा? यह १८९ (१) की उपधारा २ में रख दिया गया और एक प्राविजो लगा दिया गया कि आफेंस किस जगह होगा? मैं चाहता हूं कि

यह चीज स्पष्ट हो जाय कि जहां पर सड़क के किनारे जमीन है वहां तो ठीक है लेकिन जहां वह नहीं है वहां क्या होगा ? वहां तो सड़क पर मजबूरन चलना पड़ेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि इस धारा १८९ (ए) के रिड्राफ्टिंग की आवश्यकता है । माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी ने जो संशोधन इस सम्बन्ध में दिया है वह एक माने में उचित ही कहा जा सकता है और मैं समझता हूं कि वह अगर व्हीलर या ट्रेलर ट्रैक्टर को भी जोड़ देते या उनके नाम स्पष्ट कर देते तो ज्यादा अच्छा होता । क्योंकि अगर हम १८९ "ए" में जो शब्दावली माननीय चतुर्वेदी जी ने व्यक्त की है उसको मान लें तो उसका नतीजा क्या होगा कि केवल जो ट्रेलर वाले ट्रैक्टर्स हैं उनके लिये ही परिभाषा रह जायगी और ऐसे भारी ट्रैक्टर्स जोकि चेन्ड ट्रैक्टर्स हैं वह रह जायेंगे । तो मैं माननीय शम्भूनाथ जी के आशय से तो एकमत हूं लेकिन चाहता हूं कि शब्दावली के सम्बन्ध में वे पुनः विचार कर लें और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इस समय जो समय मिला हुआ है उसका उपयोग करके १८९ "ए" की सारी शब्दावली को बदला जाय और जो उनका संशोधन है उसके आशय को भी स्वीकृत किया जाय ।

अब इसमें एक चौथा संशोधन है लर्नर्स लाइसेंस के बारे में । यानी जो ड्राइवरी का काम सीख रहा है या कंडक्टरी का काम सीख रहा है उससे यदि कोई लाइसेंस खो जाता है तो उसे किस प्रकार फिर लाइसेंस मिलेगा उसकी रीति निर्धारित की गयी है । मुझे इस सम्बन्ध में कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि एक रुपये की फीस नहीं रहनी चाहिये थी जिस प्रकार आपने पहले फीस नहीं रखी थी उसको एक्जेम्प्ट करने के लिये जो १९"ए" है उसको देखेंगे तो उसमें लर्नर्स के रिन्यूअल लाइसेंस के लिये कोई फीस नहीं ली जाती है । जैसे जो गवर्नमेंट सरविस में होता है, या जिसकी उसके अन्दर आने की सम्भावना हो उनसे फीस नहीं ली जायगी, लेकिन इसमें फीस ली जायगी । यह दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं । आप देखें कि नियम १५ सी जो बनाया जा रहा है और १९ "ए" जो पहले से हैं उसमें परस्पर विरोध हो जाता है । तो मैं चाहूंगा कि १९ ए में या तो कोई संशोधन हो या फिर १५ सी को स्पष्ट कर दिया जाय कि "१९" ए में कोई नियम के अनुसार बात के रहते हुये भी यह नियम लागू होगा । कोई क्वालिफाइंग क्लाज नहीं हुआ तो यह १९ "ए" भी सामने होगा और १५ सी सामने होगा । १५ सी कहेगा कि फीस देनी होगी और १९ "ए" कहेगा कि अगर कोई गवर्नमेंट सरवेंट है तो उसको फीस नहीं देनी होगी । तो इस नियम के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है ।

इसके बाद दो रुपये फीस के सम्बन्ध में है कि अगर कोई लाइसेंस फीस नहीं दे तो वह समाप्त हो जाता है उसका लाइसेंस और उसके रिन्यूअल के बारे में है, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है ।

अब एक महत्वपूर्ण संशोधन और है कि आप १८ फरवरी, १९५४ की विज्ञप्ति को देखें । इसके अनुसार ड्राइवर और कंडक्टर को पांचवें साल अपने लाइसेंस रिन्यूअल के लिये फर्स्ट एड फ्रेशर्स ट्रेनिंग कोर्स पास करना पड़ेगा । लेकिन यह नया संशोधन किया जा रहा है । इसमें एक महत्वपूर्ण फर्क यह किया गया है कि जहां ड्राइवर के लाइसेंस के ग्रांट के सम्बन्ध में फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी वहां कंडक्टर को ऐसा नहीं करना है । आप देखेंगे कि यह इस प्रकार है :—

"Any trained driver of public service vehicles shall drive a public service Vehicle in any place or on any road specified in the first Schedule to these rules unless the aforesaid trained driver produces a certificate either from a Registered Medical Practitioner or Red Cross every fifth year when applying either for grant or renewal of his licence to the effect that he has already undergone a Refresher Course in First-Aid Training."

इसके बाद यह भी है :—

"The trained conductor of a public service Vehicle shall have to go through Refresher Courses in the First-Aid Training every fifth year before he becomes entitled to the renewal of his licence in that year and a certificate to this effect from a Registered Medical Practitioner or Red Cross shall be produced when applying for renewal of licence in that year."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जहां तक मेरा कहना है कि वह यही है कि कंडक्टर को पहले जिस प्रकार फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती थी अब उस प्रकार की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती ? ड्राइवर के समय तो यह कहना कि यह फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेगा और कंडक्टर, जिसको ५ साल के बाद रिफ्रेशर कोर्स लेना है, लेकिन पहली बार कंडक्टर होते वक्त कोई ट्रेनिंग न हो, वह उचित नहीं मालूम होता। यह यूननिमिटी होनी चाहिये। मैं भी समझता हूं कि कोई दुर्घटना होने पर फर्स्ट एड की आवश्यक पड़ जाती है कि कैसे मलहम पट्टी हो, लेकिन एक के लिये मेनडेटरी करना और दूसरे के लिये आवश्यक करार न देना यह ठीक नहीं मालूम होता। दोनों के लिये एक नीति बरती जाय और दोनों के लिये एक ही प्रकार के नियम बनाये जायं। मैं चाहूंगा कि कंडक्टर की ट्रेनिंग के समय फर्स्ट एड ट्रेनिंग कोर्स हो और कितने दिन में हो इस सम्बन्ध में व्यवस्था हो जानी चाहिये क्योंकि आप जानते हैं कि कंडक्टर्स को जो ट्रेनिंग मिलती है वह रोडवेज वर्कशाप में मिलती है। यह फर्स्ट एड ट्रेनिंग कहां की मानी जायगी, ६ महीने का कोर्स हो और कौन सा हो, यह नियमों में स्पष्ट हो जाना चाहिये ? नियम ४ और ८३ में स्पष्ट हो जाना चाहिये कि रिफ्रेशन ट्रेनिंग कोर्स कहां का माना जायगा, सरकार कोई व्यवस्था करेगी ? मान लिया कोई रोडवेज का कंडक्टर है उससे आप कहते हैं कि वह रिफ्रेशर कोर्स प्राप्त करे फर्स्ट एड के बारे में। तो अब वह कहां से प्राप्त करे ? जहां वह टेक्निकल ट्रेनिंग प्राप्त करता है वहां से, जहां मोटर की मशीनरी के बारे में जानकारी हासिल करता है वहां से, और नहीं तो फिर कौन सा सार्टिफिकेट माना जायगा ? यह व्यवस्था इस नियम में होनी चाहिये अथवा इस नियम के दुरुपयोग होने की आशंका है।

दूसरे उपनियम ११२ में संशोधन हो रहा है कि राष्ट्रीय झंडा जब राज्यपाल महोदय लगायेंगे तो रेड लाइट होगी। मुझे जरा इस पर एतराज है। गवर्नर को डिस्प्ले किस तरह करना है वह बात इस नियम में डालना अनुचित है। गवर्नर तो खुद ही नियम बना रहे हैं तो गवर्नर किस समय कार में रेड लाइट डिस्प्ले करेंगे या किस समय नहीं करेंगे, यह इस उप-नियम में आना अनुचित है। नियम ११२ में स्पष्ट किया गया है कि किस मोटर वेहिकिल में कितनी रोशनी होंगी। आगे २ रोशनी होंगी, एक ऊपर एक पीछे और एक अन्दर रोशनी होगी। इसमें एक प्रोवाइजो लगाया जा रहा है कि गवर्नर महोदय अपनी कार में एक रेड लाइट लगा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का संशोधन करना गवर्नर महोदय के लिय कोई कठिन नहीं है लेकिन इस नियम में इस प्रकार की बात लाना मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अब इसके अलावा यह भी लिखा हुआ है कि वे लोग जो राष्ट्रीय झंडा अपनी कार में लगा सकते हैं वे उस झंडे पर एक रोशनी लगा सकते हैं। रात के समय राष्ट्रीय झंडा अगर फहरा रहा है तो रोशनी अवश्य होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--रात को झंडा फहराता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--फिर लाइट किसलिये लगायी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--लाल लाइट से मालूम होगा कि मोटर में झंडे वाले बैठे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, आपकी कार में फहराता होगा। आपको ज्यादा तजुरबा हो सकता है। मैं आपका आभारी हूं। यह मालूम हो कि लाल बत्ती वाले जरा कोई राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले साहब हैं, यही मंशा है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, दिन में वह बत्ती जलेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--"May have a red light in front of the car on the rod in which the National Flag is displayed during the day."

लेकिन दिन में लाल बत्ती जले यह भी उचित नहीं है। इसका भी उद्देश्य क्या है जरा माननीय मंत्री स्पष्ट करें। इतना मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय झंडा फहराने की जो शक्ति है इसका

दुरुपयोग हो रहा है। बहुत से लोग जिन्हें राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार नहीं है लगातार फहराते हैं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—लाल झंडा और लाल रोशनी पर आप को ऐतराज नहीं होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे कोई एतराज नहीं है अगर आप लाल टोपी पहन लें।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह राष्ट्रीय झंडे का जो दुरुपयोग हो रहा है मैं ऐसा चाहूंगा कि सबकी जिम्मेदारी है चाहे हम इधर के हों या उधर के हों जो राष्ट्रीय झंडे की इज्जत करते हैं इस प्रकार दुरुपयोग न होने दें और यह लिस्ट कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं, कोई जी०ओ० निकला है या क्या है ? हमें साफ नहीं मालूम नहीं कि कौन-कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय झंडा फहराने के अधिकारी हैं। एक दिन यह बहस हो रही थी कि डिप्टी मिनिस्टर फहरा सकते हैं या नहीं क्योंकि एक डिप्टी मिनिस्टर महोदय जा रहे थे, वह बेचारे खुद परेशान थे। थोड़ी दूर तक फहराया गया कि हटा दिया गया। तो यह निश्चित होना चाहिये कि किन-किन व्यक्तियों को इसका अधिकार है ?

अब ६ जनवरी, १९५४ की विज्ञप्ति में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया जा रहा है और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप ध्यान दें और माननीय सदन के सदस्यों से भी कहूंगा कि वह भी इस सम्बन्ध में विचार करें। अब तक नियम ७८ के अनुसार एक अटेंडेंट प्रत्येक मोटर वेहिकिल में होता था जिसे हम क्लीनर कह सकते हैं। परन्तु इस नियम में क्लीनर नाम का स्पष्ट शब्द नहीं है। केवल नियम ७८ में इसकी हेडलाइन है अटेंडेंट, जिसको अब हटाया जा रहा है। इसमें लिखा था—

"No public service Vehicle authorized to carry more than twelve passengers or, where passengers and goods are carried, authorized to carry a combined load of passengers and goods in excess of 15 Cwt, shall be driven in any public place for the conveyance of passengers unless there is carried on such vehicle in addition to the driver, attendant and no such attendant shall be less than eighteen years of age.

(*b*) The attendant shall be carried at the rear of the vehicle to signal to the driver the approach of other traffic from behind and to attend on the passengers, and to assist them where necessary, in entering and leaving the vehicle."

तो पहले नियमों के अनुसार कंडक्टर अटेंडेन्ट का काम नहीं करना पड़ता था और अटेंडेंट नाम का गाड़ियों में कोई होता नहीं था हमेशा इस नियम की अवहेलना होती रही है। अटेंडेंट नाम का व्यक्ति कहीं नहीं रहा। क्लीनर अलबत्ता रहा। अब यह स्पष्ट किया गया है कि अटेंडेंट यानी क्लीनर न हो बल्कि कंडक्टर ही क्लीनर का काम करे क्योंकि कंडक्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया है और कंडक्टर की परिभाषा की गई है, श्रीमन्, जो इस नियमावली में, कंडक्टर की परिभाषा नियम २ के उपनियम (सी) में दी गयी है : "conductor," in relation to a public service Vehicle, means any person appointed by the registered owner and authorized by the registered authority in this behalf to travel on the said Vehicle and to discharge the duties of the conductor on the said vehcile".

यह कंडक्टर की परिभाषा है जो कि किसी भी सार्वजनिक गाड़ी का रजिस्टर्ड ओनर के द्वारा या रजिस्टर्ड करने वाले अधिकारी के द्वारा उसे उस गाड़ी में यात्रा करने की इजाजत मिली हो और कंडक्टर की ड्यूटी डिस्चार्ज करने की आज्ञा मिली हुई हो।

अब कंडक्टर की जो ड्यूटी है उनमें आप कहीं यह नहीं देखेंगे कि कंडक्टर की ड्यूटी एक अटेंडेंट की ड्यूटी है। आप देखेंगे कि रोडवेज में कंडक्टर का काम

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यह भी रहता है कि वह टिकट बेचे, और जब कि उसकी ड्यूटीज में उसका यह काम नहीं है। हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्रों में तो एक क्लीनर कंडक्टर बीर्ड बन गया है। रूल्स में यह कहीं नहीं है लेकिन वह एक क्लीनर, कंडक्टर और बुकिंग क्लर्क का भी काम करते हैं। तो क्लीनर कंडक्टर जो आपने बनाये हुए हैं, और यह जो सरकारी रोडवेज में क्लीनर काम रहता है वह कहां है ? वह कौन है ? उसकी व्यवस्था नियमों में कहां है ? कहीं व्यवस्था नहीं है। तो नियमों के बिल्कुल विपरीत श्रेणी बनाई गई है। नियमों में आधारित कर्तव्यों से बिलकुल विपरीत उनसे काम लिया जा रहा है और अब आप यह व्यवस्था कर रहे हैं कि क्लीनर को हटा कर क्लीनर का काम भी कंडक्टर से कराना चाहते हैं जो कि बिल्कुल अनुपयुक्त है। आप यह देखें कि इसमें लिखा हुआ है कि कंडक्टर और कामों के अलावा यात्रियों को अटेंड भी करेगा। ठीक है, यात्रियों को अटेंड करना चाहिये, लेकिन मुझे एतराज इसमें है कि आपने कंडक्टर और क्लीनर दोनों का काम मिला दिया है और यह भी उसकी जिम्मेदारी दी कि वह टिकट बेचने का भी काम करे, और जो बिक्री का पैसा है, जिसको वहां खजाने का नाम दिया जाता है, उनकी भाषा में, उसका भी वह ठीक से उपयोग करे। मैं समझता हूं कि यह कंडक्टर की वर्तमान योग्यताओं और योग्यता की सीमाओं के बाहर है। इसकी एक ही मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इस कंडक्टर के मामले में और मैं इस संबंध में सरकार को सतर्क रहने को कहूंगा इसलिये कि बिहार में सारा झगड़ा विद्यार्थियों और कंडक्टर का इसी को लेकर हुआ था। मैं चाहता हूं कि कंडक्टर ऐसे व्यक्ति हों जो बहुत होशियार और नियमों में दक्ष हों। लेकिन अगर सरकार स्वयं नियमों का उल्लंघन कर ऐसी श्रेणियां बनायेगी और स्वयं ऐसे कर्तव्य उनके सिर पर डालेगी कि जिसको वह नहीं कर सकती और जिस को उन्हें नहीं करना चाहिये, जो संबंधित परिस्थितियां है उनके अनुसार नहीं कर सकते तो होगा यह कि वह जिम्मेदारी अनुभव नहीं करेंगे और झगड़ा होगा। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की परिस्थिति न आये कि जिसमें यात्रियों और कर्मचारियों में असंतोष हो और यह नियम केवल कागजी नियम रह जायं। यह नियम कागजी नियम किस प्रकार रह जाते हैं। इसकी एक ही मिसाल मैं देना चाहता हूं। आप नियम ७९ देखें जिसमें कि यह नया नियम १६ बढ़ाया जा रहा है। उस नियम ७९ के उपनियम १३ को आप देखें, उसमें लिखा है कि अगर कोई गाड़ी रास्ते में फेल हो जाती है, टूट-फूट जाती है या बिगड़ जाती है तो कंडक्टर और ड्राइवर दोनों की इस बात की जिम्मेदारी है कि उसके यात्रियों को वहीं उनके टिकट का रुपया वापस कर दें। यानी, मिसाल के लिये, मैं लखनऊ से मलिहाबाद जाता हूं और काकोरी के इधर हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, तो यात्री इन नियमों के अनुसार हकदार है कि रोडवेज के कंडक्टर और डाइवर से अपने टिकट का रुपया मांग ले। तो उसके पास तो रुपया है नहीं, रुपया तो बुकिंग क्लर्क के पास है, और अगर सारे पैसेन्जर उससे रुपया मांगने लगें तो कैसा होगा ? इस नियम के अनुसार कंडक्टर को वहीं रुपया देना चाहिये। तो ऐसा नहीं हो सकता है और यह इस प्रकार का नियम है कि जिसमें झगड़ा हो सकता है। अगर कोई पैसेन्जर इस नियमावली को लेकर वहां पहुंच जाय और कहे कि हम तो रुपया यहीं लेंगे तो वहीं पर झगड़ा होगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि जहां पर ड्राइवर और कंडक्टर के अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सवाल है, वहां सरकार इन सब नियमों पर पुनः विचार करे और ड्राइवरों, कंडक्टरों की रेस्पांसिबिलिटी खूब देख-समझ कर निर्धारित करे। आज क्या होता है कि कंडक्टर और ड्राइवर को हर अपराध के लिये समान दोषी माना जाता है। और माननीय मंत्री जी को याद होगा कि कई बार अदालतों ने भी इस सम्बन्ध में इशारा किया है कि ड्राइवर और कंडक्टर की एक सी जिमेदारी मानना गलत है। ड्राइवर का मुख्य काम स्टीयरिंग ड्यूटी का है और

बाकी काम कन्डक्टर का है अगर ड्राइवर के काम के लिये कंडक्टर को जिम्मेदार माना जाता है और कंडक्टर की ड्यूटी के लिये ड्राइवर को जिम्मेदार माना जाय तो मैं यह समझता हूं कि ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी का जो सिस्टम नियमावली में है इसको बदला जाना चाहिये। मुझे बड़ा दुख है, और खेद है कि माननीय मंत्री जी ने इस नियम से ७८ जो है इससे ज्वाइन्ट रेस्पांसबिलिटी का सिद्धान्त जो रोडवेज के ड्राइवर और कन्डक्टर के बीच में चलता कि है इसको और मजबूत किया है बजाय इसे स्पष्ट करने ड्राइवर की जिम्मेदारी क्या है और कन्डक्टर की क्या है, अलग अलग उनके डिमार्केशन के बजाय मिला दिया। नतीजा क्या होता है कि जब ड्राइवर पकड़ा जाता है तो ड्राइवर कहता है कि मैं क्या जानूं कंडक्टर जानें, क्यों कि आपने दोनों को मिला रखा है। श्रीमन् नियम 79 की पहली लाइन इस प्रकार है: The driver and the Conductor of a public service Vehicle.. shall be responsible, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों साथ साथ कर दिये। नतीजा क्या होता है कि किसी के ऊपर आप जिम्मेदारी नियत नहीं कर पाते हैं। और इसके कारण कभी कभी निर्दोष को दोषी होना पड़ता है और इसी वजह से प्रदेश में मोटर मजदूरों में बड़ा भारी असंतोष है और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी नियम ७८ और ७९ के सम्बन्ध में पुनः विचार करें। क्लीनर की पोस्ट खत्म न करें उसे रहने दें और यह काम न करें कि क्लीनर को भी कंडक्टर का काम करना पड़े, जैसा मुझे इस नियम से भय है।

इसके बाद नियम ४४-A के खंड (b) में जो संशोधन किया जा रहा है यह बहुत छोटा सा है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अलावा ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी अधिकार दिये जाने की बात है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन इतना आवश्यक है कि यह नोटिफिकेशन २२ अक्तूबर १९५३ का है और आज इस पर बहस हो रही है।

अब एप्रूव्ड एजेन्ट की परिभाषा इसमें रखी जा रही है। यह परिभाषा जहां तक देखने का सम्बन्ध है उचित ही मालूम पड़ती है। परिभाषा बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है। अब यह कहूंगा कि अगर कोई अर्जी देने वाला व्यक्ति किसी और कमिश्नर के सामने जो सिविल प्रोसीज्योर कोड के मातहत नियुक्त किया हो या किसी मैजिस्ट्रेट के सामने लिख कर यह देता है कि उसका यह एप्रूव्ड एजेन्ट है, उसका माना हुआ एजेन्ट है तो वह उस मुख्य व्यक्ति की ओर से कार्य कर सकता है। यह परिभाषा इसमें एप्रूव्ड एजेन्ट की बढ़ायी गई है। परन्तु आप यह देखेंगे, श्रीमन, कि उसकी आवश्यकता क्या है? मेरे विचार से जो पहले तरीका था ज्यादा अच्छा था। यह नियम बिल्कुल अनावश्यक है, इससे प्रार्थियों को सुविधा नहीं होगी बल्कि असुविधा बढ़ेगी। पहले क्या होता था किसी एक अपने प्रतिनिधि को व्यक्ति भेज सकता था। मान लीजिये मैंने मोटर पर्मिट के लिये अर्जी दी तो नियम ४९ के अनुसार किसी अपने प्रतिनिधि को भेज सकता था, सुनाई के लिये, अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को भेज सकता था। उनको लिख कर अथारिटी दे देता कि मैं नहीं आ सकता मेरी जगह में यह मेरा भाई आ रहा है और मेरी तरफ से यह मेरे पर्मिट के बारे में अथारिटी के सामने गवाही देगा। यह अच्छा तरीका था कोई परेशानी का तरीका नहीं था। मैं जानता हूं कभी कभी बहुत शार्ट नोटिस में मीटिंग हुआ करती है। ७ दिन के नोटिस में मीटिंग हुई; किसी को लखनऊ आना है, आर० टी० ओ० के सामने, कल परसों वहां पहुंचना है और आज नोटिस मिला तो अब वह ओथ कमिश्नर को ढूंढे या मैजिस्ट्रेट के सामने उस आदमी को ले जाय वहां गवाही उसकी मैजिस्ट्रेट सर्टिफाई करे तब प्रतिनिधि माना जाय। तो इससे परेशानी बढ़ने वाली है और किसी माने में घटने वाली नहीं।

और इससे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि माननीय मंत्री जी ने नियम ४९ के उपनियम ए और बी में तो संशोधन किया है लेकिन सी में नहीं किया है। अब आप देखिये

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

४९ ए में भी यही शब्द प्रयुक्त किये गये हैं," बाई एनी परसन एथराइज्ड बाई हिम इन हिज विहाफ" ये शब्द केवल उपनियम ए और बी में ही नहीं हैं बल्कि सी में भी हैं। तो उपनियम ए और बी में तो हटा दिया और यह कर दिया कि एप्रूव्ड एजेंट जायेंगे और उपनियम सी में वैसे ही रहने दिया।

श्री अध्यक्ष—"सी" को भी पढ़िये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पढ़ता हूं श्रीमन्।

"Any person or authority who has made a representation under the provisions of section 50 of the Act may appear before the Transport Authority upon the date appointed for hearing representation either in person or by a representative authorised by him or by it as the case may be, in writing in this behalf provided that nothing in this sub-rule shall be deemed to require the Transport Authority to give hearing to any representation made under the provisions of section 50 read with sub-section (6) of section 57 of the Act if the Authority is satisfied that the representation is frivolous or vexatious or relates to a matter upon which the Authority has already recorded a decision after giving the parties concerned an opportunity of being heard."

हिन्दी कर दूं इसकी, श्रीमन ?

श्री अध्यक्ष—कोई जरूरत नहीं। मैंने उन शब्दों को देखने के लिये कहा था यह जानने के लिये कि इसमें क्या शब्द हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो देखा न श्रीमन्, आपने! वही शब्द जो ए और बी में इस्तेमाल किये गये हैं "बाई ए रिप्रजेंटेटिव अथराइज्ड बाई हिम", यानी यहां पर तो और भी कंशेसन है कि केवल कोई व्यक्ति ही अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सकता बल्कि कोई संघटन भी अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। तो यह क्या कसूर किया है बेचारे व्यक्ति ने ए और बी में कि यहां आपने कर दिया कि प्रार्थी अपनी जगह अप्रूव्ड एजेंट को भेजे पहले और दूसरे दोनों में और तीसरे में अप्रूव्ड एजेंट भेजने की जरूरत नहीं। तो या तो जो कानून आप बनायें वह सबके लिये एक बनायें कि सबको अप्रूव्ड एजेंट भेजने की जरूरत पड़ेगी चाहे वह पब्लिक कैरियर के लिये परमिट मांगे, चाहे स्टेट कैरियर के लिये मांगे, चाहे किसी और के लिये मांगे। उन सब को अप्रूव्ड एजेंट भेजना पड़ेगा। लेकिन यह इसमें जो उपनियम सी एक्सेप्शन बना दिया गया है उसके लिये कोई कारण नहीं है मेरे विचार से। इसलिये मैं इस उपनियम के संबंध में माननीय मंत्री जी से यह निश्चित मांग करूंगा कि वह इस उपनियम को वापस लेने की कृपा करें। यह बिलकुल अनिश्चित है और अस्पष्ट है, और जो इस समय जो सुविधायें हैं पहले से मिली हुई प्रार्थी को, उनको छीनने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इन सभी उपनियमों में यह जो दो उपनियम हैं एक तो ड्राइवर कंडक्टर की ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी करने वाले और कंडक्टर को क्लीनर का अधिकार दिलाने वाले, ये सभी उपनियम ऐसे हैं कि जिन पर पुनर्विचार होना चाहिये और जिसके संबंध में मुझे विश्वास है माननीय मंत्री जी पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे, इसलिये नहीं कि हम विरोध के दृष्टिकोण से यह कह रहे हैं बल्कि हम यह चाहते हैं कि नियमावली जितनी अधिक सुन्दर हो सके हो, इसी विचारधारा से मैं इन उपनियमों के संबंध में अपने विचार रख रहा हूं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी गौर से इन पर विचार करेंगे और हमें आश्वस्त करने की कृपा करेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ५–६ जगहों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट्स किये गये हैं उनसे क्या मतलब है ?

पहले तो मैं रूल ४ को लेता हूं, जिसमें अमेंडमेंट किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय रूल ४ (सी) इस प्रकार है—

"No person shall drive a public service Vehicle in any place or on any road specified in the First Schedule to these rules unless the authorization as aforesaid has been granted or countersigned by the licensing authority in whose functional area the place or road may be."

अब सरकार की तरफ से जो संशोधन पेश है, वह इस प्रकार है कि ४(सी) के बाद यह ४ (सी० सी०) रख दिया जाय—

"No trained driver of public service Vehicles shall drive a public service Vehicle in any place or on any road specified in the First Schedule to these rules unless the aforesaid trained driver produces a certificate either from a Registered Medical Practitioner or Red Cross every fifth year when applying either for grant or renewal of his licence to the effect that he has already undergone a 'Refresher' Course in First-Aid Training."

पहले अध्यक्ष महोदय ड्राइवर के लिये सिर्फ लाइसेंस ले लेना जरूरी था। अब इस संशोधन के जरिये से सरकार यह चाहती है कि जब किसी पब्लिक वेहिकिल का ड्राइवर लाइसेंस ले तो उसके साथ उसको फर्स्ट एड का भी ज्ञान होना चाहिये। वैसे तो यह मुनासिब सी बात मालूम होती है कि अगर किसी कार, ट्रक या गाड़ी के ड्राइवर को, अगर कहीं ऐक्सीडेंट हो जाय, यह जानकारी हो तो साधारण दुर्घटना होने पर वह फर्स्ट एड कर सकता है। लेकिन इसमें हजारों आदमियों से संशोधन संबंधित है। जो रोडवेज हमारी चल रही है, उनके ड्राइवरों से संबंधित है ही, उसके अलावा प्राइवेट गाड़ियां के और हर किस्म की गाड़ियों, पब्लिक कैरियर या बस या कार इन सब के ड्राइवरों से भी इसका संबंध है। तो उन से सरकार आशा करती है कि हर पांचवें साल जिस समय वह लाइसेंस नये रूप से जारी करायें या नयों के लिये प्रार्थनापत्र दें उस वक्त उनको फर्स्ट एड के रिफ्रेशर कोर्स का सार्टीफिकेट दाखिल करना चाहिये। इसकी व्यवस्था क्या होगी ? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर या रेडक्रास से वह लायें। आम तौर पर यह नियम बनने पर व्यवहार में न आ सकेगा। आप जानते हैं कि मेडिकल प्रैक्टीशनर, चाहे रजिस्टर्ड हों या न हों, वह गलत सर्टिफिकेट दिया करते हैं और इस नियम के मंशा को रद्द करने के लिये कोई भी ड्राइवर ५–१० रुपया दे कर किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर से एक सर्टिफिकेट लेकर पेश कर सकता है। तो इसमें रोडवेज और अन्य ड्राइवरों का भी संबंध है, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था क्या होगी ? यदि सरकार चाहती है कि उनको वास्तव में कुछ ज्ञान हो तो उनकी ट्रेनिंग के लिये कुछ व्यवस्था होनी चाहिये, कुछ कोर्स हो, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाये जायं सरकार की तरफ से जहां उनको ट्रेनिंग हो और उस तरीके से अगर वह फर्स्ट एड का इम्तहान पास कर लें तब उनको ड्राईविंग लाइसेंस दिया जाय। अगर यों किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर या रेड क्रास से सर्टिफिकेट ले लिया तो आमतौर पर वे बिल्कुल गलत सर्टिफिकेट होंगे। तो वे जानते भी हैं फर्स्ट एड या नहीं इसके संतोष के लिये अगर ट्रेनिंग व्यवस्था होगी तभी यह बात पक्की हो सकेगी और वे जान जायेंगे। इसके अलावा जैसे ड्राईविंग लाइसेंस के लिये जबानी भी सवाल पूछे जा सकते हैं और गाड़ी पर बैठ कर कोई अधिकारी जा भी सकता है उसी तरह से उनकी परीक्षायें भी होनी चाहिये।

इसके अलावा रूल ८३ में कंडक्टर्स के लिये भी जरूरी है कि वह मेडिकल प्रैक्टिशनर या रेडक्रास से सर्टिफिकेट लें। इसके बारे में मुझे यही कहना है कि इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये और इस तरह से सिर्फ नियमों में सर्टिफिकेट की व्यवस्था करने से ही उसकी मंशा पूरी नहीं हो सकेगी।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह नियम १५ में है जिसमें संशोधन करके (c) जोड़ा जा रहा है। वह इस प्रकार है--

"If at any time a learner's licence is lost or destroyed, the holder shall intimate the fact to the Licensing Authority by which the licence was granted. On receipt of the intimation the Licensing Authority shall proceed as if the learner's licence was a driving licence; provided that the fee for a duplicate licence shall be one rupee."

उपाध्यक्ष महोदय, लर्नर्स लाइसेंस अगर लिया जाय तो उसके लिये यह व्यवस्था की जा रही है कि लर्नर्स लाइसेंस तीन महीने के लिये होता है और उसे ड्राइविंग की भी जानकारी होती है। इसलिये मोटर वेहिकिल्स रूल्स में यह व्यवस्था की गई है कि सिर्फ उससे थ्योरिटिकल (सिद्धांत संबंधी) सवाल पूछे जा सकते हैं कि तुम रोड पर चलने के लिये क्या जानकारी रखते हो, पुलिस वाला हाथ उठाये तो तुम क्या करोगे, वगैरह, वगैरह। अब माननीय मंत्री जी यह संशोधन ला रहे हैं कि अगर किसी का लर्नर्स लाइसेंस खो जाय और वह दूसरे दिन फिर लाइसेंस लेने जाय तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस आया हुआ समझ कर उस तरह से उससे व्यवहार किया जायगा अब मान लीजिये आज मेरे पास लर्नर्स लाइसेंस है और अगर वह कल ही खो गया और कहीं चलाने लगा तो बड़ी मुश्किल पड़ जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। लर्नर्स लाइसेंस की मियाद तो तीन महीने की होती ही है। तो अगर दो महीने बाद खो जाय तब तो कुछ परीक्षा भी भी जा सकती है, लेकिन अगर दूसरे दिन ही खो गया तब तो ऐसी हालत में बड़ी मुश्किल पड़ जायगी। यह बात इसमें स्पष्ट न होने से बड़ी परेशानी हो जायगी। दूसरी मर्तबा खो जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस की तमाम पाबन्दी अगर सरकार कराने लगे तो लर्नर्स लाइसेंस लेने वालों को काफी असुविधायें होंगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन हटा दिया जाय।

तीसरी बात मुझे कंडक्टर्स के बारे में कहनी है। रूल ८३ के (g) के बाद प्रोवाइजों इस प्रकार है--

"Provided that a fee of rupees two shall be charged if the application for renewal of the licence is made on the expiry of fifteen days from the date on which the licence expires."

रूल ८३ (g) इस प्रकार है—

"The fee for the conductor's licence and for each renewal of conductor's licence shall be one rupee."

चाहे वह लाइसेंस शुरू शुरू में कंडक्टर लेने जाय या रिन्यू कराने जाय, उस समय उसकी फीस १ रुपया होगी। यह कंडक्टर का मामला है कोई ड्राइवर का मामला तो है नहीं। मान लीजिये कि उसकी नौकरी छूट गई और वह बेकार हो गया, और फिर १५ दिन के बाद कहीं नौकरी पर जाता है और तब जाता है कंडक्टर का लाइसेंस लेने तो फिर उस पर १ रुपया जुर्माना सरकार कर देना चाहती है। इसकी मैं जरूरत नहीं समझता हूं और वही होना चाहिये जैसे कि पहले व्यवस्था थी कि चाहे रिन्युअल करवाना चाहे, चाहे नया लाइसेंस लेना चाहे, उसकी फीस एक रुपया होगी क्योंकि कंडक्टर का काम ड्राइवर के काम से बिलकुल भिन्न है। ऐसी सूरत में सरकार जो जुर्माना लेने जा रही है उसकी व्यवस्था मुनासिब नहीं मालूम होती है।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय जो २(सी) में अमेंडमेंट किया जा रहा है उसका संबंध नियम २४९ से है। अब इसमें जो यह परिभाषा में जोड़ा जा रहा है इन नियमों में वह इस प्रकार है कि:

"Approved Agent means a person authorized by the Principal to do an act or acts on his behalf and appointed as such by means of a writing ex-

ecuted by the Principal in the presence of either a Magistrate or an Oath Commissioner duly appointed under the Civil Procedure Code or the Criminal Procedure Code and includes a legal practitioner authorised by him in this behalf."

पहले व्यवस्था नहीं थी। इसका संबंध नियम ४९ से है। वह इस प्रकार है और तीन जगह व्यवस्था की गई है कि:—

"Hearing of applications or objections—(*a*) When an application for any permit is considered at a meeting of a Provincial or Regional Transport Authority and the applicant desires to be heard in support of his application or has been summoned to appear under the provisions of sub rule (*f*) of rule 45, the applicant may either appear and conduct in person or may be represented by any person authorized by him in writing in this behalf."

अब तक जो व्यवस्था थी उसकी व्यवस्था (बी) में है कि :—

"by any person authorized by him in writing in this behalf."

अब तक यह व्यवस्था थी कि जब दूसरे से काम चल जाता था तो वह लिखकर दे देता था कि हमारी तरफ कोई सबूत वगैरा पेश करने की जरूरत होगी तो यह पेश करेंगे। लेकिन अब यह व्यवस्था की गई है उसमें काफी पेचीदगी है। मैजिस्ट्रेट के सामने बांड होगा। हो सकता है कि टिकट वगैरा की भी जरूरत पड़े, यह स्पष्ट नहीं है या ओथ कमिश्नर के सामने जाना पड़े और जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि ओथ कमिश्नर या मैजिस्ट्रेट के सामने इकरारनामा वगैरा लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी दिक्कत आ पड़ी जिसकी वजह से एप्रूव्ड एजेंट जो लीगल और टेक्नीकल हैं, उसकी व्यवस्था की गई है? पहले जैसे लोग लिखकर दे दिया करते थे कि यह हमारा काम करेंगे, उनसे क्या काम नहीं चल सकता है? इस संबंध में मंत्री जी स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।

पांचवीं बात जो मैं कहता हूं वह यह है कि इस संशोधन को पढ़कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। यह रूल ११२ में है। रूल ११२ (ए) लैम्प के बारे में है कि कितने लैम्प्स होंगे, दायें होंगे या बायें होंगे, इस किस्म की व्यवस्था की गई है? इसमें जो सरकार व्यवस्था करना चाहती है वह बड़ा मनोरंजक सा मालूम होता है और मैं समझता हूं कि इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। वह इस प्रकार है कि:—

"Provided further that the Governor may display a red light in the front of the car just above the windscreen and the persons, who are entitled to display the National Flag on thier cars, may have a red light in front of the car on the rod in which the National Flag is displayed during the day."

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक तो रोशनी की बात रात में ही सुनी जाती थी, लेकिन मंत्री जी दिन में भी रोशनी कराने की व्यवस्था कर रहे हैं।

यह पता नहीं है कि इसमें यह व्यवस्था क्यों की जा रही है। जो अधिकारी नेशनल फ्लैग लगाकर चलते हैं क्या उनके लिये यह अधिकार होगा कि वह मोटर के सामने लाल बत्ती जला सकते हैं। मेरा तो निवेदन यह है कि इसमें सरकार का मंशा यही हो सकता है कि सरकार का प्रोपेगन्डा होता रहे। इसी वजह से लाल बत्ती जला कर चलने की बात कही है। मैं समझता हूं अगर यह प्रोपेगेंडा के लिये है तो यह बिलकुल नामुनासिब है। शिवनारायण जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि लाल बत्ती से मुझे तो परेशानी नहीं है लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि इस लाल बत्ती से कोई खतरा न हो। मैं यह समझता हूं कि इससे मिनिस्टरों और गवर्नरों के लिये खतरा हो जायगा। जो लोग कार में सफर करते हैं उनको रात में अपने ड्राइवर के सोने का खतरा रहता है और ड्राइवर मस्त तबियत के भी होते हैं। अगर कोई ड्राइवर अपनी मस्ती में रहा और उधर से गवर्नर आ रहे हों, और वह ड्राइवर झपकी ले रहा हो, या कोई मोड़ सामने आ जाय और उसकी आंखों ने बैक लाइट को नहीं देखा या यह देखा कि वह तो अभी बहुत दूर है, तब एक्सीडेंट हो सकता है। यद्यपि मैं

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

विरोधी दल का हूं फिर भी मैं यह नहीं चाहता कि कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो। मेरी यह समझ में नहीं आया कि इस विचित्र नियम द्वारा इस बात की आवश्यकता क्यों पड़ गयी कि एक लाल बत्ती भी होनी चाहिये। मैं यह जरूरी समझता हूं कि इसको खत्म कर दिया जाय।

रोडवेज के कंडक्टर-कम-अटेन्डेंट के बारे में मुझे यह कहना है कि एक तो सरकार की गाड़ियां हैं और उसका कोई सरकारी अफसर है तो वह अपने को जनता से अलग समझता है कि हम जनता से काफी ऊंचे हैं। उसके बाद फिर उस कंडक्टर से बुकिंग क्लर्क का काम लिया जाता है। और भी माननीय सदस्यों को तजुरबा होगा कि वह कभी भी क्लीनर का काम नहीं करते। सामान उतारने का काम आमतौर पर यात्रियों को करना पड़ता है। हो सकता है कि यह खर्चा बचाने की बात हो लेकिन इससे यात्रियों को असुविधा अवश्य होती है। खर्चा इस तरह से बचाया जाय यह भी गलत बात है। यह होता है कि इस प्रकार की व्यवस्था करके नियमावली में प्राविजन कर दिया जाता है, लेकिन नतीजा इसका यह होता है कि आमतौर पर वह व्यवहार में नहीं आता। इन लोगों को मानसिक ठेस पहुंचती है और वह यह समझते हैं हम तो टिकट बाबू हैं। बोझा ऊपर रखा जाय या नीचे रखा जाय इससे उनको मतलब नहीं है। मेरी जहां तक जानकारी है उनमें असंतोष है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्लीनर हर गाड़ी पर अलग-अलग रूट के लिये होना चाहिये और उनकी अलग व्यवस्था कर दे तो अच्छा है। मैं यह जानता हूं कि बड़े-बड़े रोडवेज़ स्टेशन पर कुलियों का बहुत अभाव है। या तो सरकार लाइसेंस देकर वहां पर कुलियों का प्रबन्ध करे या कोई प्रबन्ध वहां पर कर दिया जाय। वहां लोगों को बहुत परेशानी रहती है। बाहर के लोग रहते हैं कभी वह आते हैं, और कभी नहीं आते हैं। इससे लोगों को बहुत असुविधा उठानी पड़ती है। तो यह ६ स्थान थे जहां-जहां पर मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर दिया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार को ऐसी क्या जरूरत हुई जिससे इन नियमों को इस प्रकार से परिवर्तन करना पड़ा?

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी ने जो संशोधन पेश किया है.....

एक सदस्य—पेश कहां हुआ है?

श्री सीताराम शुक्ल—जी पेश हो चुका है, वह उस पर व्याख्यान भी दे चुके हैं और उनका यह कहना है कि जो ट्रेक्टर चलते हैं वह सवारी भी ले जा सकें। मैं उनको उसके लिये धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं उन्होंने ठीक वक्त पर सही सलाह हाउस को दी है। ट्रेक्टर पर सवारी ले जाने से यह हो सकता है कि रोडवेज की आमदनी कुछ घट जाय और कोई बात तो समझ में नहीं आती है। इससे उस विभाग का नुकसान हो सकता है। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जनता की यह सरकार कोई व्यापार करने के लिये नहीं बनी है कि मुनाफा करे, यह सरकार तो है जनता की चुनी हुई पब्लिक की, भलाई कैसे होती है इसी दृष्टिकोण और प्वाइंट आफ व्यू से हमारा काम होगा, उदाहरणार्थ पुलिस विभाग है, उससे हमें कोई लाभ नहीं, मुनाफा नहीं है, लेकिन जनता का उससे लाभ होता है। ऐसे ही शिक्षा विभाग है, उस पर पैसा खर्च ही होता है कोई आय नहीं है, लेकिन वह भी जनता के लाभ के लिये है। इसी तरह से रोडवेज का विभाग है, उसमें भी अगर हम ट्रैक्टर्स पर सवारी ले जाने देते हैं तो उसकी आमदनी में कमी हो सकती है, लेकिन अगर हम इस को रोकते हैं तो मेरी समझ में जनता के साथ और किसानों के साथ अन्याय होगा, बेइन्साफी होगी। आजकल देहातों में हाथी नहीं हैं, घोड़े नहीं रह गये हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सवारियों को ले जा सकें। अगर किसी के पास ट्रैक्टर है और आपकी सड़कें भी हैं और उसके यहां कोई बीमार हो जाता है तो इतना तो होना ही चाहिये कि वह अपने घर के बीमार को ट्रैक्टर में बिठाकर ले जा सके जिस तरह से लोग अपने मोटर या घोड़ा गाड़ी में ले जाते हैं। किसी के पास बैल होता है तो वह उसको खेती को जोतने के काम में भी लाता है और अगर जरूरत

होती है तो बैलगाड़ी में भी इस्तेमाल करता है और सवारी बिठा कर अपना काम चलाता है। इसलिये ट्रैक्टर्स में भी इसी तरह से हमें इजाजत देनी चाहिये कि वह किसान सवारी भी वक्त पड़े तो बिठा सकें। अगर हम इस तरह का कानून बनाते हैं और रोक लगाते हैं तो किसान के साथ अन्याय होगा। आशा है मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

यह भी कहा जाता है कि उसमें सवारी बैठने का स्थान नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर स्थान नहीं है तो सवारी कोई वैसे ही नहीं बैठा सकेगा और अगर स्थान अभी नहीं है तो वह तो बनाया भी जा सकता है और अगर कोई स्थान कर लेता है तो उस पर रोक लगाना इन्साफ की बात न होगी। इसलिये हमें ध्यान रखना है कि हम से कोई ऐसी बात न हो जाय कि पब्लिक ओपीनियन, जनता की राय, खिलाफ हो जाय। किसानों का बहुमत है और यह सरकार भी किसानों की है और अगर हम ऐसा करते हैं तो गलत चीज होगी और उनके साथ अन्याय होगा। किसानों की सरकार के द्वारा कोई ऐसा काम न होना चाहिये कि जिससे किसानों के अधिकारों को ठेस लगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस पर दोबारा ध्यान दे। इसमें पैसा भी बचता है और दिक्कत न होगी। जब किसी का स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाता है तो अपने भाई को बढ़ते हुये देखकर उसका दूसरा भाई भी अधिक खर्च करता है। जब एक भाई ट्रैक्टर पर चलेगा तो उसका जो पट्टीदार होगा वह भी सोचेगा कि अगर मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है तो मैं किराये पर टेक्सी ला कर उस पर चलूंगा और रोडवेज को पैसा दूंगा और मैं भी पैदल नहीं चलूंगा। इस तरह से रोडवेज की आमदनी बढ़ सकती है। जहां ख्याल किया जाता है कि नुकसान होगा वहां मैं समझता हूं हमारे खेतों की पैदावार बढ़ेगी और उससे एग्रीकल्चरल टैक्स बढ़ जायगा। तो रोडवेज का अगर कुछ नुक्सान हुआ और एग्रीकल्चरल टैक्स से कुछ आमदनी बढ़ गई तो कोई गलती नहीं हुई, किसानों का फायदा हुआ, सरकार का भी फायदा हुआ किन्तु लोकमत पर यदि ध्यान नहीं दिया जायगा तो नुक्सान हो सकता है।

"सुन तो सही जहां में है तेरा फिसाना क्या,
कहती है तुझे खल्के खुदा गायबाना क्या ?"

इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि आप केवल पैसे कमाने के चक्कर में पड़कर ऐसा कहीं न कर बैठें कि आपकी इज्जत चली जाय। किसान आज समझता है कि यह उसकी सरकार है, कहीं वह यह न समझ बैठे कि यह हमारी सरकार नहीं रही। सफेदपोश तबका तो आपके खिलाफ जा रहा है, बाबू लोग तो आपके खिलाफ जा रहे हैं, कहीं किसान खिलाफ न चला जाय तो कल को क्या होगा? यही वजह है कि जिस वक्त महाराजा दिलीप अपनी गाय को लिये चले जा रहे थे, शेर उस वक्त आया तो महाराज दिलीप ने जब धनुष बाण मारने के लिये उठाया तो हाथ रुक गया। शेर ने कहा कि महाराज, जाइये आपको छोड़ देता हूं और गाय को खाकर ही संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन दिलीप ने कहा कि "यशः शरीरे भवमेदयालुः" अगर दया करनी है तो हमारे यश रूपी शरीर पर दया कीजिये। हमारे हाड़ मांस के इस पुतले को खा जाइये और इस गाय को छोड़ दीजिये। यह बात उस वक्त थी जब शख्सी हुकूमत थी और आज जब वोट की हुकूमत है, जनता की राय की हुकूमत है, तो पब्लिक ओपीनियन, राय का ध्यान हर समय रखना चाहिये, और कोई काम आपको ऐसा नहीं करना चाहिये जिससे किसानों को शिकायत हो।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखे गये हैं उनमें से बहुत से संशोधन तो ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता थी, लेकिन कुछ ऐसे संशोधन भी हैं जिनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी बल्कि उन को रख देने से जो काम जिस रफ्तार से चल रहा है उसमें कुछ कठिनाई हो सकती है। यह जो "२ सी" में "एप्रूव्ड एजेंट" की परिभाषा दी गई है देखने में तो वह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब उसको यहां एप्लाई किया गया है तो उससे मोटर मालिकों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अभी तक एप्लीकेशंस की और आब्जेक्शंस की सुनवाई में यह होता था कि मोटर मालिक उस पर

[श्री जोरावर वर्मा]

रुपया लगाकर किसी भी व्यक्ति को उस काम के लिये अथराइज कर सकता था, लेकिन अब यह काम एप्रूव्ड एजेंट के द्वारा होगा और उस एप्रूव्ड एजेन्ट को बनाने में काफी समय लग सकता है। माननीय मंत्री जी इस बात को बतला देते कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई कि "एप्रूव्ड एजेंट्स" रखे जायं? क्या कोई मोटर मालिक ४२० की बात तो नहीं करता है, यदि है तो सही बात है कि उसको समाप्त कर देते, लेकिन बिना एक्स्प्लैनेशन के, बिना इस पर प्रकाश डाले, जिन लोगों को इस बात का विरोध नहीं करना है, हो सकता है कि वह भी विरोध में जायं, इसलिये अच्छा होता यदि इन बातों को एक्स्प्लेन कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, १८ फरवरी, १९५४ की जो विज्ञप्ति है उसमें ड्राइवर और कंडक्टर की परिभाषा दी गई है मैं समझता हूं वह बहुत आब्जेक्शनेबिल है। इसका मतलब बिलकुल जनता के विपरीत जायगा और पता नहीं है कि माननीय मंत्री जी किस आधार पर किस आवश्यकता को महसूस करके ड्राइवर और कंडक्टर की परिभाषा को बदल रहे हैं। आप जरा उसको देखें उपाध्यक्ष महोदय, वह इस प्रकार है:--

"No trained driver of public service vehicles shall drive a public service vehicle in any place or on any road specified in the First Schedule to these rules unless the aforesaid trained driver produces a certificate either from a registered medical practitioner or Red Cross every fifth year when applying either for grant or renewal of his licence to the effect that he has already undergone a 'Refresher' Course in First-Aid Training."

The trained conductor of a public service vehicle shall have to go through refresher courses in the First-Aid Training every fifth year before he becomes entitled to the renewal of his licence in that year and a certificate to this effect from a registered medical practitioner or Red Cross shall be produced when applying for renewal of licence in that year."

जैसा कि माननीय नारायण दत्त जी ने इस पर प्रकाश डाला था जब तक गवर्नमेंट इस "रिफ्रेशर कोर्स" की कहीं पर व्यवस्था नहीं करती तब तक इस प्रकार का कोई प्राविजन इसमें जोड़ना न तो कंडक्टर्स के हित में अच्छा होगा और न जनता के हित में ही होगा। लेकिन जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं या रेडक्रास जो है जो कि लाइसेंसिंग अथारिटीज हैं उनको कम्प्लैट करने के लिये इसके जरिये बड़ी भारी व्यवस्था कर दी है। गवर्नमेंट सरवेंट्स को अगर छुट्टी लेनी है चाहे वह कितना ही अच्छा हो, तगड़ा हो लेकिन जो अथराइज्ड प्रैक्टिशनर्स हैं जिनकी फीस २ रु० से १६ रु० तक है उनसे सर्टिफिकेट लेकर उसे छुट्टी मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती। यह बात समझ में नहीं आती कि यह व्यवस्था इसमें क्यों की गई है। हमारे सूबे में रोडवेज की व्यवस्था अधिकांश भाग में कर दी गई है जिसमें बहुत बड़ा भाग मोटर वेहिकिल्स का उसके द्वारा रिकूप हो जाता है। जो गवर्नमेंट बसेज में कंडक्टर्स हैं या ड्राइवर्स हैं उनके पास कोई इस तरह के प्रमाण पत्र नहीं होते और जैसा कि बतलाया गया है ये प्रमाण पत्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स से मिल भी जाते हैं तो भी जो माननीय मंत्री जी या इस सरकार का मंतव्य हो सकता है कि कोई किसी प्रकार की दुर्घटना हो उसमें ड्राइवर खुद या पैसेंजर्स की मदद कर सके वह "पर्पज" हल नहीं होता है। यह प्राविजन करके ड्राइवर के लिये एक कम्पलसरी पनिशमेंट लगा दिया गया है जब तक उसके पास रिफ्रेशर कोर्स या फर्स्ट ऐड का सर्टिफिकेट न हो वह ड्राइवर नहीं हो सकता। ड्राइवर होने के लिये अब यह आवश्यक है कि उसे अपनी जेब से कुछ रुपया घूस में सर्टिफिकेट के लिये देना होगा तब वह ड्राइवर हो सकेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था कंडक्टर के लिये भी रक्खी गई है। तो ये व्यवस्थायें जनहित के लिये अच्छी नहीं हैं जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं की जाती जहां कि ये लोग ट्रेनिंग पायें। सिर्फ लाइसेंस की कैद लगा देना मैं यह समझता हूं कि यह प्रजातांत्रिक प्रणाली के बिल्कुल विरुद्ध है और यह प्रथा करप्शन को प्रोत्साहन देने वाली है।

अब तक तो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स में करप्शन खुद दूसरी मात्रा में मुमकिन था लेकिन अब इनको खुद करप्शन का शिकार होना पड़ेगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि जो प्राविजन किया गया है वह उचित नहीं है। इसको हटा दिया जाय तो अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, और भी दो एक बातें हैं। मोटर वेहिकिल्स विथ लेफ्ट हैन्ड सिगनल यह बहुत अच्छा प्राविजन है। लोगों को धोखा हो जाता है कि किधर को ड्राइवर जायगा?

तीसरी बात इसमें कंडक्टर और ड्राइवर की ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी को रक्खी गई है वह बहुत खतरनाक है। उनकी अलग-अलग ड्यूटीज हैं और किसी की जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं आनी चाहिये। कोई मासूम है और उसका अपराध न हो लेकिन वही उसका शिकार हो जाता है। ऐसे बहुत से दृष्टान्त माननीय सदस्यों की नोटिस में आते होंगे। कंडक्टर ने किसी आदमी के बैठ जाने की इजाजत दे दी, इंस्पेक्टर आया और उसने पकड़ लिया कि इतने टिकट क्यों नहीं बने और ड्राइवर्स और कंडक्टर्स दोनों की सर्विस खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ कंडक्टर की गलती थी। और इसी प्रकार से यह जो १८ फरवरी को विज्ञप्ति है उसमें जो कंडक्टर वाली बात कही गई है। जो परिभाषा बदल दी है इसके द्वारा भी जो "क्लीनर" होता था उसके स्थान को खत्म कर दिया है। अगर गवर्नमेंट कम से कम इस मकसद को सदन के सामने रख देती कि चूंकि रोडवेज में एक बहुत बड़ी सर्विस हो गयी है, ड्राइवर, कंडक्टर के अलावा क्लीनर तीसरा व्यक्ति रख देने से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा खर्चा होगा। इसलिये सभी मोटर मालिकों के लिये व्यवस्था कर दी गयी कि वह भी क्लीनर न रखें। तो सदन शायद इस बात के ऊपर तैयार होता या न होता लेकिन संतोष तो हो जाता। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट को एक सर्वेंट न रखना पड़े इसलिये उसने मोटर मालिकों के लिये भी व्यवस्था कर दी कि अगर वह क्लीनर न रखें तो अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कहा गया है मुझे इसका बड़ा कटु अनुभव है कि कंडक्टर कितने बुरे ढंग से पैसेंजर के साथ पेश आता है। इसमें अक्सर देखा गया है कि कंडक्टर जो होते हैं वह पढ़े लिखे लोग होते हैं और प्रायः सूटेड बूटेड बाबू रहते हैं। ग्रामीण जनता में इतनी हिम्मत नहीं कि सूटेड बूटेड बाबू से या कंडक्टर से कहने की हिम्मत करें कि मेरा सामान ऊपर चढ़ा दीजिये या ऊपर से नीचे उठा दीजिये बल्कि उसके भेष को देखकर के कहने की हिम्मत नहीं होती और यह कहते हैं कि पता नहीं सरकार ने क्या कर दिया है। पहले मोटरों में व्यवस्था थी कि क्लीनर रहता था। अब सामान उतार देने की और चढ़ा देने की व्यवस्था नहीं है। पैसेंजर को वहां बड़ी असुविधा हो जाती है। जहां कुली लोग होते हैं वहां पैसा खर्च तो हो जाता है लेकिन वहां ऐसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कुली नहीं है और कंडक्टर से ही काम लेना पड़ता है, मुझे तो इसका परसनल तजुरबा है, मेरे सामने ही ऐसे पैसेंजर्स के केस आते हैं। वे रोडवेज के ही हैं जहां कंडक्टर ने इस बात को साफ कहा है, हालांकि गवर्नमेंट यह कह सकती है कि ऐसी अप्लीकेशंस आनी चाहिये लेकिन छोटे-छोटे कर्मचारियों के खिलाफ इस प्रकार की अप्लीकेशंस आये दिन आयें, एक एक कंडक्टर के खिलाफ हमेशा ऐसी शिकायतें बनी रहती हैं। इसलिये क्लीनर की पोस्ट वेहिकिल्स में होना बहुत आवश्यक है। गवर्नमेंट का चाहे भले ही इससे बजट बढ़ जाय, लेकिन जनता की सुविधा को देखते हुये जहां हमारी सरकार के डिपार्टमेंटल अधिकारी मोटरों का दुरुपयोग करते हैं, न जाने कितने प्रकार के अनियमित भत्ते बनाते हैं, जैसा कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में मिलता है। लाखों रुपये की फिजूलखर्ची होती है। वहां यदि क्लीनर की पोस्ट को हटा कर कुछ रुपया बचाया जाय और जनता की असुविधा और बढ़ जाय तो मैं समझता हूं कि यह जो व्यवस्था है वह प्रजातंत्र प्रणाली के लिये और जनप्रिय सरकार के लिये बहुत ही आपत्तिजनक है और इसकी कभी सराहना नहीं की जा सकती।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने इस संबंध में काफी प्रकाश डाल दिया है। एक ट्रैक्टर के संबंध में मैं चाहता हूं कि जो संशोधन किये गये हैं उनमें मंत्री जी कुछ गौर करें और यदि हमारे तर्क से वह सहमत हों तो उसमें वह संशोधन कर सकते हैं। यह जो रूल्स १८९ है उसके बाद १८९ (ए) के रूप में एक नियम बढ़ा दिया गया है। १८९(ए) रूल इस प्रकार से है—

"*Driving of tractors on road*—(1) No tractor shall be driven on a public road at a speed exceeding six miles per hour or shall take sharp turns thereon."

इसका अर्थ यह है कि ऐसे सभी ट्रैक्टरों को मुमानियत होगी जो छः मील से ज्यादा रफ्तार में चलते हों, वह सड़क पर न चल सकें। अक्सर ट्रैक्टर्स की रफ्तार बहुत कम हुआ करती है और कुछ छोटे ट्रैक्टर्स ऐसे हैं फर्ग्युसन आदि जो १६,१७ मील की रफ्तार से चलते हैं लेकिन ज्यादातर ट्रैक्टर ६, ७, ८, ९ मील प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलते हैं और उन पर अगर वह रफ्तार का बंधन लगा दिया जायगा कि सभी ट्रैक्टर ६ मील की रफ्तार से चलें तो जिनकी ८ या ९ मील की रफ्तार है वह भी ६ मील की रफ्तार से ही चलेंगे। ऐसा बंधन इस नियम के द्वारा हो जाता है और मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक सा है। क्योंकि जो टायर पर चलने वाले ट्रैक्टर हैं और जिनकी रफ्तार ८, ९ मील प्रति घंटा है इनसे सड़क को नुकसान होने वाला नहीं है तब उनकी रफ्तार क्यों कम की जाय? तो इस रूल १८९ में जो सब रूल (१) है उसमें मैं चाहता हूं कि बजाय ६ मील के १० मील कर दिया जाय इससे कोई दिक्कत नहीं होगी।

दूसरे, इसका दूसरा सब रूल है:

"(2) Every tractor, when driven on a metalled road, shall be driven as far as possible on the side strips of such road."

इसके संबंध में मुझे यह कहना है कि इस धारा से सभी ट्रैक्टरों पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि वह जहां तक हो सड़क के किनारे पर चलें। खास मकसद इसमें यही रहा होगा कि सड़कों पर चल करके ट्रैक्टर सड़क को खराब कर देंगे। लेकिन जो ट्रैक्टर्स न्यूमेटिक टायर्स पर चलते हैं वह सड़क के बीच में क्यों नहीं चल सकते। मैं नहीं समझता कि उन पर भी यह प्रतिबन्ध लगाना कहां तक ठीक होगा। तो यह भ्रम इससे पैदा हो जाता है और इससे ऐसा भी हो सकता है कि करेप्शन बढ़े। वह अधिकारी जो इन नियमों को देखता है कि इनकी अवहेलना कोई कर रहा है या नहीं वह ऐसे भी लोगों को पकड़ सकता है कि जिनके ट्रैक्टर टायर पर हैं मगर वह किनारे पर नहीं चल रहे हैं। तो अगर इसमें यह बढ़ा दिया जाय कि टायर वाले ट्रैक्टर्स पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध न लगेगा तो इस प्रकार उससे यह साफ हो जाता है। क्योंकि जो हैं या चेन टाइप के हैं या हाफ ट्रेक ट्रैक्टर्स हैं उन्हीं से सड़क खराब हो सकती है जो न्यूमेटिक टायर्स पर चलने वाले ट्रैक्टर्स हैं उनसे सड़क को कोई हानि पहुंचने वाली नहीं है तो उन पर यह प्रतिबन्ध न लगाया जाय। यह मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। तो इस विषय में जो मैंने सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर गौर करेंगे।

तीसरे, कुछ थोड़े से शब्द मुझे कंडक्टर के बारे में भी कहना है। माननीय मंत्री जी ने उस धारा में अटेंडेंट की जगह कंडक्टर रख दिया है। इस प्रकार गाड़ियों पर अटेंडेंट नहीं रह सकेंगे, क्लीनर्स नहीं रह सकेंगे और इस प्रकार यात्रियों को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। यह जरूर है कि इससे खर्चा बढ़ता है और सरकार ने यह ध्यान रखा कि यह सारा काम कंडक्टर से ही कराया जाय। आज गाड़ी पर जो कंडक्टर होता है वह लगेज को गाड़ी पर चढ़ाने में सुविधा नहीं दे सकता। यह सभी लोगों ने देखा होगा और मुझे निजी अनुभव है कि यह सुविधा कंडक्टर दे नहीं पाता क्योंकि कंडक्टर का काम ऐसा है कि उसमें थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग ही भर्ती होते हैं और इस कारण वह यह सेवा नहीं कर पाते। तो जब वह सेवा नहीं कर पाते हैं तो सेवा करने को उन्हें बाध्य किया जाय यह मुमकिन नहीं होता है। तो जो क्लीनर गाड़ी पर रहता था उसके घटने से यात्रियों की सुविधा खत्म हो जाती है, घट जाती है और

यात्रियों की सुविधा को देखते हुये इस पर फिर से विचार करना चाहिये कि अटेंडेंट को रखा जाय और कंडक्टर का जो प्राविजन आगे धारा में दिया हुआ है वह ज्यों का त्यों बना रहे तो इस तरीके से यात्रियों को सुविधा बनी रहेगी। यद्यपि कुछ थोड़ी बहुत आय में कमी हो सकती है। इस आय में कमी से कोई नुकसान तो हो नहीं रहा उनको ऐसा कोई कारण नहीं है, या कि इससे पब्लिक सर्विस वेहिकिल्स चलाने वालों को कोई नुक्सान हो। यह हो सकता है कि कम फायदा हो तो कम फायदे को और यात्रियों को सुविधा देने में, इन दोनों पर विचार करते समय यह उचित है कि यात्रियों की सुविधा का ध्यान अधिक रखा जाय। तो मैं समझता हूं कि इस पर भी माननीय मंत्री जी को गौर करना चाहिये।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक इसमें जो संशोधन लर्नर्स लाइसेंस के बारे में रखा गया है उस संबंध में अपोजीशन की तरफ से यह बात कही गई कि जो व्यवस्था इसमें रखी गई है उससे लर्नर्स लाइसेंस के डुप्लीकेट के जारी करने में बहुत ही मुश्किल पड़ेगी और इसको न रखना चाहिये। लेकिन मैं माननीय सदस्य का ध्यान जो ड्राइवर्स लाइसेंस के लिये व्यवस्था की गई है रूल ११ में उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। उसको अगर माननीय सदस्य पढ़ेंगे तो उसमें कोई नया टेस्ट लेने की बात नहीं है, सिर्फ इत्तला देने की बात है और कुछ फोटो वोटो भी चूंकि वह गायब हो गया है इसलिये फिर से फोटो साथ में नत्थी करने की बात आती है और वह लाइसेंस दे देने के बाद फिर इत्तला उसको दे देना होती है। सिर्फ जो बात है उसमें ५ रुपया फीस रखी गई है जो कि इसमें १ रुपया रखी गई है तो इसमें जो संशोधन पेश किया गया है उसके माने तो सिर्फ इतने ही होते हैं कि रूल ११ का जो प्रोसीज्योर है वही प्रोसीज्योर इसके लिये ऐप्लाई करेगा। सिर्फ फ़ीस में परिवर्तन कर दिया गया है कि बजाय ५ रुपये के १ रुपया हो। और कोई खास इसका मतलब नहीं कि जिस तरह से पहले पहले किसी ड्राइवर को लाइसेंस लेने के लिये जाना पड़ता है तो टेस्ट देना पड़ता है, दुनिया भर की बातें उसको करनी पड़ती हैं वह सब भी इसमें लागू होंगी, वह तो है नहीं इसमें। असल में रूल ११ में जो प्रोसीज्योर है वही लागू करेगा सिर्फ फीस में परिवर्तन कर दिया गया है कि १ रुपया फीस होगी।

इसके बाद मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब कि हमारे माननीय सदस्य ने यह बात कही कि गवर्नर साहब को या जो नेशनल फ्लैग के लगाने के अधिकारी हैं उनको, दिन में लाइट देनी पड़ेगी अपनी कारों में, मैं नहीं समझा की कहां से यह बात हमारे माननीय सदस्य को सूझी। ऐसी तो कोई चीज इसमें है नहीं। जिस दफा में यह चीज जा रही है उसमें बहुत साफ २ लिखा हुआ है कि अंधेरे के वक्त, आफ्टर सन सेट, जब रोशनी नहीं रहेगी तो इन लोगों को अपनी कार वगैरह में लाइट रखनी पड़ेगी और उसमें व्हाइट लाइट का जिक्र है। तो चूंकि वहां व्हाइट लाइट का जिक्र था इसलिये संशोधन लाया गया कि इन इन लोगों को इस किस्म की रेड लाइट लगाने का अधिकार होगा जिसकी वजह से यह जाना जा सके कि गवर्नर साहब की कार है या किसकी। तो इस लिहाज से यह संशोधन जहां पर कि रखा गया है वह सिर्फ इस कदर है कि उनकी कार में व्हाइट लाइट की जरूरत नहीं है बल्कि व्हाइट लाइट के बजाय उनकी कारों में रेड लाइट होगी। और रेड लाइट किस वक्त में होगी यह चीज जिस रूल में यह संशोधन किया जा रहा है उसको तो आप अलग रख देते हैं और केवल इस संशोधन को पढ़ देते हैं और उसका तरजुमा यह लगाते हैं कि उसको दिन में भी रेड लाइट करनी पड़ेगी। यह तरजुमा किसी तरीके पर भी उसका नहीं हो सकता है। असल में वह अंधेरे के वक्त के लिये रखी गई है और वही चीज इसके लिये लागू होगी कि अंधेरे के वक्त में उनकी गाड़ियों में ह्वाइट लाइट के बजाय रेड लाइट होगी।

मैं एक बात से जरूर इत्तफाक करता हूं जो कि कंडक्टर या अटेंडेंट या क्लीनर के बारे में बात कही जाती है। बस पर चलने वालों को मैंने यह जरूर देखा है कि बहुत बड़ी दिक्कत होती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा]

कंडक्टर्स जैसा कि कहा गया है पढ़े लिखे आदमी होते हैं, बाबू टाइप के होते हैं। ऐसी हालत में उनको असबाब के उतारने-चढ़ाने में झिझक होती है, शर्म आती है और वह अवायड करना चाहते हैं कि हमको यह चढ़ाना उतारना न पड़े और जैसा कि कहा गया बहुत से यात्री देहात के जो होते हैं कायदे कानून से वाकफ़ियत ज्यादा उनको नहीं होती है, उनको भी बड़ी शर्म आती है बल्कि वह जानते भी नहीं हैं कि हमको कंडक्टर से यह ड्यूटी लेनी चाहिये या नहीं।

इसके अतिरिक्त मुझको एक बात और भी इस सिलसिले में कहनी है और वह यह है कि कंडक्टर को जहां पर गाड़ी खड़ी होती है वहां पर जो यात्री कि उसमें चढ़ना चाहते हैं उनके लिये टिकट बनाना पड़ता है, उसको यह भी देखना पड़ता है कि कोई बिला टिकट का यात्री न आकर इसमें बैठ जाय और अक्सर जब वह किसी दूसरे काम में लगा रहता है तो ऐसी बात हो भी जाती है कि कुछ बिना टिकट के लोग उसमें आकर बैठ जाते हैं और वह इस इत्मीनान की वजह से कि मैं तो यहां मौजूद था कोई बिला टिकट न बैठा होगा बाज वक्त चेक भी नहीं करता है और बाद में मालूम पड़ता है कि कोई बिला टिकट भी बैठा है। तो इन सब बातों में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और बसें अपने टाइम पर छूट नहीं पाती हैं और न पहुंच पाती हैं। तो अलावा इसके कि यात्रियों को उनके असबाब के चढ़ाने-उतारने में असुविधा होती है अगर अटेंडेंट नहीं रहता है इसके अलावा बसों की एफिशियेंसी और उनके ठीक से छूटने और पहुंचने के लिये भी इस बात की आवश्यकता है कि एक अटेंडेंट या क्लीनर उस पर हो। इससे बहुत ज्यादा सहूलियत होगी और मैं यह समझता हूं कि रोज रोज की झिकझिक और रोज रोज की परेशानी अगर यह मिट जाय तो जितने यात्री हैं वह बस पर चलना ज्यादा पसन्द करेंगे।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री रामहेत सिंह से) माननीय सदस्य क्या बोलना चाहते हैं?

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--जी हां, खड़ा तो हुआ हूं बोलने के लिये ही।

श्री उपाध्यक्ष--तो माननीय सदस्य के बोल लेने के बाद प्रश्न उपस्थित किया जायगा।

श्री रामहेत सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चतुर्वेदी जी ने संशोधन रखा था मैं उसका समर्थन करता हूं। जहां तक देहात में ट्रैक्टरों का सम्बन्ध है जिनके पास ट्रैक्टर हैं या जिन्होंने कोआपरेटिव सोसाइटीज बना ली हैं और उनके जरिये ट्रैक्टर मंगा लिये हैं या जिन्होंने चार-चार पांच-पांच मिल कर फार्म बना लिए हैं और ट्रैक्टर ले लिए हैं उनकी दिक्कत यों हो जाती है मान लीजिये कि कोई सामान लेकर उनको जाना है, कोई जरूरी काम आ जाता है तो प्रतिबन्ध लगा देने से कि ६ मील से अधिक रफ्तार से अधिक ट्रैक्टर नहीं चला सकते, उनको कठिनाई पड़ेगी और मेरी समझ में यह ठीक नहीं है। जहां तक रफ्तार का ताल्लुक है बड़े बड़े ठेले दो दो सौ मन और ढाई ढाई सौ मन बोझ लाद कर इस रफ्तार से जाते हैं कि उनसे सड़कों पर दूसरी सवारियों का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जितनी दिक्कत इन ठेलों से होती है उतनी इन ट्रैक्टरों से नहीं होती है। १५ मील ज्यादा से ज्यादा रफ्तार ट्रैक्टर की होती है और दस या बारह से ज्यादा कोई ट्रैक्टर चलता नहीं। और १०-१२ मील से ज्यादा जब नहीं चलता तो उससे कोई दिक्कत चलने में नहीं होती। दिक्कत ठेले से या अन्य दूसरी सवारियों से, कार से होती है जो कि ६० मील, ५० मील की रफ्तार से जाती है यात्रियों का चलना मुश्किल हो जाता है। जिन मोटर ठेलों पर रबर के पहिये हों और इतना वजन लादा जाता हो कि डेढ़ सौ, दो सौ मन वह वजन ले जाते हैं, उनसे जब हानि नहीं होती तो जो ट्रैक्टर कम वजन का होता है उससे दिक्कत सड़क पर नहीं हो सकती है। यदि वह किनारे पर चलें तो उससे दिक्कत हो जाती है कि जहां तक दूसरी सवारियों के चलने का सवाल है जो कि पैदल हैं वह ज्यादातर किनारे पर चलते हैं, कच्ची सड़क पर, रोड को छोड़ कर

के। अगर ट्रैक्टर को वहां चलने को बाध्य कर दें तो उससे उनको दिक्कत हो सकती है और वह कच्चा रास्ता ज्यादातर खराब हो सकता है, यानी पटरी खराब हो सकती है, बजाय डामर रोड के। तो जब डामर रोड पर मुमानियत रखें और कच्ची सड़क पर न रखें तो उससे वह बहुत ज्यादा खराब होगी और ज्यादा नुक्सान होगा।

इसलिये जो चतुर्वेदी जी ने संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र--मेरा क्लोजर का प्रस्ताव आपके समक्ष है, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। मेरे प्राणों का क्षय हुआ, उसको प्रस्तुत किया पूर्व वक्ता के पहले से वह आपके विचाराधीन है। अपने प्राणों का संहार करके मैंने उसे आपके विचारार्थ प्रस्तुत किया था। मैं आशा करता था कि कोई व्यवस्था होगी, अथवा उसका रेफरेंस लेकर कुछ कहा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--शायद माननीय सदस्य ने नहीं सुना कि मैंने यह कहा था कि जो सदस्य खड़े हुए हैं, उनके बोलने के बाद मैं उपस्थित करूंगा ?

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--हम इसका विरोध करते हैं। अभी हमारी ओर से केवल एक सदस्य बोले हैं, हमें काफी मौका नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि काफी भाषण इस पर हो चुके हैं। प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--७२,

विपक्ष में--९।)

श्री चतुर्भुज शर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इन रूल्स के बारे में कुछ बातें कहीं और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने किस तरह से मोटर की सवारियों को सुविधायें मिलें आदि आदि बातों पर अपनी समझ से जो सुझाव रखे उन पर मैंने गौर किया। मुझे खेद है कि चूंकि बहुत सी चीजें अभी तक इस सदन के सदस्यों के सामने नहीं आयीं इस वजह से बहुत सी बातें हुई जो कि वैसे न होतीं। यह एक नया महकमा है। इसमें मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके अधीन हमें काम करना पड़ता है। एक हमारे यहां भी मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट और रूल्स हैं और इसमें कोई शक नहीं कि चूंकि बढ़ता हुआ महकमा है और ट्रैफिक भी काफी बढ़ रहा है इसलिये नये नये रूल्स की जरूरत अक्सर पड़ जाती है और वे बनाने पड़ते हैं।

माननीय नारायणदत्त जी ने कहा था कि इस ऐक्ट में परिवर्तन होना चाहिये। यह बात हमारे विचाराधीन है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर सोच रही है कि इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिये। जब विचार हो जायेगा तो एक विधेयक इस सदन के सामने लाया जायगा और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आयेगा। जो और बातें माननीय नारायण दत्त जी ने कहीं मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा गौर उन्होंने उन पर किया नहीं है। अक्सर यह भ्रम रहा है कि क्लीनर की जगह खत्म की जा रही है। ऐसी बात नहीं है। क्लीनर तो मोटर की सफाई के लिये रखा जाता है। रूल्स ट्रैफिक के लिये बनाये जाते हैं, जो रोड पर जाते हैं, जैसे ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, उनके लिये। जो गवर्नमेंट बसेज के या प्राइवेट बसों के क्लीनर्स होते हैं उनके लिये रूल्स की जरूरत नहीं है। वैसे भले ही हों कि गाड़ी कब साफ होनी चाहिये, कैसे साफ होनी चाहिये। तो यह तो एक मामूली सी बात है। तो क्लीनर्स की जगह तो रहेगी ही। प्राइवेट आपरेटर्स अगर क्लीनर्स रखना चाहें तो मनाही नहीं है। असल में जो परिवर्तन इसमें

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

थोड़ा बहुत किया गया है वह कंडक्टर्स और ड्राइवर्स के लिये है कि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग उनके लिये जरूरी है कि जिस वक्त उनकी नियुक्ति हो तो वे उसे जानें। माननीय नारायण दत्त जी ने कहा कि कंडक्टर्स के लिये जब उनका एप्वाइंटमेंट हो तब तो जरूरी नहीं है कि वे फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट पेश करें, लेकिन ५ साल के बाद रेफ्रेशर कोर्स के लिये रखा गया। ऐसी बात नहीं है। कंडक्टर्स के लिये भी रूल मौजूद हैं, रूल्स ८३ (c) जिसमें यह है कि जब उनका एप्वाइंटमेंट हो तो वे इस बात का सर्टिफिकेट पेश करें कि वे फर्स्ट एड जानते हैं। फिर यह जरूर यहां बढ़ा कि एक दफा जान लेने पर भी बाद में आदमी भूल सकता है इसलिये ४-५ साल के बाद फिर वह रेफ्रेशर कोर्स करे और फिर सर्टिफिकेट लाये कि वह फर्स्ट एड जानता है।

कंडक्टर्स और ड्राइवर में उन्होंने कहा कि भेद है। भेद किसी तरह का नहीं है, न एप्वाइंटमेंट के वक्त न बाद में। हां, ड्राइवर्स के लिये एक चीज रखी गयी है। जब वे ड्राइवर्स नियुक्त किये जाते हैं तो ५ साल के बाद कोई डिसएबिल हो जाता है, किसी की कैपेसिटी कम हो जाती है, आई साइट खत्म हो जाती है, हो सकता है कि जिस समय उसको ड्राइविंग का लायसेंस ग्रांट किया गया हो उस समय वह ड्राइविंग की पूरी योग्यता रखता हो, लेकिन बाद में उसमें डिसएबिलिटी आ सकती है। इसलिये जरूरी समझा गया कि ५ साल के बाद वह अपने लायसेंस को रिन्यू कराते वक्त सार्टिफिकेट दें कि वह फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जानता है और अच्छी तरह से देख लिया जाय कि ड्राइविंग की योग्यता उसमें मौजूद है।

एक बात माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने कही, जो एप्रूव्ड एजेंट की बात थी, उसमें परिवर्तन किया गया है। नियम ४९ (ए, बी) में जब तक एक प्रैक्टिस थी कि कोई भी आदमी जो कंडक्टर वगैर हो या जिनके पास कोई वैहीकल हो, उनका कोई मामला रीजनल ट्रांसपोर्ट अथौरिटी या स्टेट ट्रांसपोर्ट अथौरिटी के यहां है तो वह अपने बजाय किसी अथोराइज्ड परसन को भेज सकता है, वह बहस कर सकता है और कार्य कर सकता है। इसको बदलने की इसलिये जरूरत पड़ी कि वास्तव में बहुत गड़बड़ी हुई। वकीलों को तो कोई चाह नहीं थी कि वह इसमें वकील हों। लेकिन जो ऐजेंट हो सकते हैं, जो आदमी औथोराइज्ड हुये, उन्होंने एक तरह से अपना प्रोफेशन बना लिया और टाउट्स हो गये। बहुत से लोगों ने ऐसा किया कि उनके सिगनेचर्स तक नहीं मालूम हो सकते थे कि वास्तव में उनको अथोराइज किया है या नहीं। जिन लोगों की इन केसेज में पैरवी करने के लिये एक क्लास हो जाती है, जो अपने को माहिर बतलाते हैं, वकीलों के लियेतो ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उनको एल० एल० बी० डिप्लोमा लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर उनको पैरवी करने का, वकालत करने का अधिकार होता है। लेकिन इन केसेज में कोई आदमी किसी का वकील हो सकता है और उसके ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं है। वकील के ऊपर होती है, वह अगर मिसबिहेव करे तो उनके लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बना है, जिसके अनुसार वह पकड़ा जा सकता है। लेकिन यह ऐसे वकील पैदा हो गये हैं जो न केवल अथोरिटीज को ही धोखा देते हैं बल्कि जिनकी तरफ से आते हैं उनके खिलाफ भी काम करते हैं और उनके केसेज में बड़ी मुश्किल होती है कि जिसने उसे अथोराइज किया है उसके सिगनेचर्स नहीं जाने जा सकते हैं कि वह अथोराइज्ड है या नहीं। इसलिये इसके बदलने की जरूरत हुई, आवश्यकता हुई और तजुर्बे ने बतलाया ऐसे मामलों में एप्रूव्ड ऐजेन्ट होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या मैजिस्ट्रेट या ऐफीडेविड कमिश्नर के सामने तस्दीक हो जाय।

एक बात यह कही गई कि सी में क्यों नहीं इसको रखा गया? थोड़ी सी दिक्कत पड़ जाती है। साधारण तरीके से जो आदमी अथोराइज किया जा सकता है, उसको एप्रूव्ड ऐजेन्ट रखा गया है, उसमें दिक्कत यह है कि (सी) कंट्रैक्ट कैरिजेजके लिये ही फिर किया गया है, जो सिर्फ मैरिजेज इत्यादि कामों में लिये ही गाड़ी ली जायंगी। ऐसे बहुत कम मामले होते हैं और टैम्पोरेरी परमिट होते हैं और रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर्स जानते हैं कि यह किसकी गाड़ी है

और कौन मांग रहा है ? तो इनकी संख्या बहुत कम होती है । इसलिये जरूरत नहीं समझी गई कि उनके लिये भी एप्रूव्ड एजेन्ट का सवाल लगा दें, इसलिये केवल उसमें नहीं कहा गया तो जहां तक इन बातों का सवाल है वह समझ कर ही रखी गयी है ।

सीताराम जी शुक्ल ने जो बातें कहीं वह तो मेरी कुछ समझ में नहीं आयी कि किस तरह से उन्होंने यहां पर किसानों का केस प्लीड किया और कैसे हमारे लिए अधिकारों के हविस की बात पैदा होती है ? इन रूल्स का केवल मन्शा यह है कि आपकी रोड्स पर गाड़ियां ठीक-ठीक चलें, जनता को तकलीफ न हो, सवारियों को आराम मिले, कंडेक्टर और ड्राइवर जो हों वह अच्छे किस्म के आदमी हों, योग्य आदमी हों और जनता की सेवा करें । इसके अवाला इसमें कोई पैसा कमाने या किसी और चीज की बात नहीं है । फिर उन्होंने कहा कि किसानों के लिये ट्रैक्टरों की मनाही कर दी गयी है और उनका बहुत नुकसान हो जायगा । मैं सीताराम जी से जानना चाहता हूं कि कितने लोगों के पास ट्रैक्टर हैं, किसानों के पास जो ट्रैक्टर हैं उनका क्या परसेन्टेज है उनके जिले का ही मालूम हो जाय ? मैं यह समझता हूं कि किसी भी जिले में ३०,४० ट्रैक्टर से अधिक नहीं होंगे । ट्रैक्टर जिनके पास है वह बड़े आदमी हैं । छोटे आदमियों के पास ट्रैक्टर नहीं हैं । छोटे आदमियों की दिक्कत मिटाने के लिये ही यह नियम बनाने जा रहे हैं । सड़कों को लोग बरबाद करने की कोशिश न करें इसलिये यह बनाये जा रहे हैं । यह भी मन्शा है कि जो असुविधा मालूम पड़ती है उसको किस प्रकार से दूर किया जाय उनका प्रबन्ध करने के लिये ही यह रूल्स बनाये जा रहे हैं ।

एक बात राम नारायण त्रिपाठी जी ने कही और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कही कि गवर्नर की कार में या मिनिस्टर की कार में रेड लाइट क्यों लगायी जाये उससे खतरा पैदा हो जायगा । मेरे खयाल में उसकी भाषा को समझने में राम नारायण त्रिपाठी जी ने गलती की । उसकी भाषा जो है उसका मतलब यह है कि जिन आदमियों को अपनी कार में दिन में झंडा लगाने का अधिकार है उसी जगह वह रेट लाइड लगा सकते हैं, परन्तु राम नारायण त्रिपाठी जी ने इसका दूसरा ही मतलब लगाया कि ड्यूरिंग दि डे उनको लगाने की जरूरत पड़ेगी । वह तो उन लोगों के लिये है जो अथोराइज्ड हैं;

"may have a red light in front of the Car on the rod in which the National Flag is displayed during the day."

इसका अर्थ उन्होंने कैसे लगा लिया कि जिन लोगों को दिन में झंडा लगाने का अधिकार है वह रात में लाइट नहीं लगा सकते ? यह तो स्थान को इंगित करता है । गवर्नर साहब की कार में जो लाइट लगेगी वह दूसरी जगह लगेगी और मिनिस्टर या स्पीकर जो लोग अथोराइज्ड हैं नेशनल फलैग लगाने के, तो जहां पर नेशनल फलैग दिन में लगाया जायगा उस रोड पर रात को वह रेड लाइट रहेगी । इसका कितना अनर्थ किया गया ? इसमें मेरा दोष नहीं है यह तो भाषा का दोष है या भाषा न समझने वालों का दोष है । इसमें कोई खास बात नहीं है । एक साधारण सा अधिकार जो लोगों को है उनके लिये लाइट लगाने की व्यवस्था की गई है और उसी चीज को साफ करने के लिये यह रूल बनाया गया जिससे किसी तरह से ट्रैफिक में कहीं गलती न हो और लोगों को कुछ गलत-फहमी न हो । इसमें कैसे एक्सीडेंट का मन्शा पैदा होता है ? अगर ऐक्सीडेंड वगैरह होता है तो आखिर हम भी थोड़ी सी अक्ल रखते हैं उस चीज को बचा सकते थे । अगर उन ऐक्सीडेंट से उनकी हमदर्दी है तो उसके लिये मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं । लेकिन इन रूल्स से यहां पर कोई डर नहीं है और न हमारी तरफ से डर होना चाहिये कि कोई एक्सीडेंट होगा । गाड़ी ठीक तरह से चलती जायगी और जिस तरह से चल रही है उससे भी ठीक चलेगी ।

राम नारायण त्रिपाठी जी ने एक बात और कही कि कुलियों को लाइसेंस दिया जाना चाहिये । वहां पर कुली नहीं मिलते हैं और कंडेक्टर से यह काम नहीं लेना चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से यह दलील दी जाती है कि अगर कोई अच्छे कपड़े

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

पहिन ले तो वह कोई मेहनत का काम न करे और कैसे अपनी ड्यूटी को करना कोई बुरा काम समझा जाता है ? अगर कन्डक्टर कन्डक्टर है तो उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, नाम उसका कुछ भी हो, जो भी आदमी आयें उनकी मदद करना, सवारियों को टिकट देना, उनको स्थान बता कर मदद करना या कह देना कि आप फलां जगह बैठें, इस सब में उसका क्या बिगड़ता है । या अगर वह किसी का सामान भी ठीक जगह पर रखाने में मदद करता है तो इसमें उसकी सफेद पोशी पर क्या प्रभाव पड़ता है ? क्या आप चाहते हैं कि सफेदपोश जो हो वह कोई काम न करे अपनी ड्यूटी भी न करे ? अगर किसी के नाम के आगे कोई सम्मानित शब्द जुड़ गए तो क्या उसको कोई काम न करना चाहिए ? क्या आप यह चाहते हैं कि केवल चन्द आदमी ही सम्मानित समझें जायं और बाकी लोग सम्मानित न समझें जायं ? मैं तो नहीं समझता कोई भी सम्मानित सदस्य इस तरह की परम्परा को कायम रखना चाहता होगा। क्या उनका यह मतलब है कि अगर कन्डक्टर किसी को मदद कर देतेहैंकिसी का सामान ठीक जगह पर रखवा देते हैं तो इस तरह का डिसटिन्क्शन लाना....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—वह ठीक काम करते नहीं है, यही तो दिक्कत है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसीलिए यह रूल बनाया गया है कि आप उससे कह सकें कि रूल बना हुआ है और तुमको कन्डक्टर का जब काम है तो इसको करना पड़ेगा। वैसे तो आप कह नहीं सकते थे लेकिन अब जब हमने रूल बना दिया तो आप कह सकते हैं कि जब रूल में तुम्हारा यह काम है तो तुम अपने उस फर्ज को क्यों नहीं करते ? और रूल इसीलिए बनाया गया है कि आप एतराज कर सकें और कह सकें कि यह कन्डक्टर का फर्ज है। इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि हमने यह सही दिशा में कदम उठाया है और इसमें उनको एतराज न करना चाहिए ।

एक बात हमारे माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने कही कि जो डेफिनिशन आर्टिकुलेटेड वेहिकिल्स की दी हुई है वह ठीक नहीं है । उन्होंने शायद ठीक से पढ़ा नहीं। जो दोनों तरह के ट्रेलर हैं और जो अलग हैं और ट्रैक्टर से जुड़े हैं उनको प्राहिबिट करना है लेकिन जो ट्रेलर ट्रैक्टर के पार्ट हो जाते हैं और जिनका वजन ट्रैक्टरको ही उठाना पड़ता है वह नहीं है। उस तरह के आर्टिकुलेटेड वेहिकिल्स को प्राहिबिट नहीं करना है, बल्कि उनको करना है जो अलग से जोड़े जाते हैं और इसी लिए हमने रूल्स में इस तरह से रखा है ।

एक संशोधन हमारे माननीय शम्भूनाथ जी ने दिया और २०१ के बारे में जो वह चाहते हैं उसको हम भी समझते हैं कि वह रीजनेबिल चीज है, हम भी चाहते थे कि इस तरह का कोई संशोधन हो जाय, लेकिन उसमें हमारी दिक्कत यह है कि अभी ऐक्ट में यह पावर रूल बनाने की हमें नहीं मिली है और जो हम रूल्स बनाते हैं वह उस पावर के अनुसार ही बनाते हैं जो हमें ऐक्ट में मिल जाती है। हम अभी एक्ट में इसको पहले ठीक कराने का विचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे रूल्स हैं एरेक्शन आफ साइन्स की बाबत, वह है सेक्शन ७५, सब सेक्शन ४ आफ मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, उसके अन्तर्गत हमें पावर दी हुई है कि अगर इस तरह से कोई साइंस बनावें तो उनको मना किया जा सकता है ।

दूसरी बात जो चतुर्वेदी जी रूल्स में संशोधन करना चाहते हैं मैं उसके औचित्य को मानता हूं, लेकिन उस तरह की कोई पावर अभी हमें नहीं है कि अपने ऐक्ट में हम इस तरह का रूल बना सकें। इसलिये मैं उसको मानने में असमर्थ हूं इसलिये कि कानूनन हम उसको कर नहीं सकते । दूसरा उनका संशोधन था कि इन दि प्रोपोज्ड सेक्शन दि वर्डस् "इफ इट इज" लिख दिये जायं। मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि जो दफा २०५ है उसमें सब तरह के ट्रैक्टर्स प्राहिबिटेड हैं। अगर हम उनका संशोधन मान लें तो जो

ट्रैक्टर्स हैवी स्टील ह्वील्स के हैं और जो लेस दैन टू फीट डाइमीटर के हैं वह नहीं चल सकेंगे बाकी चलेंगे। यह मंशा रूल का नहीं है। उसका मंशा यह है कि जो हेवी स्टील ह्वील लगा कर ले जाना चाहें वह नहीं ले जा सकते हैं। ट्रेफिक के हित में मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता।

इसके अतिरिक्त उनके जो संशोधन हैं वह भी वैसे हैं वह जिनकी जरिये से जो मंशा रूल बनाने का है वह नहीं रहता, क्योंकि इसमें ट्रैक्टर्स को चलाने की एक बात रखी गई है। दर असल में इसमें जो है थोड़ा सा कि ट्रैक्टर्स सड़क पर न चलें, तो उसका मंशा क्या है? कोई यह बात नहीं है कि ट्रैक्टर्स का जो सही इस्तेमाल है उससे उसको रोकना चाहते हैं बल्कि रोकना चाहते हैं कि ट्रेक्टर्स का और ट्रैफिक मोटर्स का परपज दोनों का अलग-अलग है। यदि आप ट्रैक्टर्स को यह मानते हों कि वह भी कोई एक ऐसी सवारी गाड़ी है या कोई माल ले जाने वाली वेहिकिल है जिसकी मोटर से या बैलगाड़ी से तुलना करे तो यह बात है। ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल दरअसल खेती के लिये है और यह सड़कें जो हमारी बनी हैं या तो वह सवारियों के लिये या सवारियों की गाड़ियों के चलने के लिये या माल की गाड़ियों के चलने के लिये होती हैं। तो असली मतलब यह है कि जिससे ट्रैफिक का काम न रुके यही इस विधेयक का मतलब है। और इसीलिये हमने ट्रैक्टर्स की एक चाल रखी कि ६ मील की रफ्तार से चलना चाहिये और ६ मील से ज्यादा नहीं चलना चाहिये। ज्यादातर माननीय सदस्यों ने यही कहा है कि उनकी चाल ही कम होती है। तो फिर कोई अन्तर नहीं आता। थोड़े से ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी चाल ज्यादा हो सकती है तो उन्हीं के लिये हैं कि यदि वे चाल को कुछ कम कर लें तो काम हो जाय। यही इसमें कहा गया है कि ६ मील की चाल वे बना लें तो फिर कोई असुविधा नहीं होगी। जहां तक मोटर्स की पटरियों पर चलने की बात है, यह माननीय सदस्य मानेंगे कि धीरे चलने वाली सवारी और मशीन से चलने वाली सवारी, यानी बैलगाड़ी और मशीन से चलने वाली सवारी में बड़ा फर्क होता है। बैलगाड़ी को जितनी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है उतनी आसानी से मशीन से चलने वाली सवारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसी रोड पर फिर तेज चलने वाली सवारी चल रही है और उसी रोड पर आपका ट्रैक्टर चल रहा है इसका तो नतीजा यह होता है कि एक दूसरे से भिड़न्त होने का अन्देशा रहता है। इसलिये यह रक्खा गया है कि यह नहीं कि पूरा-पूरा मना कर दिया गया हो जैसा कि नारायणदत्त जी ने कहा, कहीं पर पटरियां साइड पर न हों तो फिर क्या करें, सड़क पर ही चलें वैसे अगर पटरियां हैं तो धीरे से सड़क के किनारे जो पटरियां हैं उन पर से होकर निकल जायं। सवारी गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती हैं और ट्रैक्टर्स धीमे-धीमे चलते हैं। दूसरे ट्रैक्टर्स पर ज्यादा कंट्रोल भी नही है। उलट-पलट का ज्यादा डर रहता है। इसलिये यह रूल्स रखे गये हैं। यह नहीं कि उनको किसी तरह से नुकसान पहुंचाना मकसद हो। ट्रैक्टर्स जिस काम में लाये जाते हैं वह काम उनसे लिया जाय लेकिन यह न हों, कि बरातें ढोई जायं, या दूसरे काम लिये जायं। माननीय सदस्य मानेंगे कि सड़कों के हित में कि वे अच्छी हालत में रहें, एक्सिडेन्ट्स कम हों इसके हित में जरूरी है कि ट्रैक्टर्स जिन पर अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ था उन पर कंट्रोल किया जाय। ट्रेफिक के इन्टरेस्ट में यह सब रक्खा गया है ताकि एक्सिडेन्ट्स होने के चांसेज कम हों और इसीलिये ट्रेक्टर्स पर यह रोक लगाई गई। यही मुझे सदन के सामने कहना था।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य जिन्होंने संशोधन पेश किये हैं वे अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं?

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी—मुझे अब कुछ कहने का अधिकार नहीं है क्या?

श्री उपाध्यक्ष—अब भाषण नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं यह जानना चाहूंगा कि जवाब न देने का अधिकार किस नियम के अन्तर्गत नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष--अन्तिम भाषण मंत्री जी का हो चुका ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--मैंने जिस चीज को मूव किया इस पर मुझे रिप्लाई करने का भी अधिकार नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम १८५ (३) की ओर आकर्षित करूंगा जिसमें कोई अधिकार नहीं है ?

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--बहुत अच्छा, मैं वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये ।)

१९५०-५१ के विनियोग लेखे (एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट्स) और १९५२ की लेखा परीक्षा (आडिट रिपोर्ट) पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष--अब आइटम नं० ४ लिया जायगा ।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम)--जनाब से मेरी दरख्वास्त यह है कि आज यह न लिया जाय । मैं तो कौंसिल के काम में लगा हुआ था । इत्तिफाक से वह छूट गई और मैं यहां आ गया । मुझको मौका नहीं मिला है । आगे इसको कर लिया जाय तो बेहतर होगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--यहां हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं है । माननीय वित्त मंत्री जी जो कह रहे हैं वह ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष--यह मुल्तवी किया गया ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष--उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ पर अगर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह सोचता था कि हमारे बहुत पुराने मित्र और हमारे बुजुर्ग जो गन्ना के उद्योग से और खेती से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं वह इस ओर कुछ प्रकाश डालेंगे । उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत पड़ी । लेकिन ऐसा लगता है कि ठाकुर साहब वक्त बचाना चाहते हैं इसलिए ऐसा चाहते हैं कि मैं ही अपनी राय उनके सामने रखूं । तो ऐसा मैं समझता हूं कि हमारे माल मंत्री जी, जो खेतिहर परिवार के हैं, खेती से बहुत ताल्लुक रखते हैं और इस मामले से बड़ी हमदर्दी भी रखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वह बैठें कम से कम, मेरी बात को सुनें । जहां मैं ज्यादा कहने लगूं, जिस वक्त वह रोकेंगे मैं रुक जाऊंगा । मैं ऐसा समझता हूं कि जो कुछ मैं कहूंगा वह वैसी ही बात कहूंगा जिसको वह पसन्द करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह नियम जो हमारे सामने है वह बड़ा महत्वपूर्ण नियम है । यह तो आप इससे भी अन्दाजा करेंगे कि अधिनियम जो हम लोगों ने पास किया था वह केवल चार-पांच पन्नों का रहा है । लेकिन यह नियम जो है काफी विस्तार के साथ है । जो बातें अधिनियम में ऐसी रह गयी थीं जिन पर हम अपनी राय भी कु

कायम नहीं कर पाये थे, और कुछ हम सरकार के सामने या सदन के सामने कोई बात नहीं रख पाये थे, उसके लिए उस वक्त आश्वासन भी दिया गया था कि नियम बनाते समय ध्यान रखा जायगा। जहां पर किसानों का गन्ना बोनेवालों का अहित होता हो ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जायगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा सम्भव है कि याददाश्त पूरे तौर से काम न कर रही हो, या जिन लोगों ने उसको, इस विधेयक को जो अधिनियम बना, उस वक्त पारित किया था वह लोग नियम बनाते समय इस कार्य में न लगे हों। इसलिये कुछ भूल हुई हो। लेकिन ऐसी भूलें हुई हैं जिन भूलों को मैं चाहूंगा कि अमेंडमेंट की शक्ल में इस नियम में मान लिया जाय। यह मेरा सरकार से निवेदन है। कोई अमेंडमेंट अभी उपाध्यक्ष महोदय आपके सामने नहीं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सम्भवतः इस पर दूसरे लोग भी कुछ रोशनी डालेंगे और कल भी इस पर विचार हो तो आज जो संशोधन दे दिये जायं उसे आप स्वीकार कर लेंगे और उस पर सरकार को विचार करने का मौका मिल जायगा कि अगर कोई ऐसा संशोधन हो जिसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत न हो तो स्वीकार कर लिया जाय। मैं अब आपका ध्यान उसमें दिलाना चाहता हूं जहां पर कि इस नियम में संशोधन होना चाहिये।

बजट वर्ष, यहां पहली जुलाई से प्रारम्भ होने की बात कही गयी है। अगर बजट वर्ष पहली जुलाई से मान लिया जाय तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन असल में यही वर्ष हर काम के लिये लागू माना जायगा। तो पहली जुलाई के बजाय अगर इसको पहली जून कर दिया जाय, क्योंकि पहली जून से पहले तमाम फैक्टरियां बन्द हो जाती हैं, तो अच्छा होगा। पहली जून के बाद तक यह है कि कुछ फैक्टरियां चलती रहती हैं, लेकिन कम से कम गन्ना बोने का जो वक्त है वह पहली जून के पहले ही तक है। तो पहली जून के बाद एक महीने का वक्त मिलता है और पहली जून को बजट वर्ष मानने में हमको कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती। आगे चल कर देखा जायगा कि इसी वर्ष के हिसाब से सीजन का वर्ष भी माना गया है। मिल चलने का और गन्ना परिषदें जो बनेंगी तो उनका भी यही वर्ष मान लिया गया है। तो इस तरह से उनका काम एक महीने आगे हो जाता है। तो आगे सीजन के लिये गुंजायश हो जाती है कि जिसमें शुगर फैक्टरीज के लिये गन्ने का क्षेत्र निर्धारण करना, उसके बारे में फैसला करना, उसके बारे में आपत्तियों को सुनना और उसके बारे में जांच पड़ताल करना आदि काम इस बजट वर्ष को मान लेने से पहले के ४, ५ महीनों में खूब खूबी और विस्तार के साथ किया जा सकता है। इसलिये मैं सोचता हूं कि इस बजट वर्ष को बजाय पहली जुलाई के पहली जून से माना जाय और इससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी और सहूलियत बढ़ जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना बोर्ड के सम्बन्ध में कुछ उसके कार्यों की चर्चा इस नियम में है। गन्ना बोर्ड राज्य सरकार को निर्दिष्ट बातों के अतिरिक्त ऐसी बातों के सम्बन्ध में परामर्श देगा जो राज्य सरकार द्वारा उसके पास समय-समय पर अभिदिष्ट की जायं। यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन यह बात भी इसमें स्पष्ट कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि और अच्छा होगा कि कभी-कभी हमारे सूबे में इस तरह की कांफ्रेंसेज होती हैं कि जिनमें डेवलपमेंट के लिये लोगों को बुलाया गया और डेवलपमेंट के काम के लिये वह आये। कम से कम हमारी इस जिन्दगी में, एक लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर होने की जिन्दगी में दो सम्मेलन इस प्रकार के हुए और उन दोनों सम्मेलनों में जो गन्ना मिलों के मालिक आये वह कुछ वायदे कर गये। उनमें से कुछ तो बहुत अच्छे-अच्छे वायदे करते हैं कि वह ट्यूबवेल लगवा देंगे, पानी का बन्दोबस्त कर देंगे, सड़कें बनवा देंगे, लेकिन फिर उसके बाद जब हम दूसरी मर्तबा बैठते हैं और क्या प्रगति हुई है इस पर देखते हैं तो जो कुछ उन्होंने कहा था उसमें कुछ भी नहीं पाते हैं। इसके विस्तार में मैं इस समय निवेदन करने की जरूरत नहीं समझता, मेरा

[श्री गेंदा सिंह]

ऐसा अनुमान है कि माननीय चौधरी साहब, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं और माननीय फूलसिंह जी, जो प्लैनिंग के उपमंत्री हैं, उनके सामने दोनों सम्मेलन हुए हैं, पिछले साल नैनीताल में और अब की साल लखनऊ में। लेकिन उसमें कोई ऐसी खास प्रगति नहीं हो पाई कि जिसको हम कहते कि इतनी बड़ी तिजारत के लिये, इतने बड़े उद्योग के लिये उत्साहवर्द्धक हो। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर इस गन्ना बोर्ड के काम में यह भी जोड़ दिया जाय, स्पष्ट रखा जाय कि जो कुछ भी डेवलपमेंट के कार्यों के सम्बन्ध में कोई फैसला होगा उस पर भी इस गन्ना बोर्ड को कार्यवाही करने का अधिकार होगा, तो अच्छा था। ऐसा करने से एक लीगल सैंक्शन हो जायगी और जो कुछ वह वहां वायदा करते उसके पीछे एक लीगली सैंक्शन हो जाती। इस सिलसिले में मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि उसमें कहीं रुकावट नहीं है। जो अधिनियम है उसमें इस बात की पूरी गुंजायश है। और यहां एक तो यह शब्द लिखे जा रहे हैं कि गन्ना बोर्ड राज्य सरकार को अधिनियम में निर्दिष्ट बातों के अतिरिक्त ऐसी बातों के सम्बन्ध में परामर्श देगा जो राज्य सरकार द्वारा उसके पास समय समय पर अभिदिष्ट की जायं। तो इस तरह से राज्य सरकार को पूरी तरह से यह अख्तियार है कि वह जिस तरह की सलाह चाहे उसको भेज सकती है। तो राज्य सरकार को यह भी अधिकार हो कि जो वह सम्मेलन में प्रस्ताव हुए हैं, जो कुछ भी उन लोगों ने माना है उसको भी इस गन्ना बोर्ड में विचार करने के लिये और उचित कार्यवाही तथा लागू करवाने के लिये कुछ नियम बनने चाहिये।

गन्ना विकास परिषद् के सिलसिले में यह गन्ना विकास परिषद् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बता दूं कि गन्ना विकास परिषद् हर शुगर फैक्ट्री के क्षेत्र में एक एक परिषद् होती है, जिसको काउन्सिल कहते हैं। इस काउन्सिल का काम यह होता है कि यह अपने इलाके में, रिजर्व एरिया जो है उस एरिया में किस तरह से डेवलपमेंट का कार्य हो सकेगा, उसको चलाने के लिये यह परिषद् बनती है। इस परिषद् में फैक्ट्री के मालिक भी रहते हैं मैनेजर भी रहते हैं और जो सहकारी समितियां हमारी गन्ने की हैं उसके भी रिप्रेजेन्टेटिव रहते हैं। कई सरकारी अधिकारी भी उसमें रहते हैं और जो प्रतिनिधि गन्ना सहकारी समितियों से आते हैं उनकी स्वीकृति केन कमिश्नर महोदय देते हैं जब उस परिषद् के मेम्बर हो पाते हैं। तो यह परिषदें जो हैं वह काम की हैं इन परिषदों के जरिये हम गन्ने के क्षेत्रों में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि हमारे सूबे में इस तिजारत को तरक्की मिले। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इन गन्ना परिषदों को कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिये और प्रोत्साहन के सिलसिले में मैं कुछ अधिक इसके सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता हूं। नियम १० में लिखा हुआ है कि "परिषद् अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त अपने क्षेत्र के सामान्य विकास के लिये लाभकारी और उससे सम्बद्ध ऐसे अन्य कार्य भी करेगी जो कि केन कमिश्नर द्वारा उसे समय पर अभ्यर्पित किये जायं।" यह लिखा हुआ है कि गन्ना कमिश्नर द्वारा उसे समय पर अभ्यर्पित किये जायं। मैं यह सोचता हूं कि उसे यह भी अधिकार हो कि और यह शब्द अगर बढ़ा दिये जायं कि 'अथवा परिषद् आवश्यक समझे तो' उसका स्कोप बढ़ जाता है। यों तो परिषद् इस काम के लिये है ही लेकिन यहां पर जरा सा सामान्य विकास के लिये लाभकारी और उससे सम्बद्ध ऐसे अन्य कार्य भी करेगी जो कि गन्ना कमिश्नर द्वारा अभ्यर्पित किये जायं। तो अन्य कार्य के सम्बन्ध में गन्ना परिषद् स्वतन्त्र नहीं। अन्य कार्यों के सम्बन्ध में यह बात हो सकती है कि गन्ना के विकास में गेहूं का बीज देना नहीं हो सकता। तो अगर वहां की परिषद् ऐसी है उसके पास धन है और कार्तिक के महीने में किसान को जरूरत पड़ती है कि वह गेहूं का बीज हासिल कर सके। उसमें किसान

के लिये उस परिषद् तक पहुंचना ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि कहीं और जगह पहुंचे और परिषद् यह चाहती है कि हम गेहूं का बीज उसे दे दें। लेकिन चूंकि परिषद् के कार्यों में यह बात दाखिल नहीं है इसलिये परिषद् गेहूं का बीज नहीं दे सकती। तो गन्ने के विकास के सम्बन्ध में तरक्की की बात सोचते हुए अगर गेहूं का विकास भी करे, उसकी माली हालत ऐसी हो कि मदद दे सकती हो, गन्ना बोने वाला काश्तकार वह कर्ज की शक्ल में तो लेगा ही और गन्ने के दाम में से उस कर्ज को कटा देगा। लेकिन जरूरत पर उसको पैसा मिल जाय। इसलिये उसे भी अगर ऐसी इजाजत रहे तो यह काम अच्छा रहेगा और मैं समझता हूं कि गन्ना परिषद् का क्षेत्र बढ़ जायगा, गन्ना परिषद् कुछ ज्यादा लोकप्रिय हो सकेगी। इसमें हम देखेंगे कि १२ वें नियम के तीसरे उपनियम में यह लिखा हुआ है कि गन्ना कमिश्नर बजट के दौरान में किसी भी समय अपने द्वारा निर्दिष्ट किसी पद के सम्बन्ध में व्यय करने की आज्ञा दे सकता है और परिषद् की निधि से उस व्यय का भुगतान करा सकता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति अथवा परिषद् के किसी दोष के कारण किसी आकस्मिक, आवश्यक अथवा अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझा जाय।

अब इसके बाद यह जो तेरहवां है--"गन्ना कमिश्नर जहां आवश्यक हो, परिषद् के लिये वैभागिक लेखा परीक्षकों से मिल कर लेखा परीक्षकों को नियुक्त कर सकते हैं। उक्त लेखा परीक्षा पर होने वाला व्यय परिषद् निधि से पूरा किया जायगा। अब यह स्पष्ट नहीं मालूम होता है कि गन्ना कमिश्नर जहां आवश्यक हो परीक्षा के लिए वैभागिक लेखा परीक्षकों से मिल कर लेखा परीक्षकों को" नियुक्त कर सकता है। इसके क्या मानी हैं। वैभागिक लेखा परीक्षकों से मिल कर लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर सकता है, अब ऐसा लगता है कि कुछ लिखने में शायद गलती हुई हो लेकिन मैं इसको स्पष्ट समझ नहीं पाता हूं कि अगर वैभागिक लेखा परीक्षकों से मिल कर कोई लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है तो इसका तुक नहीं मालूम होता। हम इस सिलसिले में एक बात निवेदन करना चाहते हैं, हमारी जो कोआपरेटिव्ज हैं, सहयोगी समितियां हैं, आजकल इन सहयोगी समितियों में हिसाब किताब वाला मामला बड़ा गड़बड़ है और हम जब चौधरी साहब यहां बैठे रहते हैं तब गड़बड़ कहने में बहुत डरते कि जहां मैं गड़बड़ करता हूं तो वह यह समझ लेते हैं कि मैं उन्हीं की तरफ इशारा करता हूं कि गड़बड़ वही करते हैं हालांकि ऐसा मकसद हमारा कभी होता नहीं है। नीचे गड़बड़ी होती है तो मैं अब क्या कहूं गड़बड़ या गोलमाल यही दो एक शब्द हैं जो मैं कहता हूं। तो मैं यह कह रहा था कि देश में जो कोआपरेटिव्ज फैली हुई हैं उनके हिसाब किताब को देखने में बहुत होशियारी की और बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और खास तौर से इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है मैं समझता हूं कि कोआपरेटिव के जरिये हमारे देश का बड़ा उत्थान होने वाला है, तो कोआपरेटिव अगर हिसाब-किताब में बदनाम हो जाय तो वह तो जड़ से ही बिगड़ गई, फिर उससे हमारा उत्थान क्या होगा। तो कोआपरेटिव का जो हिसाब किताब ठीक रह सकता है उसका एकमात्र तरीका यह है कि हम लोग जो कोआपरेटिव चलाने वाले हैं, कुछ हम भी सतर्क रहें और अगर हमारी भी नीयत कहीं गड़बड़ हो तो मनुष्य तो कमजोरियों का पुतला है ही, तो उसके ऊपर यह लेखा परीक्षक लोग जो हों वह ऐसे हों कि जो हमारी कमजोरियों से हमको बचायें, हमको पकड़ें और जल्दी पकड़ें। जल्दी पकड़ लेंगे तो हम ज्यादा बिगड़ नहीं पायेंगे। हमारा यह अनुभव है कि यह जो केन कोआपरेटिव यूनियंस हैं इनमें कई यूनियंस में काफी गबन हुआ है और उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं शर्म आती है कहने में, जिस जगह से मैं आता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तरैया सुजान नाम की एक कोआपरेटिव यूनियन है। पहरा देते ही देते उस यूनियन में हर वर्ष चोरी हो जाती है, हर वर्ष

[श्री गेंदा सिंह]

गबन होता है और हर वर्ष हम भी जाते हैं वहां अपने लोगों को हाथ जोड़ आते हैं कुछ डांट डपट भी आते हैं लेकिन तब भी गबन हो जाता है और वह गबन २४ हजार रुपये तक पहुंच गया है। छोटी सी यूनियन है २४ हजार का गबन हो चुका है। कुछ लोगों को ६, ६ वर्ष की सजा हो चुकी है, कुछ लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं। अब दस पन्द्रह हजार रुपया गबन करने वाला आदमी सोचता है कि चलो या हुआ एक दो हजार रुपया खर्च करके मुकदमा लड़ लेंगे, बच जायेंगे। तो लेखा परीक्षक में, मैं यह सोचता हूं कि बजाय इसके कि वैभागिक लेखा परीक्षकों से मिलकर कोई लेखा परीक्षक नियुक्त करने की बात सोची जाय, क्यों न ऐसा किया जाय कि जिस तरह से एकाउन्टेंट जनरल सारे सूबे के लिए लेखा परीक्षक रखने का काम करता है उसी तरह से कुल १०० या १११ यूनियंस हमारे सूबे में हैं, इस १११ यूनियनों के लेखा परीक्षा का काम जो है वह एकाउन्टेंट जनरल को दिया जाय और एकाउन्टेंट जनरल...

नियोजन उप-मन्त्री (श्री फूल सिंह)--कौन सी धारा को रेफर कर रहे हैं ?

श्री गेंदा सिंह--यह तेरहवीं धारा है। वह इस प्रकार है---

"गन्ना कमिश्नर जहां आवश्यक हो परिषद् के लिये विभागीय लेखा परीक्षकों से मिल कर लेखा परीक्षकों को नियुक्त कर सकते हैं। उक्त लेखा परीक्षा पर होने वाला व्यय परिषद् की निधि से पूरा किया जायगा।"

तो खर्चे से तो कोई डर नहीं है, खर्चा डाल दीजिये, लेकिन लेखा परीक्षक ऐसा हो कि उसकी तरक्की, तनज्जुली, तकर्रुरी, इससे विभाग का कोई सम्बन्ध न हो, इसको विभाग से अलग कर दिया जाय। क्योंकि अगर उसी विभाग के ऊपर के हाकिम लोग उनका अप्वाइंटमेंट करते हैं, उनकी तरक्की करते हैं, तनज्जुली उन्हीं के हाथ में होगी.....

श्री फूल सिंह-- इसमें लिखा है डिपार्टमेंट वालों के अलावा।

श्री गेंदा सिंह--तब यह रिडन्डेंट है। अगर यह पुराना है, तब मैं नयी बात सोचूं। लेकिन यह नयी है। धारा १३ आप देखें। अगर मैं गलती पर हूं तो सुधार दें।

श्री फूल सिंह--उसमें तो लिखा है कि डिपार्टमेंट के लेखा परीक्षकों के अलावा।

श्री गेंदा सिंह--तो मैं इस बात पर विशेष तौर से जोर देना चाहता था कि केन कोआपरेटिव यूनियन्स जो हैं या तो उनके जो आडिटर हैं उनकी नियुक्ति और तरक्की, तनज्जुली ये सारी चीजें जो अकाउन्टेंट जनरल का डिपार्टमेंट है उनके मातहत कर दी जायें। और मैं कम से कम इतना जरूर चाहता हूं कि उनके मातहत वह न रहें। अगर उनके मातहत रहते हैं तो ठीक से जांच-पड़ताल होने में दिक्कत होती है और उनकी जो अवस्था है वह नहीं सुधरती है और न सुधरेगी। इसलिये वह हिसाब का कोड़ा हमारे ऊपर जरूर रहना चाहिये।

चौदहवीं के सम्बन्ध में एक मामूली बात मैं कहना चाहता हूं। वह यह है कि--

"परिषद् निधि गन्ना कमिश्नर द्वारा स्वीकृत किसी अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक में रखी जायगी और सभापति के नियंत्रण में गन्ना कमिश्नर द्वारा जारी किये गये आदेशों के अधीन यदि कोई हों, तो सचिव द्वारा जमा की और निकाली जायगी।"

अगर इसमें "स्थानीय" रख दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा। सहकारी बैंक स्थायी हो सकते हैं, लेकिन एक अप्रिय प्रसंग है, पर कह देना चाहता हूं कि यह जो सूबे का हमारा सहकारी बैंक है इसमें हम राय नहीं दे सकते कि उसमें पैसा भेजा जाय, बावजूद इसके कि सदन में मालूम नहीं कितने बार चर्चा हो चुकी कि हमारा दुअन्नी वाला पैसा जो इकट्ठा हो करके १,२६ लाख की जो रकम १९४८-४९ और १९४९-५० में थी, बावजूद इसके कि सरकार ने कहा कि इस पैसे को जल्दी से जल्दी किसानों के घर पहुंचा दो, आज भी, मैं इस मौके पर कह देना चाहता हूं कि इस सरकार के आदेश के बावजूद भी उसमें काफी रुपया ऐसा है कि जो आज तक किसानों को नहीं मिला। सरकार का साथ बिगड़ा और इस कोआपरेटिव बैंक का भी साथ बिगड़ता है। तो अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए यह तथ्य कह देना चाहता हूं कि प्रान्तीय सहकारी बैंक में अगर जमा होगा तो झगड़े में हम पड़ गये। कैसे निकलेगा? लखनऊ तक पहुंचना ही मुश्किल है। तो इसलिए स्थानीय सहकारी बैंक में रखा जाय, यह यहां पर रख देने की जरूरत है। एक बात और है। यहां लिखा है कि यथाविधि नियुक्त किया गया लेखा परीक्षक द्वारा हिसाबों की वार्षिक जांच की जायगी तथा परिषद् जांच की आपत्तियों को इस प्रकार दूर करेगी जिससे गन्ना कमिश्नर संतुष्ट हो जाय। तो गन्ना कमिश्नर संतुष्ट हो जाय इससे मुझे आपत्ति है। मैं मानता हूं कि वह बहुत अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन वह सारी बातों में अच्छा आदमी नहीं बन सकता है। उसकी नाजानकारी उसे बुरा बना सकती है। वह नहीं जानता है हर यूनियन की हालत को और ऐसी हालत में वह उस यूनियन से भी संतुष्ट हो सकता है जिससे उसका अहित हो जाय। यह हिसाब-किताब वाला मामला है इसलिये बजाय गन्ना कमिश्नर के एकाउन्टेन्ट जनरल संतुष्ट हो जाय, यह रख दिया जाय। और अगर यह हो जायगा तो जो शुबहात मैंने पहले रखे हैं वे काफी दूर हो जायेंगे और इसमें गबन वगैरह की बहुत कम गुंजाइश रह जायगी। कड़ाई से देखभाल होगी तो फिर पैसा डूबेगा नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं यह कहता हूं कि गन्ना कमिश्नर चाहते हैं कि रुपया डूब जाय। लेकिन उसके पास बहुत काम है, वह सारी चीजों को देखने में असमर्थ है।

१५ वें नियम में यह है कि गन्ना कमिश्नर परिषद् के किसी प्रस्ताव अथवा निर्णय को कारण बतलाते हुये अपने विशेषाधिकार से अस्वीकार कर सकता है अथवा उसमें संशोधन कर सकता है। यह बिल्कुल बेलगाम अख्तियार है। इस पर कहीं लगाम जरूर होनी चाहिये। इस प्रजातांत्रिक युग में किसी एक व्यक्ति को इतना बेलगाम अख्तियार देना मुनासिब नहीं है। हमारे मिनिस्टरों को भी इतने बेलगाम अख्तियार नहीं हैं। हम विरोधी दल के सदस्य हैं लेकिन हम भी कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिनमें माननीय मंत्रियों को परेशानी होती है, वे जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन देना पड़ता है। तो मैं यही चाहता हूं कि इसमें यह रख दिया जाय कि अगर वह परिषद् के प्रस्ताव को या निर्णय को अपने विशेषाधिकार से अस्वीकार करता है या संशोधन करता तो इतना जरूर हो कि जब वार्षिक अधिवेशन हो तो उसमें वह रखा जरूर जाय और उस पर लोगों को विचार करने का मौका मिले क्योंकि परिषद् ५-६ आदमियों की है। तो ५-६ आदमी तो ऐसा फैसला कर सकते हैं कि जो जनहित में न हो, लेकिन जब साधारण जलसा होगा तो उसमें विचार करने का कम से कम अवसर जरूर दिया जाय।

१६वां जो है इसमें यह है कि सचिव की ड्यूटी लिखी है कि सेक्रेटरी क्या कर सकता है। तो इसमें है कि वह प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि बैठक के दिनांक से सात दिन के भीतर गन्ना कमिश्नर के पास भेजेगा। तो उसके पास तो भेजेगा लेकिन जिनका सम्बन्ध परिषद् की कार्यवाहियों से प्रत्यक्ष है अगर उनके पास भी परिषद् के फैसले भेजे जायं तो यह उत्तम होगा। बहुत से फैसले ऐसे होते हैं परिषद् के कि जो सीधे कौंसिल से संबंधित किसान हैं उनको वर्षों तक उनका पता नहीं होता है। तो मैं यह कहता हूं कि यहां पर यह जरूर बढ़ा दिया जाय जहां पर यह गन्ना कमिश्नर के पास भेजेगा वहां यह बढ़ाया जाय कि "तथा इसके प्रकाशन की व्यवस्था करेगा जिसके द्वारा सम्बद्ध लोगों को जानकारी हो सके" यानी जो परिषद् के मेम्बर्स हैं या और

श्री गेंदा सिंह]

तरह से परिषद् से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, एक ५-७ रुपये की नोटिस छापी जा सकती है, जहां परिषद् में ४०-५० हजार और एक लाख रुपया खर्च करेगा वहां दो तीन परिषद् की बैठकें होंगी उनमें २५-३० रुपये में हजार पांच सौ नोटिस छापकर बतलाया जा सकता है कि परिषद् ने यह निर्णय किये हैं। जब लोगों को परिषद् के निर्णय मालूम हो जायेंगे तो लोगों में रिएक्शन होगा और अगर कोई ऐसी चीज हो रही हो कि मेम्बर्स आपसी स्वार्थ या किसी दूसरी भावना से प्रेरित होकर कार्य करेंगे तो वह दब जायेंगे और जनता के रिएक्शन से काम ठीक से हो सकेगा। इसलिये मैं सोचता हूं कि १६ के अंत में बढ़ा दिया जाना चाहिये।

एक मामूली सी बात नियम १८ में है कि समस्त जिलों के परिषदों की वार्षिक बैठक दिसम्बर के अन्त से पूर्व हो जायगी। यह भी ठीक है लेकिन यदि इसको हिन्दी महीने में रख दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है। यह रख दिया जाय कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगहन की अमावस्या के बीच में क्योंकि गन्ना अगहन के बाद ही बोया जाता है, यों तो अब बरसात भी इसके बोने के लिये तय किया है, लेकिन गन्ने का ज्यादा बोना जाड़ों में ही होता है तो खेत के तैयार करने का काम, खाद देने का काम और बीज देने का काम तो यह काम जल्दी होने चाहिये और जल्दी कर सकें इसलिये मैं सोचता हूं कि इसको जैसा मैंने कहा है रख दिया जाय।

क्षेत्र के सुरक्षित करने के सिलसिले में और अभ्यर्पित करने के सिलसिले में थोड़ा सा सीरियस गम्भीर, होने की जरूरत है। इसमें यानी नियम २१ में यह लिखा गया है कि:—

"फैक्टरी वाला पिराई का मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व गन्ना कमिश्नर के पास किसी क्षेत्र को सुरक्षित किये जाने के लिये या फैक्टरी को गन्ना सप्लाई किये जाने के लिये, प्रार्थना पत्र देगा।"

यह जो लिखा हुआ है कि पिराई का मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व यह गलत है। यह हो सकता है कि वह दिसम्बर में दे, नवम्बर में दे और उस जमाने में जबकि गन्ना ज्यादा पैदा होना है फैक्टरी वाले फूलते हैं और समझते हैं कि गन्ना लेकर कहां जायगा? इसलिये इस दरख्वास्त पर विचार विनियम करने के लिये, राय जानने के लिये फैसला करने के लिये केन कमिश्नर को पूरा-पूरा मौका होना चाहिये और काश्तकार को भी अपना दृष्टिकोण बताने के लिये पूरा अवसर मिलना चाहिये। इसलिये जहां पर यह लिखा हुआ है कि पिराई का मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व, वहां यह रख दिया जाय आखिर में, कि प्रार्थना-पत्र देगा जो ३० जुलाई तक अवश्य आ जायगा, ३० जुलाई तक आ जाने की पाबन्दी कर देनी चाहिये।

अब आप यह २२वां रूल देखें इसमें यह है कि "गन्ना कमिश्नर धारा १५ के अनुसार फैक्टरी के निमित्त कोई क्षेत्र सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित करने अथवा फैक्टरी द्वारा किसी क्षेत्र है खरीदे जाने वाले गन्ने का परिमाण निश्चित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा :—यानी जिस समय वह इलाका बांटेगा फैक्टरीज के लिय तो वह किन बातों पर गौर करेगा इन बातों पर वह गन्ना फैक्टरीज को देंगें। तो उसके लिये यह बताया गया है कि वह गन्ना कमिश्नर इन बातों पर गौर करेगा। तो इस सिलसिल में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इसमें और बातों के अलावा इन बातों का भी जिकर है। जैसे यातायात की सुविधा उन लोगों को होती है या नहीं। जितना गन्ना फैक्टरी में जाना चाहिये उतना गन्ना उन किसानों ने दिया है या नहीं और भी बहुत सी बातें हैं। जैसे फैक्टरी से क्षेत्र की दूरी, पिछले वर्ष में दिये गये का परिमाण। लेकिन दो चीज इसमें और बढ़ाना जरूरी हैं। एक तो यह बढ़ायी जाय कि जहां पर सहकारी समिति के विधान को ध्यान में रखा गया है वहां पर गन्ना उत्पादकों के विचार को भी ध्यान में रखा जाय तो अच्छा है। अब मैं एक कठिनाई इसमें बता दूं जरा इस पर भी ध्यान दिया जाय। कहीं-कहीं पर ऐसा होता है और ऐसे मौके आये हैं कि सहकारी समिति का जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स होता है वह कहीं-कहीं पर कुछ ऐसे प्रभाव में आगये कि उन्होंने काश्तकारों के हित की परवाह नहीं की। तो अगर वहां के किसान यह चाहते हैं कि उनकी सही तस्वीर और

उनकी तकलीफ सरकार के सामने और केन कमिश्नर तक पहुंचायी जाय वैसे अधिकार तो केन कमिश्नर को ही तय करने का है लेकिन वहां के काश्तकारों की राय जान ली जाय तो इससे केन कमिश्नर को बाधा नहीं पड़ेगी बल्कि केन कमिश्नर का अनुभव बढ़ेगा और केन कमिश्नर की जानकारी बढ़ेगी और केन कमिश्नर उस जानकारी से लाभ उठाकर आगे आने वाले सीजन में जो कठिनाई होती है उससे वह बच सकेगा। ऐसी कठिनाई आती है कि केन कमिश्नर ने फैसला कर दिया है कि तुम फलां फैक्टरी के साथ रहोगे, लेकिन किसान नहीं चाहते हैं कि वे उस फैक्टरी के साथ जायं तो फिर किसानों का झगड़ा होता है। किसान अपना गन्ना लादकर दूसरी जगह ले जाते हैं तो इसमें सरकार को दिक्कत होती है, देख-रेख करनी पड़ती है और निगरानी करनी पड़ती है। किसानों के ऊपर मुकदमा चलाना पड़ता है और उनको तंग करना पड़ता है और कहीं-कहीं केन डेवलपमेंट के लोगों में और किसानों में खूब गुत्थमगुत्थी होती है। किसान कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि उस फैक्टरी में जायं और केन डेवलपमेंट अधिकारी कहते हैं कि तुमको उस फैक्टरी में जाना पड़ेगा। तो जहां केन डेवलपमेंट मजबूत पड़ता है तो उनकी बन आती है और जहां पर काश्तकार मजबूत पड़ जाते हैं तो वह अपनी मनमानी करते हैं। ऐसा कई जगह होता है और कई जगह बलवे हो गये और कई जगह केन डेवलेपमेंट अधिकारी पीटे गये। ऐसी कठिनाई होती है। इसलिए मेरा यह निवेदन है और मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि सहकारी समिति का ध्यान रखा जाता है तो उन किसानों से भी राय ले ली जाय और उस इलाके के बटवारे में उनकी राय भी ली जाय। जिस इलाके में गन्ना उत्पादक जाना चाहते हैं और बेचने वाले आदमी जहां जाना चाहते हैं वहां के लिये उनकी राय की कदर की जाय। अगर बेचने वाले आदमी जाना चाहें दूसरी जगह और वह फैसला कर दे किसी दूसरी जगह जाने का तो इससे बड़ा झगड़ा पैदा होता है और यह झगड़ा हमेशा के लिये चलता है इसको समाप्त करना चाहिये। इस तरह से इस बात का सुझाव देकर मैं सोचता हूं कि इस बात की गुंजाइश कर दी जानी चाहिये।

एक बात से और अपने नियोजन मंत्री का हाथ मजबूत कर देना चाहता हूं और वह यह है कि हमारा और आपका रोज झगड़ा कुआं खोदने का, सड़क बनाने का होता है। तो यह शुगर फैक्टरी २५ जिलों में फैली हुयी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास यह एक सोने का अंडा है। यह ऐसी सोने की चिड़िया है कि जो रोज सोने का अंडा देती है। माननीय शिवनारायण जी चाहे न समझें कि वह चिड़िया सोने का अंडा देने वाली है लेकिन इतना जरूर है कि जैसा इधर जोरावर जी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हमने तो शुगर फैक्टरीज को सोने की चिड़िया बता दिया और कहीं सरकार या माननीय शिव नारायण जी उसका पेट चीरना न शुरू कर दें, ताकि एक ही दिन में बहुत से अंडे निकल आवें, तो मैं उनको बता दूं इस तरह से वह एक भी अंडा न पावेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि इन २५–२६ फैक्टरियों से डेवलपमेंट के काम के सिलसिले में उनसे जो क्षेत्र घिरा हुआ है उसके डेवलपमेंट के लिये, वहां पानी या सड़कों आदि के डेवलपमेंट के लिये अगर कुछ लें तो बहुत उचित होगा। चाहे सरकार अपनी पंचवर्षीय या दस वर्षीय योजना में कुछ भी लगाये और करे लेकिन अगर इस समय वह कुछ पैसा उनसे लेती है और डेवलपमेंट के काम में लगाती है तो उससे किसानों का, सरकार का और उन मिल मालिकों का सब का हित होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि उन इलाकों का बटवारा करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि किस मालिक ने डेवलपमेंट के काम में कितना पैसा लगाया है और कितना भाग लिया है, कितने ट्यूब वेल लगवाये, सड़कें कितनी बनवायीं और उसने किसानों के डेवलपमेंट सम्बन्धी क्या काम किये, शादी ब्याह का काम नहीं, मैं हमेशा विकास सम्बन्धी कामों को प्राथमिकता देना चाहता हूं। तो जिन्होंने इन विकास के कामों में दिलचस्पी ली है उसका ध्यान भी रखा जाय जब मिल के क्षेत्र का बटवारा किया जाय। तो इसमें यह बात भी बढ़ा दी जाय तो सरकार को कोई परशानी न होगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय फूल सिंह जी गन्ने के विषय में मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। इस वक्त तो वह डिप्टी मिनिस्टर हो गये लेकिन जब वह डिप्टी मिनिस्टर नहीं थे तो मैं उन्हीं के पास आता था, चाहे सवाल कराने होते थे चाहे वह लेख लिखे उनको पढ़ता था या जो कोई भी तकलीफ होती थी तो मैं उन्हीं के पास आता था। लेकिन अब

[श्री गेंदा सिंह]

क्या अब तो वह शिव नारायण जी के पास बैठे हैं, हमारी नहीं सुनते, अब तो वह उन्हीं की सुनते हैं चाहे उनकी बात में तथ्य नहीं है तब भी अगर वह उनकी न सुनें तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, तो वह सारे मिल मालिकों को सोने की चिड़िया साबित कर सकते हैं लेकिन उनके साथ बैठ कर वह शायद न कर सकेंगे। जब तक शिवनारायण जी का साथ न छोड़ दें तब तक वह उतना भी नहीं कर सकते जितना पहले करते थे और अब खुलम्मखुल्ला वह काम अब नहीं कर सकते हैं। मैं हिसाब किताब जोड़ने में उनसे तेज नहीं हूं वह जोड़ें लेकिन मैं चाहता हूं कि फैक्टरी वालों से डेवलपमेंट के काम में मदद लेने की जरूरत है। मैंने रांची सम्मेलन में भी कहा था कि उनसे भीख मांगने से काम नहीं चलेगा, मैं चाहता हूं कि गन्ने के दाम के अलावा एक आना मन और वसूल किया जाय, उन्होंने बहुत धन कमाया है एक आना मन से एक डेढ़ करोड़ रुपया होगा और उससे काफी ट्यूबवेल और सड़कें बन सकेंगी। कमीशन के नियम आवेंगे। तो आगे सरकार को और भी मैं बतलाऊंगा कि क्या करना चाहिये। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि फैक्टरी के क्षेत्रों का जब बटवारा किया जाय जब कि खुशकिस्मती से यह निर्णय हो चुका है कि सारी फैक्टरीज के इलाके को फिर से बांटा जाय और सारे सूबे में इलाकों का यदि बटवारा होना है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाय कि मिल मालिकों ने डेवलपमेंट का कितना काम किया है ? किसानों की उपज बढ़ाने का, पानी देने का, सड़क का कितना काम उसने किया है तो इसमें थोड़ा सा लोगों में होड़ लगेगी, और जब उन्हें मालूम होगा कि वह इलाका उनसे भागने लगेगा तो वह कुयें बनवायेंगे। सरकार हम लोगों की तरफ से हाथ जोड़ने वाली तो नहीं है, न विनोबा जी की तरह से दान मांगने वाली है। उसके पास तो कानून का डंडा है और वह उनके सामने रख कर कहे कि २५ जिलों में बसने वाले ऐ मिल मालिकों अगर तुम यह काम नहीं करते तो इस इलाके को दूसरे को देना पड़ेगा, चाहे वह कोई हो चाहे डालमिया हों, चाहे बिरला हों चाहे खेतान हों किसी को दिया जाय लेकिन यह उनके हाथ से चला जायगा अगर वह डेवलपमेंट नहीं करते हैं। और यह मैंने इसलिये कहा कि जहां मूल्य और सेस का ज्यादा ध्यान है वहां इन चीजों का भी ध्यान रखा जाय।

एक बात बहुत गड़बड़ है और ठाकुर साहब इससे बिल्कुल इत्तिफाक करेंगे कि वह २४वां नियम देख लें। इसमें अध्यासी के निरीक्षण करने की बात है कि वह निरीक्षण कर सकेगा। लेकिन इसका अनुभव बहुत खराब है। किसान निरीक्षण नहीं कर पाते हैं इसलिये कि उनके दफ्तर एन्क्लोजर के भीतर हैं जहां दरवाजे पर उनका पहरा है। किसान फटाहाल उसके अन्दर नहीं जा सकता और न जाने दिया जाता है। यह देखा जाता है कि वह नहीं देख सकता और उसको दिखाने की वह जरूरत भी नहीं समझते। अब भी मिल मालिक बहुत कम ऐसे हैं जो समझते हैं कि गन्ना बोने वाला किसान हमारे जैसा आदमी है। वह समझते हैं कि इसको जितना ही दूर रखें उतना ही ठीक है। तो मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि बजाय इसके कि वह निरीक्षण कर सकेगा के स्थान पर या इसको निकाल दिया और या इसको आखिर में रख दिया जाय और यहां कर दिया जाय कि प्रत्येक गन्ना उत्पादक को सूचना दे दी जायगी। जो वह रजिस्टर तैयार करे कि कहां गन्ना खराब हुआ है कहां ठीक हुआ है जहां यह वह तैयार करता है उसकी सूचना काश्तकार को दे देगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उनके यहां सुपरवाइजर हैं, कामदार हैं आखिर जब वह कागज बनाते ही हैं तो उसकी सूचना दे दें और यह भी नहीं कि अलग-अलग लिखें। जो बनाते हैं उसको डुप्लीकेट में लिखें और उसकी एक प्रति उसको भी पहुंचा दें। तो इसका परिणाम यह होगा कि इसमें अगर किसान कहीं गलती करे तो निरीक्षण करने के बाद वह दरख्वास्त दे सकता है और वह दुरुस्त हो सकता है। बजाय इसके कि दरख्वास्त देकर निरीक्षण करे, निरीक्षण के बाद और दुरुस्ती करने की दरख्वास्त दे ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके यहां यह एन्ट्रीज पहुंच जायं और उसके बाद वह दुरुस्ती की दरख्वास्त देने के लिये आये तो चला आये लेकिन उसके पास सूचना पहुंच जाय, ऐसा जरूर कर दिया जाय।

माननीय मंत्री जी कृपया २७ वें नियम को देख लें।

"फैक्टरी, अध्यासी के लिखित प्रार्थना पर और प्रत्येक गन्ना उत्पादक से चार आना शुल्क प्राप्त होने पर किसी उत्पादक के सम्बन्ध में उत्पादक के रजिस्टर में दी गयी प्रविष्टियों की प्रतिलिपि किसी व्यक्ति को दे सकती है।"

तो मैं किसी व्यक्ति को तो छोड़ देता हूं लेकिन अगर वह दरख्वास्त दे रहा है अगर गन्ना पैदा करने वाला अपने इंट्रीज को लेने के लिये दरख्वास्त देता है तो उससे चवन्नी न ली जाय। इस चार आने का तो कतई कहीं कोई खर्च नहीं है। न पेंसिल में, न कागज में और न मेहनत में। अगर कोई एंट्री की नकल लेना चाहता है तो मैं समझता हूं कि मिल मालिकों को खुशी से दे देना चाहिये और अगर रक्खा जाय तो ४ आने मेरी समझ में नहीं आया, कुछ हिताब लगायें माननीय मंत्री जी कि ४ आने किस तरह से आया? काश्तकार को अगर जरूरत है तो इतनी उदारता चाहिये थी मिल मालिकों की किसानों के प्रति कि वह मजबूरी से कोई कागज की नकल चाहता है तो काश्तकार को नकल बिना मेहनताना के दे दें और अगर दे भी तो इतने मेहनताने की जरूरत नहीं है। यह जो २८ वां है इसमें यह लिखा है "फैक्टरी के अध्यासी द्वारा उत्पादकों का रजिस्टर उस पिराई के मौसम के दो वर्ष पश्चात् तक, जिस मौसम का वह रजिस्टर है, सुरक्षित रक्खा जायगा।" इसमें केवल दो वर्ष हैं पहले तीन वर्ष थे। मैं यह सोचता हूं कि अगर ६ वर्ष रक्खे जायं तो अच्छा होगा। व्यावहारिक बात तो यह है कि वे ६,८ या १० वर्ष तक रखते हैं लेकिन फायदा इसका कब उठाते हैं जब हम कहते हैं कि न जाने कितना पैसा काश्तकारों का नहीं दिया पिछले दस वर्ष में। एक मर्तबा की याद दिलाऊं ठाकुर फूल सिंह जी ने एसेम्बली में सवाल उठाया था कि इस सूबे के जो फैक्टरी वाले हैं पिछले १०-१२ वर्ष के बीच में उन्होंने कितना रुपया किसानों को पेमेंट नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि वे काफी रुपये थे लेकिन उन्होंने इस कानून का बहाना लिया और तीन वर्ष का बता दिया और बाकी खा गये। इस तरह से जो किसानों को पुर्जी नहीं मिल पाती हैं हजारों रुपये साल में इससे मिल मालिकों के पास रह जाते है। ६६ मिलें हैं। एक-एक और दो-दो हजार बैलगाड़ी रोज आती हैं, यह आवश्यक नहीं है कि सारे के सारे लोग अपना पेमेंट आकर ले जायं। हजार दो हजार आदमी रह जाते हैं जिनका पेमेंट नहीं होता। मैं मानता हूं कि हजार दो हजार नहीं होंगे लेकिन काफी संख्या ऐसी रहती है जो पर्ची गायब होने से पेमेंट पाने से रह जाते हैं।

श्री फूल सिंह--३८ वें रूल में भी दो साल है, तीन साल नहीं।

श्री गेंदासिंह--मैंने कहा दो तीन साल था। दो तीन साल में फर्क क्या है? मेरा कहना तो यह है कि ६ साल तक रक्खा जाय। वह रखते हैं और उसमें उनको लाभ होता है। अगर सरकार उनसे पूंछेगी कि कितना पेमेंट किसानों का नहीं हो पाया तो उनको फिर ६ साल तक का देने की लिये मजबूर होना पड़ेगा। ६ वर्ष का हिसाब अगर निकाला जाय तो लाखों रुपये निकलेंगे और वह लाखों रुपया किसी जनोपयोगी काम में खर्च हो सकता है, केन डिपाटमेंट को दिया जाय तो अच्छा होगा बजाय इसके कि मिलमालिकों के पास रहे। बहुत छोटी बात है।

तौल के सम्बन्ध में अध्याय ८ में ३१वें रूल में लिखा है:—

"गन्ने की सीधी तौल मन में आठवें भाग तक ठीक से दर्ज की जायगी" यानी ५ सेर के नीचे की तादाद मिलमालिकों के पास रह जायगी। ५ सेर तक तो लिखा जायगा ठीक से और ५ सेर से नीचे जो वजन आया वह वजन कहां गया? इसे मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। पहले तो ऐसा था कि दो सेर से कुछ ज्यादा हो तो ५ सेर मान लिया जाता था। दो सेर से अगर कम हो तो वह छोड़ दिया जाता था लेकिन अब की इस नियम के मुताबिक पांच सेर से जो नीचे होगा वह छोड़ दिया जायगा। यह इसका मतलब हुआ। तो मैं यह चाहूंगा कि इसको फिर से रिड्राफ्ट कर लिया जाय और जो पुराना नियम है वही नियम यहां पर रखा जाय तो ज्यादा बेहतर है और अगर पुराने नियम में दो सेर खा ही जाने का मौका हो तो वह न रहने दिया जाय, यह स्पष्ट कर दिया जाय कि दो सेर तक छोड़ दें। अगर हमारे

[श्री गेंदा सिंह]

ठाकुर साहब उससे भी बढ़िया कोई तरकीब निकाल सकते हैं कि दो सेर का वजन भी किसान को मिल सकता है और उसकी कीमत मिल सकती है। तो ठीक है। हम न उनको ज्यादा देना चाहते हैं न लेना चाहते हैं। हम ठीक-ठीक तौल करा के ठीक ठीक दाम लेना चाहते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा करना चाहिये, जिससे यह स्पष्ट हो जाय।

श्री फूलसिंह—जो पुराना रूल है वही है अब भी।

श्री गेंदासिंह—यह जो तौल वाली बात है मैं क्या कहूं। यहां जो माननीय सदस्य बैठे हुये हैं इत्तफाक़ से कुछ हमारे गन्ना बोने वाले भाई जो हैं वह इस वक्त मौजूद नहीं हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—ऐसी बात नहीं है।

श्री गेंदासिंह—मैं मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के लोगों से ज्यादा उम्मीद करता हूं। उस तरफ के गन्ना बोने वालों को हम लोगों से ज्यादा तजुरबा है।

श्री महीलाल—मेरठ भी मौजूद है, सहारनपुर भी मौजूद है।

श्री गेंदा सिंह—ठाकुर साहब को मैं सहारनपुर का नहीं मानता हूं। ठाकुर साहब तो ५१ जिलों की तरफ से हैं और विशेष कर इस सरकार की तरफ से हैं। अगर माननीय महीलाल जी ठाकुर साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं तो मैंने यह निवेदन किया।

सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। सरकार तो खिचड़ी है। सरकार स्पष्ट नहीं है हम इसको मानते हैं कि हम किसान की तरफ से बोल रहे हैं। सरकार तो खिचड़ी है वह कैसे दावा कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अब यह बात नहीं कह सकते कि वह किसानों के ही प्रतिनिधि हैं। वह ऐसा कहने में मजबूर हैं। वह किसान और राम प्रसाद नेवतिया और बड़े बड़े जो लोग हैं उनके भी प्रतिनिधि हैं। इसलिये नहीं कह सकते। कोई गुप्त जी को बदनाम करने के लिये नहीं कह रहा हूं। उनकी हैसियत इस तरह की है कि वह कह ही नहीं सकते।

वे ब्रिज के सिलसिले में, ३७ वां नियम है उस पर जरा गौर करें। वे ब्रिन पर ऐसा करते हैं कि जहां आप ने लिखा है दस मन रख दिया जायगा, मन। रखते हैं, जब कोई निरीक्षक जाता है जांच करने के लिये तो वह उस कांटे को जब इम्तहान लेता है तो एक एक मन रख कर उसको देखता है कि इस कांटे में कोई गड़बड़ी नहीं की गयी है। लेकिन बड़े चतुर लोग हैं, बड़े ही चालाक लोग होते हैं। उन्होंने दस मन तक कोई गड़बड़ी करने ही नहीं दी। दस मन तक उन्होंने कहा कि ठीक रहेगा। ग्यारहवां मन गड़बड़ कर दिया। दस मन तक जो वेट रखा तो ठीक निकला, और जब ज्यादा वेट रखा गया तो उनकी चोरी निकली। तो उपाध्यक्ष महोदय, हमसे कहा जा सकता है कि अगर बीस मन रख दिया जाय तो भी चोरी हो जायगी। इत्तफाक से मैं एक दफा आनरेरी इंस्पेक्टर हो गया। ठाकुर साहब ने बना दिया। तो मैं गया एक रात को। बहुत शिकायत सुनी थी, एक फैक्टरी की कि वह चोरी करती है, नाम नहीं रखूंगा, हमारे जिले की फैक्ट्री थी,। मैंने कहा भाई कुछ मेहनत की जायगी। कुछ डेवलपमेंट के लोग थे और कुछ लोग थे। तो तीन मर्तबा उस गाड़ी को मैंने वहां तौला, जिस जगह पर गन्ना तौला जाता था और उसे सही पाया। रात को १२ बजे से तीन बजे तक यही तमाशा होता रहा। गाड़ी वाला भी इधर-उधर बार बार जाने से नाराज हुआ और मैंने सोचा कि खूब उल्लू बना कि इतना घटता है, उतना घटता है। तो उस समय किसी ने अकल दी और कहा कि इसको वहां ले चलें जिस वे ब्रिज पर गन्ना गिराये जाने के बाद गाड़ी तौली जाती है। तो वहां ले गये और वहां तौलने पर ठीक एक मन का फर्क निकला। एक गाड़ी में ठीक एक मन का। फिर उस कांटे पर लाये और उसमें वही वजन पाया कि जो परची में लगाया गया था। तो मैंने सोचा कि बीच में क्या हुआ।

किसी ने गन्ना उतार तो नहीं लिया। गाड़ीवान को हाथ पैर जोड़ कर फिर ले गये, कहा कि मजबूरी है और जब फिर वजन लिया तो वही एक मन का फर्क निकला। उसके बाद मैंने इधर फोन किया, इसको बुलाया उसको बुलाया और इस बीच जो देर हुई उसमें वहां पर जो मैं दो चार आदमियों को छोड़ गया था उन्होंने उनको इधर उधर करके गाड़ीवान से गाड़ी गिरवा दी और मेरी सारी अकल यह देख कर मारी गई। लेकिन बात सही है। वे ब्रिज जो है उसके लिये मेरा इतना कहना है कि वह रूल्स बनाते वक्त, मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं, इस बात का ध्यान रखा जाय। आज भी, वे ब्रिज पर काफी गड़बड़ी होती है और गन्ना लोग कम तौलते हैं और खास तौर से स्टेशनों पर जहां पर्चेजिंग सेंटर बने हैं वहां बहुत आसानी के साथ यह गड़बड़ी होती है। जहां गेट हैं तो वहां लोग समझते हैं कि सड़क है, लोग पहुंच जायेंगे, जांच वगैरह का डर रहता है लेकिन रेलवे स्टेशनों पर तो यह काम खूब होता है और कोई डर नहीं रहता। ट्रेन के वक्त पर वह लोग थोड़ी देर अपना काम बन्द रखते हैं और उसके निकल जाने के बाद फिर अपना काम जारी कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा घटा कर वह सारा गन्ना एक या दो फर्जी गाड़ी बना कर तौला देते हैं। इस तरह से लम्बी कहानी कह कर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा लेकिन एक बात जरूर कह दूं कि मेरा तजुर्बा है कि सिर्फ एक बैगन में एक मालगाड़ी में एक सौ मन की वृद्धि हुई। और जब यह पूछा गया कि यह कैसे? तो अधिकारियों ने यह कहा कि रात को गन्ना जाकर उस फैक्टरी के सामने खड़ा रहता है और ऊपर से ओस पड़ती है। सुन कर हैरत हुई। आप सच मानिये कि यही जवाब मिला कि ऊपर से ओस पड़ती रही इस लिये सौ मन वजन बढ़ गया। अगर ठाकुर साहब जानना चाहेंगे तो मैं उसका ठीक पता दे दूंगा कि कहां का है और आप रेकार्ड में उस को देख सकते हैं। तो इस लिये इसे वे ब्रिज के सिलसिले में इस वक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई व्यवस्था इसके लिये होनी चाहिये ताकि वह चोरी न कर सकें। मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन इसके लिये कोई व्यवस्था सोची जानी चाहिये। २० पर सिर्फ मैं यह कहूंगा कि इन रूल्स में जहां १० मना रहते हैं वहां बजाय १० के यहां रख दिया जाय। अगर २० रख दिया जायगा तो आम तौर से २० मन की गाड़ियां हुआ करती हैं और कम से कम २० मन की गाड़ियों तक तो ठीक से तौला जाय। अगर ३० मन रख दीजिये तो बहुत अच्छा है लेकिन २० मन तो जरूर रखना चाहिये।

एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा रूल ३८ के सिलसिले में। इस ३८ में यह है :—

> "फैक्टरी का अध्यासी अथवा खरीदारी एजेन्ट गन्ना खरीदने में प्रयुक्त रखे गये अथवा कब्जे में रहने वाले समस्त वे ब्रिजों की प्रतिदिन परीक्षा करायेगा और ऐसी परीक्षा का अभिलेख रखेगा जो मांगे जाने पर निरीक्षक को दिखलाया जायगा।"

तो यह ऐसा कर दिया जाय कि जहां प्रतिदिन है वहां कर दिया जाय कि प्रातःकाल तौल शुरू होने के पहले है। अब यह इसमें वह किस वक्त करायेगा और किस वक्त उसकी परीक्षा होगी, सुबह को तौल शुरू होती है और अगर मान लीजिये रात को कोई गड़बड़ी होती है, शाम तक जब तौल होती रही तो शाम तक वे ब्रिज ठीक था लेकिन शाम को और रात के बीच में वे ब्रिज गड़बड़ हो गया सुबह उसी गड़बड़ पर अगर तौल शुरू हो गयी तो उसमें नुक्सान होगा। इसलिये ज्यों शुरू तौल हो उस के पहले ही इसकी दुरूस्ती हो जानी चाहिये और उसकी परीक्षा हो जानी चाहिये। यह मैं समझता हूं इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है और काम सुचारु रूप से हो जायगा।

एक बात मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा। वह यह कि कुछ ऐसा होता है कि बैलगाड़ियां मिल गेटों पर दो-दो दिन तक खड़ी रहती हैं, तो इसका क्या उपाय है। २४ घंटे से ज्यादा गाड़ी न खड़ी हो। इसमें १० घंटे लिखा हुआ है कि १० घंटे से ज्यादा बैलगाड़ी खड़ी न रहे। हमारी दिक्कत यह है कि इस हुक्म की अदूली होती है तो फिर इसके लिये एक उपाय मैं बताना चाहता हूं और इस उपाय को मैं बता कर के सिर्फ काश्तकारों का ही भला

[श्री गेंदा सिंह]

नहीं सोचता हूं बल्कि उसके साथ साथ अच्छी रिकवरी होगी, ताजा गन्ना मिलेगा। और एक जगह का मैं अनुभव बताऊं कि वहां पर दिन भर तौल होती है और रात को ८ बजे के बाद तौल बन्द कर देते हैं। ८ बजे से.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कुल १ घंटा अभी तक बोले हैं, शायद और अभी बोलना चाहेंगे। तो माननीय सदस्य कल बोलें। इस समय वित्त मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनको मौका देता हूं।

कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इबाहीम)—मैं जनाब वाला यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो रूल इस वक्त डिस्कस हो रहा है, इसके बाद एजेन्डा पर है सेल्स टैक्स बिल, और उसके बाद है मुस्लिम वक्फस बिल, और उसके बाद है अर्बन एरिया जमींदारी एबौलिशन बिल का सेटिलमेंट कमेटी को रिफरेंस। तो मेरी गुजारिश यह है कि सेल्स टैक्स को छोड़ दिया जाय, मुस्लिम वक्फस बिल को छोड़ दिया जाय और अर्बन एरिया जमींदारी एबौलिशन को सेलेक्ट कमेटी को जो रिफरेंस है वह इसके बाद ले लिया जाय जो आज रूल डिस्कस हो रहा है। विरोधी दल के नेता को भी वह मन्जूर है।

श्री गेंदा सिंह—जी हां, मन्जूर है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—इसके लिये श्रीमन्, कार्यकारिणी बनी हुई है उसमें भी गवर्नमेंट ने कभी यह नहीं कहा। इतने बड़े बिल को इतनी जल्दी, बिक्री कर को स्वयं गवर्नमेंट ने रखा था, एक दम एसेम्बली खत्म होने के पहले यह रख देना मैं समझता हूं ठीक नहीं है और उसको अगर आप कल लेना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—इस प्रकार की सूचना सदन को गवर्नमेंट की तरफ से हो गई।

राजा वीरेन्द्र शाह—हम तो कल के लिये आपत्ति कर रहे हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो जो चल रहा है वह तो चल ही रहा है उसके निस्बत तो मैंने कुछ अर्ज नहीं किया कि वह आगे को न चले, उसके चलने में मुझे एतराज नहीं। मैंने तो यह कहा कि जब यह चल चुके तो उसके बाद यह चले, जिसको मैं प्रायरिटी दे देना चाहता हूं यानी जमींदारी एबौलिशन बिल को। यह ज्यादा से ज्यादा १ घंटा ले लेगा।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—माननीय हाफिज साहब ने कहा कि जब यह चल चुके उसके बाद यह बिल मेरे वाला चलेगा नहीं, उसमें तो मोशन यह है कि सेलेक्ट कमेटी को वह सुपुर्द किया जाय। तो क्या आपत्ति आपको हो सकती है?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह स्वीकार किया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, एक बात और अर्ज करनी है कि कहीं ऐसा न हो जैसा कि कभी-कभी होता है कि उधर से फट से क्लोजर मूव कर दिया जाता है और हम लोगों को बहस नहीं करने दी जाती है। तो ऐसा न हो कि क्लोजर मूव कर दिया जाय और कल ही इसको ले लिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य उस समय भी इस सदन में मौजूद होंगे और अपनी बात रख सकेंगे।

आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष—मुझे एक सूचना और देनी है । "आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट" के लिये श्री मलखान सिंह द्वारा रिक्त स्थान के निर्वाचन के सम्बन्ध में आज ४ बजे तक का समय नाम वापस लेने के लिये निर्धारित किया गया था । अतः केवल श्री विष्णुदयाल वर्मा का ही नाम निर्देशन पत्र आने एवं उसे वापस न लेने के कारण उन्हें विधिवत् निर्वाचित घोषित कर दिया जाय । इसकी सूचना सदन में भी दे दी जाय । तो यह निर्धारित घोषित किये जाते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,
२८ सितम्बर, १९५५ ।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान-मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७–१८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८७ पर)

No. 5225-IB/V—1281-1954

FROM

SRI T. L. MAHENDRA, I. A. S.,
SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE DEPUTY DIRECTOR OF MEDICAL AND HEALTH SERVICES (AYURVEDA), UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

Dated Lucknow, May 2, 1955.

Subject: **Subsidy Scheme for qualified Vaids and Hakims**

MEDICAL (B) DEPARTMENT.

SIR,

I AM directed to say that as a part of their policy to give all possible encouragement to the development of Ayurvedic and Unani systems of medicines and to extend medical aid in rural areas, the Governor has been pleased to introduce with immediate effect the following scheme for giving subsidy to *ten* qualified Vaidyas and Hakims to induce them to settle down in increasing numbers in the rural areas :

(1) Every vaidya and hakim who is appointed under this scheme will get a subsidy for maintenance at Rs.60 per mensem in the first year, Rs. 40 per mensem in the second year and Rs. 20 per mensem in the third year from the State. Thereafter this subsidy will cease altogether.

(2) In addition the practitioner will also get a subsidiary subsidy to cover the following items in the first two years :

(i) Rs.20 per mensem for a whole time servant.

(ii) Rs.10 per mensem as rent of the dispensary.

(iii) Rs.20 per mensem for contingent expenditure.

(iv) Rs.350 per annum for medicines.

(v) Rs.250 initial grant for furniture and equipment (only once).

(3) In the third and subsequent years the practitioner will have to depend on his own effort ; the State assistance being restricted to a subsidy of Rs.250 per annum for medicines only.

2. The qualifications and other conditions of appointment of candidates under this scheme are as follows :

(i) Candidates who apply should be registered with the Board of Indian Medicine and should have undergone five years' course at a recognized Ayurvedic Unani College in the State.

(ii) Candidates must be bona fide residents of Uttar Pradesh or registered displaced persons in Uttar Pradesh.

(iii) Candidates should not be less than 21 years on the 1st day of Janurary of the year in which appointment is made.

(iv) Appointments of vaidyas and hakims under this scheme should be made by you after inviting applications by advertisement in the press. Every applicant should attach with his application a certificate of physical fitness from a registered medical practitioner. It is suggested that in making the appointments you may associate with yourself one of the senior teachers at the State Ayurvedic College at Lucknow.

(v) Practitioners appointed under this scheme should settle in villages or small towns and not at district headquarters or in important urban areas. The place selected should be in a medically deficient area. No practitioner under this scheme should be allowed to settle at a place where a State or State aided dispensary is already functioning. Care should be taken that so far as possible two practitioners do not settle under this scheme at one place.

(vi) The candidates who are appointed under this scheme will be allowed private practice subject to the condition that this does not interfere with the regular work of dispensaries and that no private patients are treated at the dispensaries during the prescribed working hours.

(vii) The vaidyas and hakims who are appointed under this scheme shall open their dispensaries at fixed hours and treat the patients free. They should maintain such registers as may be prescribed by you.

(viii) These vaidyas and hakims shall not be Government servants. They will be independent medical practitioners but will have to follow the orders contained in this G. O. and others which may issue from time to time as long as they get Government subsidy.

(ix) The practitioners shall be under the administrative control of the District Medical Officer of Health in each distrcit and shall be entitled to casual leave of not more than fourteen days a year. If they want to be absent from the dispensary for a longer period they should take the permission of the Deputy Director of Medical and Health Services (Ayurveda), through the Districy Medical Officer of Health. For the period of absence the subsidy will be reduced.

3. The continuance of the subsidy will be subject to the work and conduct of the grantee continuing to be satisfactory. A report on the working of the dispensary and the conduct of the Vaidya/Hakim should be sent by the Divisional Ayurvedic/Unani Officer concerened to you by June 30 every year and also by the District Medical Officer of Health. The subsidy for the next year should be renewed or stopped in the light of the report received from them.

4. The dispensaries shall be open to inspection by the Director of Medical and Health Services, all Deputy Directors on allopathic side and Assistant Directors, the District Medical Officer of Health, the Civil Surgeon of the district, and by you. The Divisional Ayurvedic and Unani Officers should make at least one inspection in a year during the dispensary hours.

5. Necessary provision for the purpose exists in the budget of the current financial year under the head, "38—Medical—B—Hospitals and Dispensaries (*e*) Grants to Hospitals and Dispensaries—2—Medical relief in rural areas (*b*) Subsidies to new private indigenous medical practitioners".

6. The practitioners under this scheme will have to give an undertaking that they will continue to stay at the selected place for at least three years before a subsidy is granted to them, or will have to refund the entire subsidy paid to them by Government till the date of their leaving.

7. I am to express the hope that it would be possible to give effect to the scheme with effect from June 1, 1955 at the latest.

Yours faithfully,
T. L. MAHENDRA,
Secretary.

No. 5225 (i) BI/V—1281-1954

COPY forwarded for information to—

(1) The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh, Lucknow.

(2) The Principals of —
- (i) Ayurvedic College, Banaras Hindu University, Banaras.
- (ii) Tibbiya College, Aligarh Muslim University, Aligarh.
- (iii) Bundelkhand Ayurvedic College, Jhansi.
- (iv) Rishikul Ayurvedic College, Hardwar.
- (v) Lalit Hari Ayurvedic College, Pilibhit.
- (vi) Takmil-ul-Tib College, Lucknow.
- (vii) Unani Medical College, Allahabad.

(3) The Chairman, Board of Indian Medicine, Uttar Pradesh, LUCKNOW, for information with the request that the scheme may be brought to the notice of other Ayurvedic and Unani Colleges not mentioned above.

(4) The Director of Information for publicity.

(5) All Heads of Departments, Principal Heads of Offices and Departments of the Secretariat for information.

(6) All Commissioners of Divisions.

(7) All District Magistrates, Uttar Pradesh.

By order,
K. P. SRIVASTAVA,
Officer on Special Duty.

FINANCE DEPARTMENT

No. 5225 (ii) BI/V—1281-1954

Copy forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad for information.

By order,
ISHTIAQ ALI,
Assistant Secretary.

IMMEDIATE

No. 218-BH/V—1677-1952

FROM

SRI T. L. MAHENDRA, I.A.S.,
SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE CHAIRMAN,
BOARD OF HOMOEOPATHIC MEDICINE,
UTTAR PRADESH.

MEDICAL (B) DEPARTMENT.

Dated Lucknow, September 21, 1953.

Subject : **Scheme for subsidizing homoeopathic medical practitioners**

SIR,

I am directed to say that, to bring medical aid by qualified practitioners of the Homoeopathic system of medicine within easier reach of the pepole, the Governor has decided to introduce with immediate effect a scheme to settle some homoeopathic medical practitioners in suitable villages and towns (not district headquarters) under a system of subsidy. This subsidy will be as follows:

(1) Subsidy for maintenance (at Rs. 50 per mensem) .. Rs. 600 per annum.

(2) Subsidiary subsidy to cover the following items .. Rs. 1,000 per annum.

1. (*a*) One compounder-cum-servant (Rs. 20 per month)

(*b*) House rent allownace to the compunder-cum-servant. (Rs. 5 per month).

(*c*) House rent allowance to the medical paractitioner for a combined house for his residence and dispensary (Rs. 10 per month).

(*d*) Part-time sweeper (Rs.10 per month).

(*e*) Medicines and other expenses (Rs.260 per annum).

(*f*) Lump allotment in the first year for furniture and equipment (Rs.200 only once).

2. The qualifications of candidates settling under this scheme shall be as under:

(*a*) The candidate must be registered with the Board of Homoeopathic Medicine, Uttar Pradesh.

(*b*) Preference will be given to a candidate who holds recognized Homoeopathic qualification also from institutions of Uttar Pradesh.

(*c*) The age of the candidate shall not be less than 21 years on the first day of January in which the selection is made. The limit may, however, be relaxed in suitable cases.

(*d*) Candidate should be physically fit and should be required to produce a certificate of fitness from the Civil Surgeon before he/she is appointed.

(*e*) Candidate must be a *bona fide* resident of Uttar Pradesh.

3. The appointments of candidates under this scheme shall be made by Government in consultation with the Board of Homoeopathic Medicine, Uttar Pradesh. Applications will be invited by advertisement in the press by the Board. They will make a preliminary scrutiny of the applications and after excluding those who do not fulfil the conditions laid down in this Government Order, forward the remaining applications to Government together with their recommendations. The Governor will then make a final selection. It should, however, be definitely understood that these candidates on appointment shall not be Government servants. They will be independent medical practitioners but will have to follow the orders contained in this Government Order and which may be subsequently issued from time to time in connexion with this scheme. They will not be entitled to any pension or Provident Fund benefits:

4. Other conditions relating to this scheme shall be as follows.

(1) The selected candidate should be allowed to settle at a place where facilities for medical aid are deficient.

(2) Two or more medical practitioners shall not settle at one place under this scheme.

(3) Private practice shall be allowed to the practitioners working under this scheme subject to the condition that it does not interfere with the regular working of the dispensaries and that no private patients are treated at the dispensaries during the prescribed working hours.

(4) These dispensaries shall be open all the year round at the same hours at which other State dispensaries in rural areas are opened.

(5) Proper registers of patients, etc. should be prescribed by the Board and maintained by the practitioners.

(6) The places at which the practitioners propose to settle shall be approved by Government in consultation with the Board of Homoeopathic Medicine, Uttar Pradesh.

(7) Treatment at these dispensaries shall be entirely free of cost and no charge will be made in any shape. The immediate control of these practitioners in the districts shall be entrusted to the Civil Surgeon.

(8) The dispensaries shall be open to inspection by Civil Surgeon, District Medical Officers of Health, the Chairman and the Members of the Board of Homoeopathic Medicine, Uttar Pradesh, and such other persons as may be authorized in this behalf by the Government or the Board from time to time.

(9) The continuance of the subsidy to the practitioner shall depend on a satisfactory report about his work and conduct during the previous year from the Civil Surgeons.

(10) The practitioner shall be entitled to casual leave of not more than 14 days in a year which may be granted to them by the Civil Surgeons. If they want to be absent from the dispensaries for longer periods they should take the permission of the Board of Homoeopathic Medicine, Uttar Pradesh, through the Civil Surgeons. The maintenance subsidy will be proportionately reduced for the period of absence other than casual leave.

(11) If a local body at any place is prepared to meet one-third of the total expenditure, preference will be given to that place in establishing a dispensary under this scheme. In such cases the dispensary shall be open to inspection by the officers of the local body concerned also.

5. The sanction of the Governor is accordingly given to the payment to you of a non-recurring grant of Rs.5,000 (Ruppes five thousand only), during the current financial year, to enable you to settle Homoeopathic practitioners on the condition that the Board of Homoeopathic Medicine, Uttar Pradsh also sets apart at least an equal sum for this purpose from its income. The grant should be drawn before March 31, 1954 and necessary utilization certificate should be submitted to Government before June 1, 1954.

6. The charge will be debited to the head "38—Medical—C—grants for Medical Purposes—23—A—Grant to Hemoeopathic institutuions for subsidizing Homoeopathic practitioners" in the budget of the current financial year.

Yours faithfully,
T. L. MAHENDRA,
Secretary.

No. 218 (i)-BH/V—1677-1952

COPY forwarded for information to the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh. Civil Surgeons may be informed.

No. 218 (ii)-BH/V—1677-1952

COPY forwarded to the Director of Information for publicity.

No. 218 (iv)-BH/V—1677-1952

COPY forwarded to all Heads of Departments and Principal Heads of Offices for information.

No 218 (iii)-BH/V—1677-1952

COPY also forwarded for information to—

(1) All District Magistrates, Uttar Pradesh,
(2) All Commissioners of Division,

with the request that it may be brought to the notice of local bodies in their Divisions.

By order,
K. P. SRIVASTVA,
Officer on Special Duty to Government,
Uttar Pradesh.

FINANCE DEPARTMENT

No. 2918 (v)-BH/V—1677-1952

COPY forwarded for information to the—

(1) Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad.
(2) Examiner, Local fund Accounts Uttar Pradesh, Allahabad.

By order,
R. C. CHATTERJI,
Assistant Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

No. 6352/V—503 (P. W.)-1945

FROM

P. W. RADICE, Esq. I, C. S.,
SECRETARY TO GOVERNMENT,
UNITED PROVINCES,

TO

The Inspector General of Civil Hospitals, United Provinces.

Dated Lucknow, October 30, 1946.

Subject: **New scheme for subsidizing medical practitioners in rural areas**

SIR,

I am directed to say that in furtherance of the Government's policy to provide adequate Medical Aid in the country-side, the Governor has been pleased to order that fifty medical practitioners (including 25 licentiates and 25 graduates) registered with the United Provinces Medical Council shall be encouraged to settle at suitable centres in rural areas, during the current financial year and the next. The District Board will operate the scheme. In order to attract suitable doctors the Governor has ordered that the following subsidies shall be allowd to each medical practitioner:

A—Subsidy for Maintenance

For medical graduate Rs.90 per mensem.

For a medical licentiate Rs.50 per mensem.

B—Subsidiary Subsidy

(1) One compounder or nursing orderly at Rs.20 per mensem.

(2) House rent allowance to the compounders or nursing orderly Rs.5 per mensem.

(3) House rent allowance to the medical practitioner at Rs.10 per mensem.

(4) One whole-time or two part-time inferior servants at Rs.10 per mensem.

(5) Equipment, i.e. surgical instruments and other appliances at Rs.5 per mensem.

(6) Furniture at Rs.5 per mensem.

(7) Medicines worth Rs.480 per annum.

2. The subsidies will be paid by Government annually in lump sums as grants-in-aid to the district boards concerned who will pay them at the rates indicated above to the medical practitioners every month. The subsidiary subsidy will be shared by Government with district boards half and half. The subsidy for maintenance will be paid entirely by Government. The continuance of the grants for Government's share of subsidies will depend on the annual reports of the Civil Surgeons that the practitioner's work is satisfactory. The reports of the Civil Surgeons should be submitted after inspecting the work of the medical practitioners, and I am to ask you to prepare and submit for Government's approval a form of Inspection Report to be filled in by the Civil Surgeons after their inspection so as to ensure that these dispensaries work on right lines and for the real benefit of the poor.

3. In addition to the Civil Surgeon's report mentioned in paragraph 2 above, the district boards shall also submit to Government, before June 1, in every year an account of expenditure actually incurred upon each subsidized

practitioner during the previous year. The amount unspent in a year will be taken into account in paying the next year's grant. The account should be item-wise as detailed in paragraph 1.

4. Besides affording medical aid in the rural areas, the medical practitioners shall be required to undertake certain public health duties such as the promotion of village sanitation, anti-malaria and anti-epidemic work, in accordance with the instructions to be issued from time to time by the Director of Public Health, United Provinces. For these duties each practitioner will be allowed an allowance of Rs.10 per mensem and travelling allowance of Rs.10 per mensem by the Public Health Department when they are so employed. The District Medical Officer of Health shall report every year whether the medical practitioner's public health work has been satisfactory or not.

5. I am to express the hope that the district boards will co-operate in making this scheme a success, and to request you to take immediate steps in consultation with the district boards and district authorities to select places where the medical practitioners may be asked to settle. The district boards may be advised to appoint suitable and energetic medical practitioners willing to settle in rural areas. If ex-military doctors offer themselves, they may again be given preference if they are otherwise suitabie.

6. The preliminaries should be completed by the end of December so that practitioners may start working in the beginning of January at the latest. Grant shall be paid as soon as any district board reports through you that a medical practitioner is available and the place has been approved by you and the Civil Surgeon concerned. You need not wait until proposals to settle all the 50 practitioners have come in and may send each proposal to Government as soon as it is received.

7. I am to add that the above orders will also apply to the subsidized medical practitioners already working under the old scheme for subsidizing medical practitioners laid down in G. O. no. 88-C.L—V-522, dated January 19, 1925, as amended by G. O. no. 1800-V-450, dated October, 15, 1936. The old scheme will cease to operate with effect from November 1, 1946, or from whatever later date, additional staff, medicines, equipment, etc., are provided at their dispensaries. Grants for subsidiary subsidy will be sanctioned on receipt of your report that the dispensary has been provided with staff, equipment, etc., as now laid down, and the district boards; resolution agreeing to meet half the amount of the subsidiary subsidy.

8. The cost will be debited to the head "38—Medical—B—Hospitals and Dispensaries (*f*) Scheme for subsidized dispensaries and private medical practitioners in rural areas (ii) Subsidies to private medical practitioners", but the allowances referred to in paragraph 4, above will be charged to the head "39—Public Health—C—Expenses in connexion with Epidemic diseases (*c*) Allotment for prevention of epidemics.

I have the honour to be,

SIR,

Your most obedient servant,

P. W. RADICE,

Secretary.

No. 6352 (1)/V—503 (P.W.)-45

COPY forwarded for information to—

(1) All Commissioners of Divisions.
(2) All District Magistrates.
(3) All Chairmen of District Boards.
(4) The Examiner, Local Fund Accounts, United Provinces.

No. 6352 (2)/V—503 (P. W.)-45

COPY also forwarded to the Director of Public Health, United Provinces, for information, with the request that necessary instructions may kindly be issued to the District Medical Officer of Health. Director of Public Health will be informed of the places where the medical practitioners are settled . A copy of instructions issued to District Health Officers should also be sent to Government for information.

No. 6352 (3)/V—503(P. W.)-45

COPY also forwarded to the Public Health Department for information.

No. 6352(4)/V—503(P. W.)-45

COPY also forwarded to the Information Department of the Secretariat for giving wide publicity to this scheme through press.

By order,
P. W. RADICE,
Secretary to Government, United Provinces.

FINANCE DEPARTMENT

No. 6352 (5)/V—503 (P. W.)-45

COPY forwarded to the Accountant General, United Provinces, for information.

By order,
K. S. GOYAL,
Additional Assistant Secretary to Government, United Provinces.

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—११४ एल० ए०—१९५६—७९६ ।